

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 मार्च, 1985

खण्ड 1, अंक 15

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 28 मार्च, 1985

पृष्ठ संख्या

| | |
|---|----------|
| स्थगित तारंकित प्रश्न एवं उत्तर | (15) 1 |
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (15) 8 |
| नियम 45 के अधीन सदन की मेज तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर | (15) 25 |
| अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (15) 30 |
| विभिन्न विषयों का उठाया जाना | (15) 38 |
| वाक आउट | (15) 38 |
| वैयक्तिगत स्पष्टीकरण— | |
| प्रो० सम्पत सिंह द्वारा | |
| ध्यानाकर्षण प्रस्ताव — | |
| ड्रिंकिंग वाटर की स्केयर सिटी सम्बन्धी | (15) 40 |
| वक्तय — | |
| बिजली तथा बिजली मन्त्री द्वारा नहरी पानी | (15) 43 |

| | |
|--|-----------|
| तथा बिजली की कमी के कारण फसलें नष्ट होने सम्बन्धी | |
| वाक आउट – | (15) 48 |
| वैयक्तिक स्पष्टीकरण– | |
| पशुपालन राज्य मन्त्री द्वारा | (15) 48 |
| विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ) | (15) 49 |
| वाक आउट – | (15) 51 |
| विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ) | (15) 52 |
| गैर–सरकारी संकल्प– | |
| (1) एस ० वाई ० एल ० नहर के निर्माण सम्बन्धी (पुनरारम्भ) | (15) 53 |
| (2) शाह आयोग द्वारा हरियाणा के पक्ष से अवार्ड किये गए सभी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य में ट्रांसफर करने सम्बन्धी | (15) 53 |

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 28 मार्च. 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल,
विधान भवन, सैक्टर- 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई ।
अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, we will first take up starred question No. 942 printed at page 1 of the printed list of questions for the 27th March 1985 as it was postponed yesterday and -the public Works Minister will supply the circle-wise information. Thereafter, the list of starred questions for today will be taken up.

Construction of new Roads in the State

***942. Chaudhri Om Parkash :** Will the Minister for public works (B&R) be pleased to state—

- a) the constituency-wise kilometers of new roads constructed in the State during the year 1984-85 ;and
- b) the criteria if any, fixed for the construction of new roads ?

Public Works Minister (Shri Amar Singh) :

- a) As constituency-wise figures are not readily

available information regarding new roads completed during the year 1984-85 circle-wise is given in the statement placed on the Table of the House.

b) Priority is given to construct such new roads which provide links to Harijan Basties where population of Harijans is over 50% and which provide links to non-directory villages having population 250 and above. New roads have also been taken in hand keeping the importance of the area and route in view.

STATEMENT

Statement showing length of roads metalled
during 1984-85 upto 2/85.

Circle-wise.

| Sr. No. | Name of Circle | Length metalled during 1984-85 (upto 2/85) in Kms. |
|---------|----------------|--|
| 1 | Ambala | 13.43 |
| 2 | Bhiwani | 7.91 |
| 3 | Chandigarh | 10.38 |
| 4 | Gurgaon | 26.42 |
| 5 | Hissar | 60.09 |
| 5 | Jind | 27.40 |

| | | |
|----|--------|--------|
| 6 | Karnal | 40.28 |
| 7. | Rohtak | 37.62 |
| | Total | 223.53 |

चौधरी ओम प्रकाश : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में बताया है कि सर्कलवाइज इतनी सड़कें बनी हैं । इन्होंने रिप्लाइ में फिगर्ज बताई हैं स्पीकर साहब, मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा पता है कि. रोहतक जिले में जो नई सड़कें बनी हैं, वे सारी की सारी उन हल्कों में बनी हैं जिन का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करते हैं । इसके अलावा, मन्त्री जी ने सर्कल वाइज सड़कों की फिगर्ज दे दी' कांस्टीच्यूएंसी वाइज फिगर्ज इसलिए नहीं दी क्योंकि सरकार को एक्सपोज हो जाने का खतरा था । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या रोहतक जिले में जिन हल्कों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करते हैं, उन्हीं हल्कों में नई सड़कें बनाई गई हैं?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने बिलकुल गलत बात कही है । सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के हल्कों में ही सड़क बनाई जाए । हरियाणा प्रान्त में हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है मैं माननीय सदस्यों को फिगर्ज के साथ बताना चाहूंगा । अम्बाला जिले में 83 रोडज हैं, जिनकी टोटल लैन्थ 117. 30 किलोमीटर है, जिसमें से 313. 84 तक 41. 58 किलोमीटर सड़कें बनी थीं,

भिवानी जिले में 131 रोडज हैं, जिनकी टोटल लैन्थ 368.17 किलोमीटर बनती है । इसमें से 118.08 किलोमीटर रोडज 31.3.84 तक बन गई थी । इसके बाद 7.25 किलोमीटर और सड़कें बनी हैं और 242. 84 किलोमीटर बैलेंस रहती हैं । इसी तरह से रोहतक जिले में 44 रोडज हैं, जिनकी 15557 किलोमीटर लैन्थ है, इसमें से 4933 किलोमीटर रोडज 313 84 तक बन चुकी हैं । इसके बाद 37. 62' कि० मी० सड़कें और बनी हैं और 68. 62 किलोमीटर बैलेंस रहती हैं । मैं अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि एक सड़क 6 स्टेजिज में बनती है । पहले सड़क के लिये लैड एक्वायर होती है, उसके बाद पुलियां और अर्थवर्क का काम किया जाता है, फिर रोडी बिछाई जाती है, फिर सोलिंग होती है, फिर मैटलिंग का काम होता है और लास्ट में सरफिस कोटिंग करते हैं । माननीय सदस्य चौधरी ओम प्रकाश जी के हल्के में 41 गांव, हैं आड़ वे 41 के 41 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हिसार सर्कल में हांसी सब-डिविजन नम्बर एक और दो में 1980 से लेकर आज तक कोई सड़क बनी है?

चौधरी अमर सिंह : स्पीकर साहब' टोटल 8 सर्कल हैं । हिसार और सिरसा जिले एक सर्कल में आते हैं । यदि माननीय सदस्य किसी एक पर्टीकुलर गांव के बारे में नाम बताएंगे तो उसको देख लिया जाएगा । वैसे इस समय मैं हिसार डिविजन के

बारे में कुछ नहीं कह सकता । हिसार के अन्दर सभी गांव सिंगल लिंक रोड से जुड़े हुए हैं

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल : स्पीकर साहब, भिवानी जिले में 1984-85 में केवल 8 किलोमीटर सड़क बनी है और उसका 243 किलोमीटर सड़कें बनाने का कोटा बकाया रहता है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भिवानी जिले में इतनी कम सड़क बनने का क्या कारण है और जो बकाया लैन्थ रहती है, उसको कब तक बना दिया जाएगा? भिवानी जिले में कुछ गांव ऐ से हैं जो अभी तक एप्रोच रोडज से जुड़े हुए नहीं हैए । मेरे हल्के में एक ढाणी हरिसिंह गांव है, उसको अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त में टोटल 633 ढाणियां है, उनमें से केवल 215 ढाणियों को सड़कों से जोड़ना बाकी है । जो ढाणियां सड़कों से जोडनी बाकी रहती हैं, उनको 7वीं पंचवर्षीय योजना में जोड दिया जाएगा ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, हिसार सर्कल के नारनौल डिवीजन में जिला परिषद ने पांच सड़कें बनाई थीं, वे सड़कें बिल्कुल बेकार हो गई हैं । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन सड़कों को दोबारा बनाने की स्कीम है

। इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एक रोड, बस-स्टैंड से सैक्रेटेरिएट तक बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी एडवोकेटस को आश्वासन दे कर आए थे, क्या उस सड़क को बनाने की कोई योजना विचाराधीन है?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे में स्पैसिफिक इन्फर्मेशन इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है । अगर माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे तो इनको इस बारे में बूता दिया जाएगा ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि हरियाणा प्रान्त. के सारे गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं । मैं इनकी नालेज में यह बात लाना चाहूंगा कि कालका हल्के में 1 ऊ 15 गांव ऐसे हैं, जिनमें से एक गांव की आबादी तो एक हजार से भी ज्यादा है, उस गांव का नाम किरतपुर है । उस गांव के लिए आज से 20 साल पहले जिला परिषद ने सड़क बनाई थी जो आज बिल्कूल नकारा हो चुकी है । इसी तरह से खोल फतेहसिंह, डी ठोल, बसोल, खोल मोला और थनदोग कई गांव हैं जिनको अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है । मैं मती जी से जानना चाहूंगा कि कालका हल्के के जिन गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है उनको कब तक जोड़ दिया जायगा? अगर इन को नहीं जोड़ना है तो मिनिस्टर साहब यह कहना छोड़ दें कि हरियाणा के

सारे गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं । कालका हल्के में पी० डबल्यू० डी० ने पांच पैसे का भी काम नहीं किया है ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रान्त में टोटल 6741 गांव हैं, जिनमें से 137 गांव सड़कों से 'नहीं जुड़े हुए हैं' । उनका विवरण इस प्रकार से है । 7 गांव ऐसे हैं जिनकी सड़कों के बारे में उन गांवों के लोगों ने कोर्ट में केस किए हुए हैं । साहिबी नदी की बैल्ट में 6 गांव हैं जिनको सड़कों से नहीं जोड़ा गया है गं और ये 6 गांव माननीय सदस्य सरदार लछमन सिंह जी के कल्के में हैं । इनके हल्के के सिर्फ 6 गांव ही बाकी रहते हैं । खादर एरिया की बैल्ट में 44 गांव रहते हैं और 250 से कम आबादी की 74 ढाणियां हैं । इस तरह से टोटल 137 गांव बाकी रहते हैं । इसके अलावा, माननीय सदस्य ने यह कहा कि इनके हल्के में एक नए पैसे का भी काम नहीं हुआ है । मैं इनको बताना चाहूंगा कि 31. 3. 1984 तक डिस्ट्रिक्टवाइज जो सड़कें बनाई गई, वे इस प्रकार हैं । कालका अम्बाला जिले का ही पार्ट है । अम्बाला में 2168 किलोमीटर, भिवानी में 1955 किलोमीटर, महेन्द्रगढ़ में? 1552 किलोमीटर, गुडगांवा में 1467 किलोमीटर, फरीदाबाद में 1054 किलोमीटर, हिसार में 2431 किलोमीटर, सिरसा में 1429 किलोमीटर और जींद में 1175 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं ।
(शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन एं कि माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं । जो उन्होंने सवाल पूछा है ये उसका जवाब दे ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, यदि में डिटेल्ड इन्मेंशन नहीं बताऊंगा तो वहन चन्द्रावती जी कहेंगी कि हमें पूरी खबर नहीं दी गई । अगर पूरी खबर नहीं देते हैं, तो ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं बताया जाता । (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, ये सबके तो पहले ही वरी हुई है (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैडम, आप सप्लीमेंटरी पूछे ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, इस बात पर हम सबको एतराज है । ये सड़कें तो पहले ही बनी हुई हैं । इनको सही जवाब देना चाहिए । पता नहीं मंत्री जी क्या पड़ रहे हैं (शोर)

श्री अमर सिंह : वहन जी, आप सवाल पूछे । (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : मैं स्पीकर साहब की इजाजत से सवाल पूछूंगी । (शोर)

श्री अमर सिंह : आप स्पीकर साहब की इजाजत से पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष : ये पूछ रहे हैं कि क्या कालका के अन्दर कोई सड़क इस साल बनाई गई है?

श्री अमर सिंह : में इनके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ (विधन) अब बहन चन्द्रावती न तो सवाल पूछ रही हैं और न ही सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हैं । ये बीच में उठ कर झगड़ा करना शुरू कर देती है । इनके इस झगड़े का इचार्ज मेरे पास नहीं है । स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि जीन्द में 1175 किलोमीटर सड़कें बनाई गई । इतो तरह सोनीपत में 1008 किलोमीटर, करनाल में 1919 किलोमीटर, कुरुक्षेत्र में 1912 किलोमीटर, रोहतक में 1590 किलोमीटर और नेशनल हाई वे पर 655 किलोमीटर, सड़कें बनीं । इसके बाद भी हर डिस्ट्रीक्ट में सड़कें बनाई गईं और फरवरी 1985 तक सारे हरियाणा के अन्दर 19888 किलोमीटर की लम्बाई की बड़के' बनीं हुई हैं । जहां तक कालका का सवाल है उसके बारे में सरदार साहब को बताना चाहूंगा कि जिन गांवों में सिंगल रोड नहीं पहुंची है, उनका ये नाम बता दें । उस गांव को सिंगल रोड से जोड़ने की कोशिश करेंगे ।

श्रीमती शारदा रानी : मंत्री महोदय ने हाउस में बताया हु कि 98 प्रतिशत— गावों को सड़कों से मिला दिया गया है । यही जवाब इन्होंने पिछले सैशन में दिया था कि हरियाणा के 98 प्रतिशत गांव सड़कों से मिले हुए हैं । उश्रसे पहले सैशन में भी यही जवाब दिया गया था । अब मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ

कि जो दो प्रतिशत गांव सड़कों से जोड़ने रहते हैं, उनको कब तक जोड़ दिया जायेगा या वह यों ही मुंह को ओर देखा करेंगे?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, जिन गांवों में अभी तक सिंगल रोड भी नहीं पहुंची है, उनको सिंगल रोड से जोड़ने का पूरा-पूरा कल किया जा रहा है । मैं हाऊस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में हर गांव को सिंगल रोड से जोड़ दिया जायेगा ।

सरदार लछमन सिंह : जब आपके पास बजट में पैसा ही नहीं है तो सड़कें कहां से बनाओगे? (व्यवधान)

श्री हरि चन्द हुड्डा : स्पीकर साहब, यह सवाल रोहतक के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : ये जो कह रहे हैं, रिकार्ड न किया जाये ।

श्री ए० सी ० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जिलावार डिटेल्ज दी है । इस लिखित जवाब के अन्दर इन्होंने 8 जिलों यानि 8 सर्कल्ज का जिकर किया है । इस लिखित जवाब में फरीदाबाद का कहीं पर नाम नहीं है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद का नाम इनके ध्यान से लूक तो नहीं गया? इन्होंने यह भी कहा कि सारे गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है । मेरे हल्के में एक गांव ज्योत्सीपुर है, इसको अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है जबकि यह गांव सारी शर्तें पूरी करता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि

क्या मौजूदा साल के दौरान इस गांव में सड़क बनाने का कष्ट करेंगे?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने यहां पर कहा है कि इस लिस्ट में फरीदाबाद का नाम नहीं आया । मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद गुड़गांव सर्कल में आता है । मैंने जो लिखित स्टेटमेंट दी है, वह सर्कल वाईज दी है । अब जिस गांव का जिकर इन्होंने किया है, हम उसकी पूरी छानबीन करेंगे । यदि उस गांव में सिंगल लिंक रोड नहीं है तौ उस गांव को जरूर सिंगल रोड से जोड़ेंगे ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मंत्री जी बताएंगे कि भिवानी में कम किलोमीटर सड़क क्यों बनी हैं? दूसरी बात यह है कि जो फिगरज मंत्री जी ने दी हैं यह गलत दी हैं । इसके साथ-साथ मैं रोहतक और करनाल जिते की सड़कों की ब्रेक-अप जानना चाहती हूं ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे बिल्कूल सही हैं । स्पीकर साहब, 31. 3. 84 तक सड़कें जहां-जहां पर बनी डैश, वह फिगर मैं आपको बता देता हूं । भिवानी में भी सड़कें बनी हैं । अम्बाला सर्कल में 41. 58 किलोमीटर, भिवानी में 118 कि ० मी० और चण्डीगढ सर्कल में 14. 58 किलोमीटर उड़के बनी हैं । (विधन)

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, ये जवाब ठीक नहीं दे रहे । मैंने अपने सवाल में रोहतक और करनाल जिले के बारे में पूछा है कि वहां की ब्रेक-अप कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : यदि आपके पास करनाल और रोहतक जिलों की सड़कों के बारे में ब्रेक-अप-वाइज आंकड़े हों तो वह इनको बता दें ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, ब्रेक-अपवाइज आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं है । करनाल के अन्दर 109 रोडज हैं । इनकी लम्बाई 332.09 किलोमीटर है । इनमें से 31. 3. 84 तक 12 2. 43 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बन चुकी थीं । इस सारन वहां पर 40. 28 किलोमीटर सड़कें बनी हैं । अभी वहां पर 189.50 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बननी बाकी हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती : मेरा सवाल यह है कि जो फिगरज आपने हाउस 'की टेबल पर रखी हैं', उसके हिसाब से रोहतक और करनाल जिले के किन-किन गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है?

श्री अमर सिंह : मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरह की इन्फर्मेंशन मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्रीमती बसंती देवी : स्पीकर साहब, यह सवाल रोहतक जिले के बारे में है

श्री अध्यक्ष : आप सवाल को अच्छी तरह से तो पढ़ करके देखती नहीं । अभी कुछ देर पहले हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि यह सवाल रोहतक जिले के बारे में है । सवाल जिस प्रकार से पूछा गया है, वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ । इस सवाल में लिखा है—

" the constituency -wise kilometers of new roads constructed in the State during the year 1984-85.

आप सवाल को तो पढ़ कर देखती नहीं । आप हाउस का समय अननसैसरी खराब कर रही हैं । अब तो आपको पता लग गया होगा कि यह सवाल सारी स्टेट के बारे में है ।

Shrimati Basanti Devi : I am very sorry, Sir.

Chaudhri Phool Chand : Sir, we are proud of the fact that we are first in whole of the country in linking the villages with roads. May I know from the Hon'ble Minister the time by which the villages having a population of 259, whether they are directory villages or non-directory villages, will be linked with roads ?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि जो गांव सिंगल रोडज से जुड़ने रहते हैं उनको 7 वीं योजना में जोड़ दिया जायेगा, चाहे उनकी आबादी 250 से कम है या 250 से अधिक है ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, सरकार की एक तो यह पालिसी हुं कि जिन गांवों में रोड नहीं है, उनको रोड दी जाये और दूसरी पालिसी सरकार की यह है कि एक गांव को दूसरे गांव की रोडज से जोड़ दिया जाये । मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार एक तौ एप्रोच रोडज बनाती है और दूसरे लिंक रोडज बनाती है । जो ब्योरा मंत्री जी ने दिया है, उसमें से कितने लिंक रोडज बनाए गए हैं और कितने एप्रोच रोडज?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, सरदार लछमन सिंह जी ने बैठे बैठ कहा है कि सरकार के पास जब बजट में सड़के बनाने के लिए पैसा ही नहीं है तो सड़कें कहां से बनायी जाएंगी । अध्यक्ष महोदय, चालू साल के दौरान वर्ष 1985-86 में साढ़े 15 करोड़ रुपया नई सड़को के निर्माण के लिए रखा गया है और साढ़े 12 करोड़ रुपया, जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं उनकी रिपेयर करने और चौड़ा करने के लिए रखा गया है । इस प्रकार कुल मिलाकर 1985-86 में सड़कें बनाने के लिए 28 करोड़ रुपये रखे हैं, यानि 28 करोड़ रुपया सड़कों पर एक साल में खर्च होगा । जहां तक कालका हल्के के या दूसरी जगहों के गांव, जो सड़कों से जोड़ने बाकी रहते हैं का सवाल है, उनको 7वीं योजना के दौरान सड़क से जोड़ दिया जायेगा ।

श्री लछमन सिंह : कालका में कोई सड़क नहीं बनी ।
(व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : मैं यह मान कर चलता हूँ कि कालका के कुछ गांव पहाड़ियों पर पड़ते हैं इसलिए उन्हें अब तक सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है । यह महकमा इनके पास भी रहा है, ये खुद तो बना नहीं सके लेकिन हमने वहां पर भी काफी सड़कें बनाई हैं ।

श्री लछमन सिंह : कालका का जो मैदानी एरिया है, उनमें भी कई गांवों में सड़कें बननी रहती है ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि पहाड़ी एरिया पर कुछ गांव हैं, उनमें सड़कें—अभी तक नहीं बनी हैं । अब ये कह रहे हैं कि मैदानी एरिया में भी सड़कें नहीं बनी हैं । हो सकता है मैदानी एरिया के गांवों के इर्द गिर्द नदी पड़ती हो जिस के कारण उन गांवों में सड़क नहीं पहुंच पाई हो । सरकार ने वहां पर अगली सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो शुरू होने जा रही है, हरियाणा प्रांत का कोई गांव, चाहे उसकी आबादी 100 की हो, चाहे वह गांव कहीं भी बस रहा हो, पहाड़ के ऊपर हो, चाहे मैदान में हो, कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जो सड़क के साथ न मिला हो । हर गांव को सड़क के साथ अगले पांच सालों में मिला दिया जायेगा ।

तारकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Now today's list of questions will be taken up. Irrigation by Jhallar System

***820. Chaudhri Bahir Singh Grewal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the district-wise detail of the total acreage of land irrigated by Jhallar system during the last five years in the State togetherwith the districtwise detail of the rate at which the abiana (water tax) is realised under the said system; and

(b) whether it is a fact that the rate of the abiana (water tax) for the land irrigated by Jhallar system is half of the abiana of the land not irrigated by it ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh, Surjewala) :

(a) and (b) : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The total acreage of land irrigated by Jhallars during last 5 years districtwise is as under.

| | | | |
|----|------------------|---------|-------|
| 1. | Karnal District | 1692.05 | Acres |
| 2. | Rohtak District | 456.00 | ” |
| 3. | Sonepat District | 3277.00 | ” |
| 4. | Ambala District | 476.00 | ” |
| 5. | Sirsa District | 26405 | ” |
| 6. | Hissar District | 3923.50 | ” |

| | | | |
|-----|----------------------|----------|---|
| 7. | Jind District | 737.00 | ” |
| 8. | Kurukshetra District | 10774.42 | ” |
| 9. | Faridabad District | 3823.00 | ” |
| 10. | Gurga on District | 1760.00 | ” |

The rate of the abiana which is different for different crops for Jhallars (Lift operated and maintained by the cultivators) is being charged as per schedule of water rates appended with the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976.

(b) The rate of abiana for the land irrigated by Jhalla r system for the lift operated and maintained by the cultivators is half of the abiana of the land irrigated by flow/lift channel maintained and operated by the Department.

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में लगभग 50 हजार एकड़ जमीन में झालर सिस्टम से पानी लगता है । मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दी है, इसमें जिला भिवानी का नाम मैंन्शान्ड नहीं है । एक तो आप भिवानी के बारे में बतायें कि इस जिला में झालर सिस्टम से कितने एरिया में पानी लगता है । दूसरे जो किसान झालर सिस्टम के तहत सिंचाई होने वाली जमीन का पूरा आबियाना दे रहें हैं, जबकि यी आधा होना चाहिए, क्या सरकार इस आबियाने को यानी इस पैसे को अगले आबियाने में एडजस्ट करेगी? जो लोग पूरा आबियाना दे रहे हैं, इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार की तरफ से तहसीलदारों को

और किसानों को आधा आबियाना वसूल करने की इक्विवलेंट दी गई थीं अगर नहीं तो— इसके क्या कारण हैं?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, भिवानी लिफ्ट कैनल पर है, वहां पर झालर सिस्टम का आउट-लैट लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहां पर कैनल को लिफ्ट करके इसका पानी आग्र कर दिया गया है, वहां पर झालर सिस्टम नहीं है । कई लोग समझते हैं कि झालर सिस्टम प्राइवेट सिस्टम है । प्राइवेट सिस्टम इस सेंस में है कि सिंचाई वगैरा इरीगेशन डिपार्टमेंट की सहायता से की जाती है । किसान अपने खेत में पानी लगा लेता है और अपना रकबा कमांड में शामिल करवा लेता है । बाद में झालर लगा लेता है जिससे बैलों और ऊंटों की सहायता से खेतों को पानी लगाता है । जहां पर हम झालर सिस्टम सैंक्शन करते हैं, वहां कम से कम 80 एकड़ कम्पैक्ट एरिया होना चाहिए । वह एरिया जहां पानी पलों से न लगता हो, कमांड से बाहर हो और वह एरिया कम्पैक्ट हो, उस एरिया में झालर सिस्टम चालू कर सकते हैं । और ऐसे ही एरिया में झालर आउट-लैट सैंक्शन करते हैं । जो किसान झालर सिस्टम से इरीगेशन करेंगे, उनको नार्मली आधा आबियाना देना पड़ेगा ।

श्री नेकी राम : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो किसान अपने आप झालर नहीं लगा सकते और गवर्नमेंट से लगवाना चाहते हैं, क्या सरकार उनको झालर लगा कर देगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जब मैं जवाब दे रहा था, उस वक्त शायद चौधरी नेकी राम जी का ध्यान इधर नहीं था । जो किसान अपने खेत में झालर नहीं लगा सकते और उनका रकबा ऊंचा है तो वे झालर के आउट लैट के लिए एप्लाइ कर सकते हैं और इस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं ।

डा० भीम सिंह दहिया : स्पीकर साहब, मेरा सवाल झालर के बारे में नहीं है, मेरा सवाल जनरल है और आबियाने के बारे में है । स्पीकर साहब, आज कर्ल सरकार द्वारा किसान से पर एकड़ के हिसाब से आबियाना लिया जाता है चाहे किसान अपनी जमीन को पानी देता हो, चाहे न देता हो, चाहे 'ट्यूबवैल के जरिये से पानी पूरा देता हो, चाहे बरसात के पानी को इस्तेमाल करता हो, आबियाना उस पर लग ही जाता है । आबियान पूरा लगाना या कम लगाना, यह ज्यादातर पटवारी साहब की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह किसी को फेवर करना चाहता है, किसको नहीं करना चाहता । जब पानी मैयर किया जाता है, बाकायदा नापा जाता है । जब टाईम का भी पता हो कि किस जमींदार को कितना टाईम पानी मिलता है, 40 मिनट मिलता है या 2 घंटे मिलता है, जब ऐसी पोजीशन हो तो आबियाना एक्चुअल कंजम्पशन पर क्यों नहीं लिया जाता, ज्यादा आबियाना क्यों लिया जाता है? क्या आप ने इस बात पर कभी विचार किया है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ हम इस बात पर विचार करेंगे, बल्कि हमारे पास ऐसी स्कीम

है । जिला रोहतक और हिसार के कुछ एरियाज में वाल्यूमेट्रिक सिस्टम है शायद आनरेबल मेंबर को इस बात का ज्ञान हो । सरकार ने एक स्कीम निकाला है जिस के तहत आउटलैट के ऊपर एक मीटर लगाते हैं । इस में यह बात नहीं है कि पानी की बारी मिली है या न मिली है इस में यह है कि जितना पानी मीटर मे से निकलेगा उसकी रीडिंग आ जायेगी । जिस प्रकार घर में पब्लिक हेल्थ वालों ने मीटर लगा रखे हैं, उसी प्रकार का मीटर है, अगर वह मीटर ज्यादा चलता है तो उसी हिसाब से चार्जिज हो जाएंगे । ये मीटर सरकार ने तजर्बे के तौर पर लगाये हैं, बहन जी को इसका पता है, इनके एरिया में ऐसे मीटर लगाये हैं लेकिन इन्होंने बार-बार सरकार को कहा है कि इन मीटर्ज को रिमूव कर दिया जाए और किसान को पुराने सिस्टम से ही पानी दिया जाए ।

श्री हीरा नन्द आर्य : शायद आपने रेट्स ज्यादा लगाये होंगे ।

चौधरी शमशेर सिंह सूरजेवाला : रेट्स तो पुराने सिस्टम के मुताबिक कैलकुलेट किये हैं । इसमें तो किसान की मर्जी की बात है, किसान इस सिस्टम को शायद नहीं चाहता । मतलब यह है कि किसान ने इसको पसन्द नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, मैं वाटर अलाउंसिज के बारे में एक बात बताना चाहूंगा । वाटर अलाउंसिज मुख्तलिफ नहरों पर मुख्तलिफ हैं । भाखडा से आने वाले पानी पर 24 क्युसिक थाउजैडं एकड़ लिफ्ट कैनाल इरीगेशन पर 305 क्युसिक थाउजैडं एकड़ । लिफ्ट कैनाल के

चार्लिज डबल्यू ० जे ० सी० के बराबर हैं, कोई अन्तर नहीं है, मुख्तलिफ मेन-काप्स के चार्लिज में अन्तर है लेकिन वह डबल्यू० जे० सी० के एरिया से कुछ कम है । मुख्य क्रापस के चार्लिज इस प्रकार हैं. भाखडा प्रिया में शूगर केन पर 40 रूपये पर-एकड़, डबल्यू ० जे ० सी० एरिया में 34 रूपये पर-एकड़ । राईस का दोनों जगहों पर 30-30 रूपये, कौटन का दोनों जगहों पर 25-25 रूपये । व्हीट का भाखडा में 25 रूपये, डबल्यू ० जे ० सी० में 18 रूपये । बारले का भाखडा में 27 रूपये, डबल्यू ० जे० सी ० में 19 रूपये और आयल-सीड का भाखडा में 27 रूपये, डबल्यू ० जे ० सी० में 19 रूपये पर-एकड़ । ग्राम का भाखडा में 20 रूपये, डबल्यू ० जे ० सी ० में 14 रूपये फी एकड़ है । 1983-84 में टोटल इरीगेटिड एरिया है 40,7 5, 307 एकड़ और इस एरिये का 1100 लाख रूपये का अमाउट असैस किया है ।

**Appointment of Clerks/Secretaries in Central
Cooperative Bank, Rohtak.**

Chaudhri Om Parkash : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any posts of Clerks and Secretaries were advertised by the Central Cooperative Bank. Rohtak in 1984 ; and

(b) if so, the names, qualifications and permanent addresses of the candidates, if any, selected together with the criteria. adopted for the selection thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

क) हां ।

ख) विवरण सूची सदन के पटल पर रखी जाती है ।

STATEMENT

| Sr. No. | Category of post. | Name of candidate selected. | Permanent addresses of candidates selected, | Qualification of candidate selected. | Criteria |
|---------|-------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Sarvshri:— | | | |
| 1. | Clerk | Devinder Kumar | s/o Sh. Sat Parkash Silani Gate, Jhajjar. | B.Com. | Merit on the basis of marks obtained by candidates in the inter-view. |
| 2. | —do— | Deepak Kumar | s/o Sh. Banarsi Dass, 19, Ram Nagar. behind Old Power House Rohtak. | B.A. | —do— |
| 3. | —do— | Sarita Rani | C/o Sh. K.L. Madan, H.No. 421 Bara pana, | M.A. | |

| | | | | | |
|----|------|----------------|---|---------------|------|
| | | | Kalanaur (Rohtak) | | |
| 4. | —do— | Naresh Kumar | S/o Sh. Mahabir Singh Vill. Tampura (Barani) P.O Gwalison Distt. Rohtak. | B.A. | — o- |
| 5. | —do— | Ram Kumar | S/o Sh. Birbal C/o Sh. Kashi Ram Bishnoi. Hotal Shop No. 9, Shri Guru Jambheswar Market, Hissar. | B.A. | —do- |
| 6. | —do— | Jagbir Singh | s/o Sh. Chander Singh, V.P.O. Mehmudpur, Teh. Gohana(Sonepat) | B.Com. | —do— |
| 7. | —do— | Bimia Devi | w/o Sh. Rajinder Singh, V.P.O. Nilothi, Distt. Rohtak. | B.A. B.Ed. | —do— |
| 8. | —do— | Manohar Singh. | s/o, Sh Bhagirath Singh V.P.O. Lohani, Distt. Bhiwani. | B.A. | —do— |
| 9. | —do— | Udhey Singh | s/o Sh. Rattan Singh, V.P,O. Padla, | B.A. | —do- |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|---|------|---|
| | | | Teh. Kaithal, Distt. Kurukshetra. | | |
| 10. | —do— | Kishori Lal | s/o Sh. Bhalley Ram V.P.O. Rawalwas Kalaa Distt. Hissar. | B.A. | —do- |
| 11. | —do— | Surat Singh | s/o Sh. Candgi Ram Garanurhi Distt. Rohatak | B.A. | —do- |
| 12. | —do— | Hans Raj | s/o Sh. Badh Raj Verma Book Depot, Jhajjar (Rohtak) | B.A. | —do- |
| 13. | Clerk | Ram Kumar | s/o, Sh. Shanker Dass, V.P.O., Patwapur, Distt. Rohtak | B.A. | basis Merit on the of marks obtained by candidates in the interview. |
| 14. | —do-- | Shive Singh | s/o Sh. Mani Ram, V.P.O. Jakhod Khera, Distt. Hissar. | B.A. | —do- |
| 15. | —dc— | Krishan Dass | s/o Sh. Hira, V.P.O. Siswal via Mandi Adampur Distt, | B.A. | —do-- |

| | | | | | |
|-----|------|-----------------|--|-----------------|------|
| | | | Hissar. | | |
| 16. | —do— | Dalbir Singh | s/o Sh. Moman Ram, V.P.O. Siswal, Teh. Mandi Adampur Distt, Hissar. | B.A. | —do— |
| 17. | —do— | Rajinder Singh. | s/o Sh. Hoshiar Singh. Viii Lowa Khurd, P.O, Noona Majra (Rohtak) - | B.Com. LL.B. | —do— |
| 18. | —do— | Balwan Singh | s/o Sh. Surjan V.P.O. Kharainti, Distt. Rohtak. | B.A. | —do— |
| 19. | —do— | Tilak Raj | s/o Sh. Gokal Dass, V.P.O: Kabrel, Teh. Adampur Distt. Hissar. | B. Coin | —do— |
| 20. | —do— | Ramesh Kumar | s/o Sh. Banbir Singh Tanwar V.P.O. Devsar Distt. Bhiwani. | B.A. | |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|---|------|--|
| 21. | —do-- | Surjit Singh | sio Sh.Banwari Lal, V.P.O. Dangra, Teh. Tuhana (Hissar). | B.A. | —do- |
| 22. | —do— | Bhoop Singh | s/o Sh.Harphool Singh V.P.O. Sadalpur, Teh. Mandi Adampur, Distt. Hissar. | B.A. | —do- |
| 23. | —do-- | Bimla Malik | w/o Late Sh. Ajit Singh Malik, V.P.O. Kharawar, Distt. Rohtak. | B.A. | —do-- |
| 24. | —do-- | Raj Rani | d/o Sh. Ran Singh. H.No. 484-B, Sant Nagar, Rohtak. | B.A. | — do— |
| 25. | --do— | Chander Pal | s/o Sh. Yash Pal, V.P.O. Jakholi, Distt. Sonapat. | B.A. | —do- |
| 26. | Clerk | Asha Rani | s/o Sh. Harbans Lal Khatter, H.No. 500/ Charnel! Market, Rohtak. | B.A. | Merit on the basis of marks obtained by candidates in the interview. |
| 27. | —do-- | Ram Phal Singh | s/o Sh. Chander Singh V.P.O. Kheri | B.A. | —do— |

| | | | | | |
|-----|---------------|----------------------|--|-----------|-------|
| | | | Distt. Rohtak. | | |
| | —do— | Kapoor Singh | s/o Ram Kishan V.P.O Talao Distt. Rohtak. | B.A.B.Ed. | -do- |
| 29. | —do— | Pritam Lal Harit. | s/o Sh. Rishi Ram H.No. 14, Karorimal Colony, near Civil Hospital Bhiwani | B.A. | —do-- |
| 30. | —do-- | Dalel Singh Punia | s/o Sh. Ram Sarup V. Ude Pur PO Durjanpur Teh. Narwana (Jind) | B.A. | —do— |
| 31. | —do-- | Satish Kumar | s/o Sh. Sir! Niwas, 119/7 Babra, Mohalla, Near PNB, Rohtak. | B.Com | —do- |
| 1. | Secretar y | Rajbir Singh | s/o Sh. Dalip Singh, P.O. Bond Kalan Distt. Bhiwani. | B.A.I. | —do- |
| 2. | —do-- . | Dharam Pal | s/o Sh. Sant Lal, V.P.O. Baliyana, | Matric | —do- |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|---|--------|---|
| | | | Distt. Rohtak. | | |
| 3. | - do— | Balbir Singh | s/o Sh. Hari Kishan V. Kalupur Distt. Sonepat. | Matric | —do— |
| 4. | --do— | Nar Singh | s/o Sh. Kanshi Ram, VPO Adampur, Distt. Hissar. | Manic | —do— |
| 5. | —do — | Rajbir Singh | s/o Sh. Randhir Singh, V.P.O. Baliana, Distt. Rohtak. | —do— | —do—: |
| 6. | —do-- | Om Parkash Sharma. | s/o Sh. Ganpat Ram, V.P.O Choudhriwas, Distt. Hissar | —do-- | —do-- |
| 7. | —do-- | Ghisa Ram | s/o Sh. Neki Ram, V.P.O. Shahpur Hissar. | —do-- | —do |
| 8. | Secretar y | Vishnu Datt | s/o Sh. Kehso Rain, V.P.O. Tumbaheri, Teh. Kosli, Distt, Rohtak. | Matric | Merit on the basis of marks obtained by candidates in the interview |

| | | | | | |
|----|--------|----------------|--|---------|------|
| 9. | —do— | Rajinder Singh | s/o Sh. Phullu Ram, V.P.O. Nigana, Rohtak. | M.A. | —do— |
| | —do— | Ranbir Singh | .s/o Sh. Mangal Ram V.P.O. Uchana Khurd, Teh. Narwana Distt. Jind. | Matric | —do— |
| | --do-- | Nathu Ram | s/o Sh. Jora Ram, V.P.O. Jakhod Khera, Distt. Hissar. | Inter | —do— |
| | —do— | Mohinder Singh | s/o Sh. Lala Ram. Vill. P.O. Balsamand Distt. Hissar | Matric. | —do— |

चौधरी ओम प्रकाश : स्पीकर साहब मुख्य मन्त्री महोदय ने मेरे सवाल के पार्ट (सी) के जवाब में एक स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखी है । इस स्टेटमेंट को देखने से मालूम हो रहा है कि क्लैरिकल पोस्ट्स के लिए और सैक्रेटरीज की पोस्ट्स के लिए सिलैक्शन इन्टरव्यू के आधार पर न होकर, क्वालिफिकेशन के आधार पर न होकर, मैरिट के आधार पर न होकर, केवल पोलिटिकल कंसीडरेशन के आधार पर किया है । इन आंकड़ों के आधार पर 31 कैंडीडेटस क्लैरिकल पोस्ट्स पर लगाये गये जिनमें

से 8 हिसार जिला. के रहने वाले हुए और इन आठ में से सात आदमपुर हल्के के रहने वाले हैं, एक टोहाना हल्के का है । इसी तरह दो सोनीपत से, 3 भिवानी से, एक कुरुक्षेत्र और एक जींद से है । रोहतक के केवल माल 16 लगाये गये हैं । जहां तक सैक्रेटरीज की पोस्ट्स का ताल्लुक है, इस में 12 कैंडीडेट्स सिलैक्ट हुए । इन 12 में से 5 हिसार के रहने वाले हैं और पांचों बुई आइमपु कांस्टीच्युएंसी के रहने वाले हैं । 4 रोहतक जिले के हैं, एक भिवानी का है, एक जीन्द का है और एक सोनीपत का है । इससे साफ जाहिर होता है कि सिलैक्शन पोलिटिकल बेसिज पर की गई है । स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में 12 जिले हैं और हर जिला हैड क्वार्टर पर सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक मौजूद हैं । जब हिसार जिले के सहकारी बैंक में नौकरियों का सिलैक्शन होता है तो उसमें तमाम हिसार जिले के उम्मीदवार लिए जाते हैं अरि जब दूसरे जिलों में कोआप्रेटिव बैंक के लिए कर्मचारियों का सिलैक्शन होता है तो उस सिलैक्शन में भी ज्यादातर हिसार जिने के कैंडोडेट्स ही होते हैं । इसके साथ ही साथ मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इसका इन्टरव्यू मई-जून 1984 में हुआ था, लेकिन माह जनवरी, 1985 में सिलैक्शन होती है । जब इन्टरव्यू हुआ था, सिलैक्शन की लिस्ट उसी वक्त शायी क्यों नहीं की गई, इतनी देर क्यों कर दी?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें ।

चौधरी ओम प्रकाश : मैं पूछना चाहता हूँ कि यह सिलेक्शन इन्टरव्यू के आधार पर की गई है या पुलिटिकल कंसीड्रेशन पर की गई है । रोहतक जिले में बेरी हल्के का एक भी कैंडीडेट नहीं लिया गया । जो हल्के कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्हीं हल्कों से कैंडीडेट्स लिये गये हैं. ए सा क्यों है? 10.00 बजे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश जी वकील भी हैं और काबिल मैम्बर भी हैं लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा, यह सचार्इ पर आधारित नहीं है । एक बात की मुझे खुशी है कि परसों मांगे राम जी ने यह कहा था कि रोहतक जिले का एक भी आदमी नहीं लिया गया और यह अच्छी बात हो गई कि आज यह सवाल आ गया । ओम प्र काश जी ने, बोलते हुए कहा कि 31 क्लर्कों में से केवल भाव 16 रोहतक जिले से लिए गए । अध्यक्ष महोदय के साथ केवल माल शब्द लगाया जा सकता है लेकिन 16 के साथ नहीं । फिर इन्होंने कहा कि सिलैक्शन मैरिट के आधार पर नहीं की गई । स्पीकर साहब! बाकायदा मैरिट के आधार पर सिलैक्शन की गई है । बी ० ए ० और बी ० ए ० बी ० एड ० क्वालि— फिकेशन वाले लोग लिए गए हैं । (विधन) जहां तक आदमपुर हल्के के ही लोगों को नौकरी देने का सवाल है, यह भी सचार्इ नहीं । लेकिन यह सच है कि हिसार जिले के 8 लड़कों को सिलैक्ट किया गया है । इनमें से एक ने चूंकि ज्वाइन नहीं किया इसलिए इनकी संख्या 7 रह गई है । स्पीकर साहब, बाकी किलों के भी लड़के लिए गए हैं । इनमें आदमपुर हल्के के भी हैं

। इनका यह कहना बिल्कुल गलत है कि पोलिटिकल आधार पर सिलैक्शन हुई है । यह सिलैक्शन मैरिट के आधार पर हुई है ।
(विधन)

चौधरी ओम प्रकाश : इसमें बेरी और बादली हल्के के लड़के क्यों नहीं हैं

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, 13- 14 लड़के आदमपुर के हैं । (शोर)

चौधरी भजन लाल : हिसार जिले के 7 लड़के लिए गए हैं । एक लड़के ने ज्याइन नहीं किया । (विधन) मैं क्लर्कों की बात कर रहा हूं । (विधन) अध्यक्ष महोदय, सिलैक्शन की बात इन्होंने की । उसके लिए वाकायदा कमेटी बनी हुई है । उस कमेटी में रोहतक जिले के दो मैम्बर हैं । उनके नाम हैं चौधरी प्रीतम सिंह और चौधरी राम सिंह जाखड, जो बहुत पुराने फ्रीडम फाईटर हैं । इनके अलावा, डी ० आर ०, ए ० आर ० और एम ० डी ० थे । इन पांचों आदमियों ने बैठकर सिलैक्शन की है । सिलैक्शन के अन्दर इन्टरव्यू लेने वालों ने, जिनको मुनासिब समझा, उनको सिलैक्ट किया है । इस सिलैक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट में भी दो भाई गए हुए हैं । चूंकि यह केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है, इसलिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताना मुनासिब नहीं होगा । यह केस सबजुडिस है । माननीय सदस्यों से भी मैं

यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी बात न कहें, जिससे कोई दिक्कत वाली बात हो । हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है । उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी न आ जाए । (शोर) स्पीकर साहब, यह कहते हैं कि बेरी का कोई आदमी नहीं लगा, झज्जर के इलाके का कोई आदमी नहीं लगा । हमने बाकायदा इनको जानकारी दी हुई है, यह इसे पढ लें । रोहतक जिले के 24 लड़के लगे हैं । यह बात इसमें लिखी हुई है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने चौधरी ओम प्रकाश जी की सप्लीमेंटरी का जवाब देते हुए फरमाया कि हिसार जिले के लोग जरूर लगे हैं परन्तु यह बात गलत है कि उनमें से सारे आदमपुर हल्के के ही हों । सैक्रेटरीज की सिलैक्शन के बारे में इन्होंने जो लिस्ट दो हुई है, सबसे पहले मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करूंगा । इसमें 12 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं । मुख्य मन्त्री जी कृपया यह बताएं कि सीरियल नं० 4 पर जो श्री नर सिंह, सन आफ श्री काशी राम, विलेज एण्ड पोस्ट आफिस आदमपुर, लिखा है, यह आदमपुर हल्के का है या नहीं है? इसी तरह सीरियल नं० 6 पर जो श्री ओम प्रकाश शर्मा, सन आफ गनपत राम, विलेज एण्ड पोस्ट आफिस चौधरीवास का नाम लिखा है, यह गांव आदमपुर हल्के में है या नहीं है? इसके बाद सीरियल नं० 7 को ले लें । इसमें लिखा है श्री घिसा राम, सन आफ श्री नेकी राम, विलेज एंड पोस्ट आफिस शाहपुर हिसार । यह आदमपुर कांस्टिचुएँसी में है या नहीं है?

सीरियल नं ० 11 पर श्री नत्थू राम सन आफ श्री जोरा राम, विलेज एंड पोस्ट आफिस जाखोद खेड़ा का नाम है । यह गांव आदमपुर हल्के का है या नहीं है ' उसके बाद सीरियल नं ० 12 पर श्री मोहिन्द्र सिंह, उन आफ श्री लाला राम, विलेज एंड पोस्ट आफिस बालसमंद का नाम है । इसके बारे में भी यह बता दें कि यह इनकी कांस्टिचुएँसी का है या नहीं है । अब सैर, मैं क्लर्को की लिस्ट पढ्गा (विघ्न) सीरियल नं ० 10 श्री किशोरी लाल-- सन आफ श्री भले राम, विलेज एंड पोस्ट आफिस रावलवास कलां का नाम है । क्या यह गांव इनके हल्का आदमपुर में है या नहीं है ? सीरियल नं ० 14 पर श्री शिव सिंह, सन आफ श्री मनी राम, विलेज एंड पोस्ट आफिस जाकोद खेड़ा का नाम है । यह आदमपुर कांस्टिचुएँसी में है या नहीं है? सीरियल नं० 15 पर कृ ष्ण दास, सन आफ हीरा का नाम है । यह विलेज एण्ड पोस्ट आफिस सीसवाल का रहने वाला है । क्या यह गांव इनकी कांस्टिचुएँसी में है या नारनौद कांस्टिचुएँसी में है? सीरियल नं ० 16 के श्री दलबीर सिंह भी ग्राम सीसवाल का रहने वाले हैं । क्या इसके बारे में ये बताएंगे कि यह आदमपुर हल्के का है या नहीं है? सीरियल नं ० 19 पर श्री तिलक राज का नाम है । यद् विलेज एंड पोस्ट आफिस कावरेल का रहने वाला है । यह आदमपुर में है या मेरे हल्के में या सम्पत सिंह जी के हल्के में पडता है? सीरियल न० 21 पर श्री सुरजीत सिंह तथा सीरियल नं ० 22 पर श्री भूप सिंह का नाम है । मुख्य मन्त्री जी कृपया इनके

गांव की लोकेशन भी बता दें कि यह गांव किस हल्के में पड़ते हैं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग आदमपुर हल्के के भी हो सकते हैं । (विधन) मैं कहता हूँ कि आदमपुर हल्के के भी हैं और दूसरे हल्कों के भी हैं । (विधान) अध्यक्ष महोदय, आदमपुर हल्का पाकिस्तान में नहीं है । यह हरियाणा का ही हिस्सा है । अध्यक्ष महोदय, यह हल्का बहुत सालों से पीछे रहा है । (शोर) अठाई साल तो इसे चौधरी देवी लाल जी ने पीछे रखा । (शोर) अध्यक्ष महोदय, जो हल्का पीछे रहा है, उस हल्के को दूसरे हल्कों के बराबर लाने के लिए जो भी संभव कोशिश हो सकेगी, उसे सरकार करेगी ताकि उस हल्के के लोगों को भी दूसरे हल्के के लोगों के बराबर सर्विस मिल सके और वहां तरक्की के काम भी हो सकें । (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, ये गलत ब्यानी क्यों करते हैं? यहां इनको गलतब्यानी नहीं करनी चाहिए । (शोर)

चौधरी भजन लाल : जब चौधरी देवी लाल ने एक-एक गांव के पांच पांच आदमी बहुत ही ऊंची जगहों पर लगाए थे, उस वक्त आप कहां थे? (शोर) व्होने किसी को कमीशन का मैम्बर बना दिया था और किसी को बोर्ड का मैम्बर बना दिया था । (शोर)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठे । मैं आनरेबल मैम्बर्ज से रिक्वैस्ट करूंगा कि शोर डालने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान है

। शोर डालने से सारा टाईम जाया हो जाएगा । जो बात आप चाहते हैं वह वीरेन्द्र सिंह जी ने सारी पूछ ली है और उसका जबाब भी आ गया है । (विघ्न) हर मैम्बर को मैं सप्लीमेंटरी पूछने का समय नहीं दे सकता, यह मेरी मजबूरी है ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल तो टिकट भी अपने गांव के लोगों के अपादा किसी को नहीं देते, नौकरी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी फूलचन्द । (शोर)

चौधरी फूल चन्द : स्पीकर साहब.... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ऐसे शोर में मैं किसी को सप्लीमेंटरी पूछने का समय नहीं दूंगा । जब ये बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए । क्या इनको बोलने का हक नहीं है?

चौधरी फूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने बताया है कि सहकारी बैंकों में सिलैक्शन का निर्णय बोर्ड करता है और रोहतक के सहकारी बैंक का निर्णय बोर्ड ने ही किया है । स्पीकर साहब, जब कोई सिलैक्शन की जाती है तो सरकारी क्षेत्र में रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाता है । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कोआपरेटिव अदायारों में रिजर्वेशन का पूरा ध्यान रखा जायेगा?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है उस बारे में पूरा ध्यान रखा जाता है और सरकार यह भी चाहती है कि जो पहले गैप रह गया है और पूरो सर्विस में नहीं भरा गया, उस गैप को भी सरकार पूरा करने की कोशिश करती है, चाहे वह गैप ज्यादाती के कारण हो, चाहे योग्यता के आदमी न मिलने के कारण रह गया हो, उसे पूरा करने की कोशिश करती है । सरकार बैकवर्ड, हरिजन, अंगहीन और एक्स-सर्विसमैन का रिजर्वेशन में पूरा ध्यान रखती है ।

चौधरी धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आप के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह बोर्ड इलैक्ट्रिक थ्रू या नोमिनेटिड था? दूसरे, सचिवों की लिस्ट में नम्बर नौ पर श्री राजेन्द्र सिंह को सिलैक्ट किया गया है, जबकि इस की क्वालिफिकेशन एम० ए० है । इसकी एम० ए० क्वालिफिकेशन होते हुए भी इसे सचिव सिलैक्ट किया गया है जब कि बी० ए० क्वालिफिकेशन के थर्ड डिवीजनरों को क्लर्क सिलैक्ट किया है । किस आधार पर उसे सचिव ???? किया गया और बी० ए० को क्लर्क सिलैक्ट किया गया?

चौधरी भजन लाल : इस कमेटी में तीन सरकारी अफसर थे और प्रीतम सिंह और राम सिंह जाखड प्राइवेट मैम्बरज थे, ये इलैक्ट्रिक नहीं थे, नोमिनेटिड थे, ।

श्री भले राम : चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि जो प्रिया बैकबर्ड हैं उन एरियाज को सर्विस के मामले में प्रैफरेंस देना चाहते हैं । मेरा हल्का बड़ोदा है । इस हल्के का कोई भी आदमी रोहतक कोआप्रेटिव बैंक की सिलैक्शन में नहीं आया है । आगे के लिए जब ऐसा मौका आएगा, क्या उस वक्त बड़ौदा हल्के को प्रैफरेंस दी जायेगी?

चौधरी भजन लाल : रोहतक सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक में तीन लड़के सोनीपत जिले के लिए गये है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया हे कि मैरिट के हिसाब से लिए गये हैं । देवेन्द्र कुमार सपूत श्री सत्य प्रकाश, सिलानी गेट, झज्जर नम्बर एक पर है । इस सवाल के जवाब में जहां क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उस" के आगे लिखा है कि साक्षात्कार के समय प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर सिलैक्शन किया गया है । मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता— हूं कि उस इन्टरव्यू में बोर्ड द्वारा मैरिट पर सिलैक्शन करने का क्या क्राइटेरिया था? दूसरे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सिलैक्शन कमेटी के मैम्बरों की क्या-क्या क्वालिफिकेशन थी, क्योंकि ये चौधरी ओम प्रकाश जी को कह रहे थे कि आप पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, फिर भी समझ नहीं रहे?

श्री अध्यक्ष : यह बताना ना-मुमकिन है और आपका सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी नहीं मनता है ।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि हिसार जिले के 3 क्लर्क लिए गये हैं । मैं आप के द्वारा इन से पूछना चाहता हूँ कि क्या एडवरटाइजमेंट में यह लिखा हुआ था कि आदमी के इतने लिए जायेंगे या आदमी वालों को प्रैफरेंस दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : यह भी सप्लीमेंटरी क्वेश्चन नहीं बनता है ।

Veterinary Hospital in District Sonapat

***964. Shri Devi Dass :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new veterinary hospital in district Sonapat; and

(b) if so, the area of the land, if any, acquired therefor

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौधरी लाल सिंह) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री देवी दास : स्पीकर साहब, मेरे सवाल के (क) भाग का जवाब दिया है "नहीं" और (ख) भाग का जवाब दिया है.

“प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता” । सोनीपत का पशुओं का अस्पताल तीस-पैंतीस साल पहले बनाया गया था । शायद मंत्री जी ने वह बिल्डिंग देखी होगी, वह पचास साल पुरानी बिल्डिंग है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जमीन एक्वायर करने के लिए क्या सरकार ने दफा चार का नोटिस दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो इन्होंने उत्तर में यह कैसे कह दिया कि “प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता”?

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब हरियाणा सरकार ने पशुओं की भिन्न भिन्न बीमारियों की रिसर्च करने के लिए साठे दस एकड़ जमीन पोलीक्लेलिनिक के लिए बहुत दिनों पहले अर्जित की थी, उस पर डिपार्टमेंट का कब्जा है । पशुपालन विभाग ने बताया है कि वहां पर श्रीमती कृष्णा देवी तथा भरतों ने गलत तरीके से थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर रखा है । उस कब्जे को डी० सी० और एस० डी० एम० हैं गलत करार दे दिया है, इसके बावजूद भी उन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है ।

डा० भीम सिंह दहिया : स्पीकर साहब, सोनीपत जिले का सवाल है । इसमें पूछा गया है कि क्या सोनीपत में कोई नया वैटरनरी अस्पताल बनेगा तो मिनिस्टर साहब की तरफ से जवाब आया कि रिसर्च सेंटर बनेगा । इसलिए मैं दुबारा पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है जिसके तहत एक जिले में

एक ही अस्पताल बनेगा । अगर कोई ऐसी नीति है तो जो अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग हो गई है, उसके बनाने के बारे में क्या नीति है कि कितनी पुरानी होने पर वह नई बिल्डिंग बनेगा?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, लाल सिंह जी ने ठाक जवाब दे दिया है । माननीय सदस्यों ने उनके जवाब को ध्यान से सुना नहीं । जो आपने पूछा है, वह यह है कि क्या सोनीपत में कोई नया अस्पताल बनेगा, इन्होंने कहा है कि नहीं । इसलिये नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर आलरैडी अस्पताल है । नये अस्पताल का कोई सवाल नहीं है । जैसे इन्होंने बताया है कि अस्पताल बहुत पहले से बना हुआ है और बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता हो गयी है । इस अस्पताल को वहां से शिफ्ट करने के लिये साढ़े दस एकड़ जमीन ले ली है । जमीन एक्यायर कर ली है । सरकार ने उस जमीन का कब्जा भी ले लिया है । बहुत जल्दी ही उस अस्पताल की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो जायेगा ताकि शहर से बाहर ठीक जगह पर यह अस्पताल बन सके और लोगों को अपने पशुओं का उपचार कराने में सुविधा हो सके ।

श्री देवी दास : स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल के (क) भाग में यह पूछा है कि क्या वहां पर कोई अस्पताल बनाने का सुझाव है और (ख) भाग में पूछा है कि यदि ऐसा है तो क्या उसके लिये कोई भूमि अर्जित की गयी है तथा उसका क्षेत्र कितना है? में दोबारा पूछना चाहता हूं.. ?? व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष : देवी. दास जी, इन्होंने यह बड़ा क्लीयर बता दिया है कि वहां पर कोई नया अस्पताल नहीं बनेगा । जो पुराना अस्पताल है, उसको डिफ्ट कर रहे हैं, जमीन ले ली गयी है और जल्दी ही कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, उसके लिये साढे दस एकड़ जमीन हमने एक्वायर भी कर ला है ।

श्री देवी दास : स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा है कि अस्पताल वही है, उस अस्पताल को शिफ्ट करने के लिये जमीन ले ली गयी है । मेन सवाल के भाग (ख) के जवाब में लिखते हैं कि प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यह कैसे लिख दिया?

श्री अध्यक्ष : कि इन्होंने तो नया अस्पताल बनाने के बारे में कहा है ।

चौधरी हुक्म सिंह फोगट : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि डिस्पेंसरियां अपग्रेड करके वैटर्नरी अस्पताल बनाने का क्राइटेरिया क्या है?

चौधरी लाल सिंह : सर, ऐसे है कि नया अस्पताल बनाने के लिये, जहां पर लोग सरकार के लिए यानी पशुपालन महकमे के नाम जमीन ले कर देंगे, वहां पर अस्पताल खोल देंगे ।

श्रीमती बसन्ती देवी : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में तीन-चार गांव ऐसे हैं जहां पर बिल्डिंग खाली पड़ी हुई हैं, जैसे

जुलाना, कौथा और रौना, क्या वहां पर सरकार डिस्पैसंरियां खोलने पर विचार करेगी ट्र

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, यह बात मैडम कई दफा मेरे को कह चुकी हैं । मैंने इनको पहले भी समझा दिया था और अब भी यही कहता हूं कि जहां जमीन का इन्तकाल पशुपालन महकमे के नाम करा देंगे वहां पर पशु हस्पताल का इन्तजाम कर देगे ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के मे कई गांव ऐसे हैं जहां पर कोई वैटर्नरी अस्पताल नहीं है, जैसे अन्टा, कृष्णी, कृसिन्धु आदि । वहां के लोगो को अपने पशुओं का इलाज कराने के लिये सफीदों आना पड़ता है । क्या मती महोदय इन जगहों के लिए वैटर्नरी अस्पताल खोलने की कृपा करेंगे ओं जो शर्ते इन्होंने कही हैं, वे हम सारी पूरी कर देंगे ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, वैसँ तो सवाल सोनीपत का है लेकिन मेरे पास पशुपालन विभाग से सम्बन्धित सारी सूचना मौजूद है । अगर यह चाहते हैं कि वहां पर पशुओं का अस्पताल खोल दिया जाये तो पहले महकमे के नाम जमीन का इन्तकाल करा दें, हम खोलने के लिये तैयार हैं । भूमि के बिना पशु हस्पताल कहां खोलूँ?

मास्टर शिव प्रसाद : स्पीकर महोदय मंत्री महोदय ने कहा है कि सवाल तो सोनीपत जिले का है लेकिन मेरे पास सारी

तैयारी है । मती महोदय अम्बाला जिले से. ताल्लुक रखते हैं और मेरा जिला भी अम्बाला है । वह डिस्ट्रिक्ट सैटर है । वहां पर जो पशुओं का अस्पताल है, उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है । क्या इस अस्पताल को दोबारा बनाने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी लाल सिंह स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत अपने मिल, दोस्त और एम० एल० ए० को यह बताना चाहता हूँ कि हम सब अस्पतालों की बिल्डिंगों की मुरम्मत का काम शुरू करने की व्यवस्था कर रहे हैं । ज्यों-ज्यों सरकार के पास पैसा उपलब्ध होता रहेगा, त्यों-त्यों सरकार काम करती रहेगी ।

चौधरी नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, मेन सवाल तो सोनीपत जिले के पशु अस्पताल का है । मेरा सवाल सारे हरियाणा प्रदेश से ताल्लुक रखता है । सरकार को यह पता है कि योग्य पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस इन्स्टीच्यूशन में डाक्टर स्टडी करते हैं, उसमें कितने साल की स्टडी के बाद डाक्टर तैयार होते हैं और कब तक इनकी कमी टूर हो जायेगी ताकि हमारे पशु बीमारी से बच सकें और उनकी प्रोपर देखभाल हो सके? (व्यवधान व शोर)

चौधरी लाल सिंह : डाक्टरों की तैयारी का पाँच साल का कोर्स होता है । (शोर)

श्री अध्यक्ष : कह दें कि मिनिस्टर साहब की कोठी पर तो होते नहीं है । (हंसी)

चौधरी लाल सिंह : हिसार में एक कालेज है, वहां पर डाक्टरी पढ़ते हैं । जो पास हो जाता है, सरकार उसको नौकरी दे देती है । (व्यवधान व शोर)

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने ठीक फरमाया है कि जितने भी पुराने अस्पताल हैं, उनकी मुरम्मत का काम करवा रहे हैं क्योंकि शायद ही प्रदेश में ऐसा कोई अस्पताल होगा जो हमारी पैदाइश से पहले का न बना हो और आज ठीक हालत में हो । मेरा मेवात का इलाका है । यह बहुत पिछडा हुआ है और यहां पर फलडज भी आते रहते हैं इसलिये वहां पर बीमारियां भी ज्यादा फैलती रहती हैं । जिन इलाकों में कोई वैटर्नरी अस्पताल नहीं है, क्या वहां पररू सरकार खोलने का विचार रखती है? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे इलाकों में पुराने अस्पतालों की बिल्डिंगों की रिपेयर जल्दी की जायेगी और तीसरे क्या वहां पर कोई रिसर्च सैटर वगैरा बनाने की सरकार कोशिश करेगी?

श्री अध्यक्ष इसका जवाब आ चुका है ।

Small Pox Vaccinations in the State

***970. Chaudhri Kundan Lal ; Will the Minister of State for Health be pleased to state—**

(a) the number of persons given small pox vaccination **in the** State during the years 1983 and 1984 separately ;

(b) whether vaccine for small pox is available in every district head quarters ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती करतार देवी) :

(क) शून्य ।,

(ख) नहीं ।

(ग) क्योंकि हरियाणा राज्य में चेचक नहीं है, इसलिये चेचक की वैकसीन की आवश्यकता नहीं है ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी बहिन मंत्री महोदया ने फरमाया है कि चूंकि हरियाणा राज्य में चेचक नहीं है इसलिये चेचक की वैकसीन की आवश्यकता नहीं है । मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर कल को यह बीमारी फैल जाये और हमारे पास दवाई उपलब्ध न हो, तो आप क्या करेंगे? मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इसका कोई प्रबन्ध करने के लिये तैयार है?

श्री अध्यक्ष : सारे प्रान्त में चेचक नहीं है, इसलिये इसकी दवाई नहीं रखते ।

चौधरी कुन्दन लाल : दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन्वेंस्टिगेशन के काम की सारी कागजी कार्यवाही अस्पतालों में बैठकर ही हो जाती है । इस बात की जांच के लिये क्या कभी कोई टीम देहात वो अन्दर भेजी गयी है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वाकई चेचक गांव में है या नहीं है?

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर महोदय, जहां तक माननीय सदस्य की पहली बात का सम्बन्ध है, चेचक न केवल हरियाणा में ही बल्कि सारी दुनिया में ही नहीं है । भारत में जो लास्ट केस चेचक का रिपोर्ट हुआ था वह 21 मई, 1975 को हुआ था । वह एक माइग्रेटिड लेडी का था, उसका नाम था असमत बेग । वह बंगला देश से आयी थी । उसके बाद अगरने दो साल में इस बात का पूरा सर्वे करवाया गया कि कहीं चेचक रह तो नहीं गयी है । माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि चंचक की सूचना देने वालों के लिये एक हजार रुपया का इनाम देने की घोषणा भी की गयी थी । इसके अलावा, महकमें ने अपनी तरफ से भी पता लगाने की कोशिश की थी । हमारे जितने भी सी ० एम ० ओंज ० हैं, उनको 50- 50 कार्डज इसलिये दिये गये थे ताकि यह पता लग सके कि वाकई चेचक समाप्त हो गयी है या नहीं । वह कार्डज सी ० एम० ओज ० अपने डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग गावों में खुद जाकर दे आये थे । इनको किसी ने भी नहीं बताया कि चेचक का कोई केस बरकी है । हमारे एम० पी० डब्ल्यू ० बर्कज को यह काम सौंपा गया था कि वह इन

कार्डज को इकट्ठा करें और थर-घर जाकर सर्वे करें । लोगों ने अपने तौर पर कई केसिज रिपोर्ट किये । जांच करने पर यह पता चला कि वे स्माल पौक्स के केसिज नहीं थे । उसके इलावा, हमारे वर्कर्स डोर-टू-डोर उन कार्डक को इकट्ठा करने के लिये गये लेकिन चेचक का कोई केस नहीं मिला । 21 अप्रैल, 1977 को लास्ट केस इथोपिया में हुआ था और इसके बारे में अखबारों में भी आया था । 28 अक्तूबर, 1977 के बाद वर्ल्ड के किसी भी कन्ट्री में । यह बीमारी नहीं रही है । जहां तक माननीय सदस्य की दूसरी बात का सम्बन्ध है, फिलहाल तो इस किस्म का कोई अन्देशा नहीं है कि यह बीमारी फिर से फैले । दुनिया में केवल एक जगह जैनेवा में इसके जर्म रखे गये हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग करके दवाई बनाई जा सके । मेरा विचार यह है कि माननीय सदस्य स्माल पौक्स और चिकन पौक्स में कोई अन्तर नहीं कर सके हैं । इसलिये इस बारे में यह इतने चिंतित हैं ।

श्री राम बिलास शर्मा : मंत्री महोदय के नोटिस में मैं एक बात लाना चाहता हूँ । पिछली बार दिसम्बर में एक लड़का जिसको चेचक हुई थी, हम उसको नारनौल के सी० एम० ओ० के पास ले गये थे, उन्होंने देखकर खसरा कह कर टाल दिया और कह दिया कि वह चेचक नहीं है । क्या मंत्री सहोदय हुस बात की जांच करायेंगे कि वह वाकई चेचक थी या नहीं?

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है । इस बात की जांच

तो कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है कि वह चेचक है या खसरा है । विशेषज्ञ 'ने देख कर बता दिया है कि वह चेचक नहीं थी, खसरा था । हम गाँव वाले हंसनी खेलनी माता भी कई बार कह देते हैं, जो ज्यादा गंभीर हो तो चेचक जैसी दिखाई देती है । जब सी० एम० ओ० ने यह बता दिया है, कि वह खसरा है, तो वह खसरा ही होगा, इसलिये इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Bus Stand and Workshop at Sirsa

***983. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister for Transport be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a -Bus Stand and Workshop at Sirsa; and

(b) if so, the time by which the construction work for the afore said Bus Stand and Workshop is likely to be started ?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) Construction work of bus stand has already been taken in hand by the P.W.D. (B&R). As regards construction of pucca workshop, the matter is under

consideration.

Arrest of Employees/Veterinary Surgeons

***951. Snit. Basanti Devi :** Will the Minister of State for animal Husbandry be pleased to state whether any employees/Veterinary Surgeons of the Animal Husbandry Department have been arrested during the year 1984-85, for their alleged involvement in corruption; if so, the names and addresses thereof together with the action, if any, taken against them ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौधरी लाल सिंह) : डा० गोपाल प्रसाद अग्रवाल पशु चिकित्सक, पशु हस्पताल, रोहतक, को दिनांक 15- 2- 85 को गिरफ्तार किया गया था । इस अधिकारी को निलम्बित किया गया है ।

Territorial and River Water Disputes Between Punjab and Haryana States

***958. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that a Cabinet Sub-Committee of the Union Cabinet has been constituted recently **to** resolve the territorial and river water disputes between the States of Punjab and Haryana; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, whether the State Government have submitted their view points/proposals **to** the said Sub-Committee for the said purpose; if so. a copy thereof be laid on the Table of the House

?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी हां ।

(ख) मन्त्रिमंडल उप-समिति ने अभी तक राज्य सरकार से विचार/ प्रस्ताव नहीं मांगे हैं, इसलिए राज्य सरकार से विचार/प्रस्ताव उप-समिति के सन्मुख नहीं रखे गए हैं ।

Location for a New Sainik School

***902. Chaudhri Om Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open another Sainik School in the State; if so, the likely place of location thereof togetherwith the criteria adopted for the selection of the location site of the said school; and

(b) whether any Gram Panchayat of district Rohtak offered to provide requisite land for the establishment of a Sainik School; if so, the decision, if any, taken on the said offer ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी हां, कई स्थान विचाराधीन हैं । इस बारे मानदंड रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है जैसे कि कैम्पस के लिए 250 एकड़ भूमि तथा स्कूल के लिएभूमि, भवन तथा

उपकरणों के प्रारम्भिक खर्च की व्यवस्था राज्य सरकार हारा की जानी है ।

(ख) जी हां । मामला विचाराधीन है ।

Drinking Water in Sonapat District

***965. Shri Devi Dass :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) the names of villages in the Sonapat Constituency provided drinking water upto 15-2-1985; and

(b) the time by which the remaining villages, in the said constituency, are likely to be provided drinking water ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) 1. पिनाना

2. सोलरपुर माजरा

3. मतेहना '

4. सोनीपत (ग्रामीण)

5. कालूपुर

6. जमालपुर

(ख) 31-3- 87 तक धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

Profit earned or Loss suffered by H.S.E.B

***971. Chaudhri Kundan Lal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the profit earned or loss suffered by the Haryana State Electricity Board during the years 1982-83 and 1983-84 separately : and

(b) the reasons for loss, if any, suffered and the steps, if any, taken or proposed to be taken to eliminate/reduce the losses ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) :

(क) तथा (ख) : वांछित सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1982- 83 एवं वर्ष 1983-8 4 के दौरान हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उठाया गया नुकसान निम्न प्रकार था -

वर्ष 1982-83 53.98 करोड़ रुपए

वर्ष 1983- 84 40.76 करोड़ रुपए

(ख) नुकसान के लिए कारण

1. सस्ती जलीय बिजली की सीमित उपलब्धि के कारण मंहगी थर्मल बिजली उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ा था ।

2. बिजली टैरिफ बिल्कूल ही अलाभकर रहा है । कृषि क्षेत्र को अन्यो की अपेक्षा बिजली कम दर पर बेची जाती है तथा राज्य की नीति को ध्यान में रखते हुए बिजली की उपलब्धि के मामले में भी प्राथमिकता छवि क्षेत्र को दी जाती है ।

3. विस्तृत ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण लाईनों की वृद्धि के कारण कार्य प्रणाली (सिस्टम) के लिए लाईन लौसिज अधिक है ।

4. थर्मल से सम्बन्धित चीजों की लागत जैसे कोयला तथा ईंधन तेल आदि में लगातार वृद्धि के कारण थर्मल बिजली उत्पादन की लागत बढ़ रही है तथा टैरिफ के संशोधन को बिजली उत्पादन लागत की वृद्धि को बराबर नहीं रखा जा सका ।

5 कई बिजली परियोजनाओं के निर्माणाधीन होने के कारण स्थापना लागत भी लगातार अधिक होती रही है जोकि इन परियोजनाओं के पूरा करने में धीमापन लायेगी ।

6. क्योंकि बोर्ड के पास अपनी कोई पूंजी नहीं है इसलिए बड़ी परियोजनाओं के लिए धन राशि संस्थागत क्रेडिटर्स जैसे जीवन बीमा निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा दूसरे

साधनों से जैसे इन्डस्ट्रियल डिवैल्पमेंट बैंक माफ इण्डिया (आई० डी ० बी० आई ०) की बिल री-डिस्काउन्टिंग स्कीम' से लेकर प्रयोग में लाई गई है जिस पर अधिक ब्याज देना पडता है ।

नुकसान कम करने के लिए उठाये गए कदम

1. राज्य में बिजली टैरिफ को न्यायसंगत किया जा रहा है ।

2. थर्मल विद्युत केन्द्रों से उत्पादन और परिचालन दोषों को दूद किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष 1984- 85 से इन दोषों पर ध्यान देने के लिए क्रमवार प्रोग्राम (फेस्ट प्रोग्राम) लागू किया जा रहा है । ये परिवर्तन (मोडिफिकेसन) वर्क 1987-88 तक पूर्ण हो जायेंगे ।

3. थर्मल विद्युत केन्द्र के कार्य को सार्थक बनाया जा रहा है ताकि उत्पादन लागत को कम किया जा सके ।

4. स्थापना खर्च कम करने के लिए फालतू स्टाफ का पता जगाया जा रहा है और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ।

5. परिचालन के लिए स्टोरों में इन्वैन्टरी होल्डिंग और विद्युत प्रणाली के अनुरक्षण और परियोजनाओं के निर्माण (कि लागत) को कम किया जा रहा है ।

6. सिस्टम लौसिज में कमी करने के लिए विभिन्न कदम जैसे प्रसार और वितरण प्रणाली को मजबूत करना, सुधार स्कीमों

को लागू करना, मोटर, पढने और बिजली बिल आदि बनाने के प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं ।

7. केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं से नियत हिस्सा प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ।

8. उपभोक्ता बिलों को समय पर तैयार करने के लिए कठोर मोनिटरिंग लागू की गई है ।

9. बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयत्न तेज किए गए हैं और झगड़े वाले राजस्व केसों का निपटारा विशेष समितियों द्वारा किया जा रहा है ।

Number of Haryana Roadways Buses

***984. Shri Magi Ram :** Will the Minister for Transport be pleased to state the depot-wise number of Haryana Roadways buses as on 1st January, 1985 in the State ?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh) : Statement. is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Depot-wise number of buses in Haryana Roadways as on 1-1-1985 was as under :—

| Sr No. | Depot | No. of Buses |
|--------|--------|--------------|
| 1. | Ambala | 184 |

| | | |
|-----|------------|------|
| 2. | Chandigarh | 211 |
| 3. | Karnal | 223 |
| 4. | Jind | 189 |
| 5. | Kaithal | 198 |
| 6. | Sonepat | 187 |
| 7. | Y. Nagar | 183 |
| 8. | Gurgaon | 179 |
| 9. | Rohtak | 212 |
| 10. | Hissar | 247 |
| 11. | Rewari | 199 |
| 12. | Bhiwani | 176 |
| 13. | Sirsa | 156 |
| 14. | Faridabad | 175 |
| 15. | Delhi | 103 |
| | | 2822 |

**Opening of Veterinary Hospitals in Hassangarh
Constituency**

***952. Smt. Basanti Devi :** Will the Minister of State for Animal Husbandary be pleased to state—

(a) whether there are any villages in Hassangarh

Constituency where buildings for the opening of veterinary hospitals have been constructed ;

(b) if so, whether the sanctions for the opening of such hospitals have been accorded ; and

(c) if the said sanctions have not so far been accorded, the reasons therefor ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौधरी लाल सिंह) :

(क) नहीं, ऐसा कोई भवन सरकार की पूर्व अनुमति से नहीं बनाया गया ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Bonus on procured Paddy

188. Chaudhri Balvir Singh Grewal : Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state whether any bonus has been paid to the farmers in the State on account of paddy procured from them during the period from 1-10-1984 to-date ; if so, the total amount paid for the purpose ?

खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री (चौधरी कल्याण सिंह) : खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने राज्य में किसानों से खरीद की गई धान पर उन्हें बोनस की कोई अदायगी नहीं की गई ।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब आज के अखबार में एक खबर छपी है जिसमें एक लिस्ट दी हुई है, उसके बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दिया है । मैं 'स्कैण्डल' शब्द अगर कहूंगा तो मुख्य मन्त्री जी उस दिन की तरह चिढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने लिस्ट शब्द ही यूज किया है । इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह लिस्ट न तो हमने छपवाई है और न अखबार वालों ने हमसे कौन्टैक्ट किया है । अखबार में खबर पढ़कर ही हमने काल अटैन्शम मोशन दी है । हमने तो अखबार में पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : वह तकरीबन 9. 15 या 9. 30 बजे आफिस में पहुंचा है, लेकिन वह अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह कारन अटैन्शन मोशन चौधरी सम्पत सिंह की तरफ से है

चौधरी ओम प्रकाश : स्पीकर साहब, कोल स्कैण्डल के बारे में आज भी मेरे द्वारा काल अटैन्शन मोशन भेजी गई भै और पहले भी कोल स्कैण्डल के बारे में मेरे द्वारा काल अटैन्शन मोशन भेजी गई थी लेकिन वह डिसअलाउ हो गई थी । आज अखबारों में आया है कि बल्बभगढ, हिसार, गुड़गांव और आदमपुर के लोगों न धांधली मचा रखी है । स्पीकर साहब, सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे ऐसी बातों से सरकार की इंटैन्शन पर डाउट होता है । इसलिए आप हमारी काल अटैन्शन मोशन को

एडमिट करें और अगर सरकार रिटन में कोई जवाब देना चाहे तो रिटन दे दें और अगर जबानी जवाब देना हो तो जबानी दे दिया जाए । लेकिन उस बारे में हमें सवाल पूछने का अधिकार हो । परसों भी लीडर आफ दी हाउस ठीक जवाब न देकर असली बात को टाल गए थे । आज के अखबारों में 111 फर्मों के नाम लिखे हैं । इससे पूरा शक होता है कि लोगों ने बेनामी कम्पनियां बनाई हुई हैं । एक-एक व्यक्ति कई-कई नामों से कोयला के लाईसेंस ले रहा है । स्पीकर साहब, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार और बंगाल से कोयला लाने का लाईसेंस उनको दिया जा रहा है और इस मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला है । काल अटैन्शन मोशन मेरी तरफ से और चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल की तरफ से है । एक ही पते पर कई-कई फर्में दिखाई गई हैं और जिनका नाम कोयला लाने के लिए रिक्मेंड किया गया है उसमें अधिकतर करणधार नहीं हैं, इससे और भी अधिक सन्देह होता है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था और मुख्य मन्त्री जी इस पर नाराज हो गये थे । आज के अखबार में कोल स्कैण्डल के बारे में आया है

श्री अध्यक्ष : आप कोई नई बात कहें, रैपिटीशन न करें

|

श्री हीरा नन्द आर्य : पहले जो स्कैण्डल के बारे में खबर छपी थी, वह कोयला उत्तरी-पूर्वी रेलवे के द्वारा लाया जाता था उसके बारे में थी लेकिन आज जो 111 एजेन्ट्स के नाम आए हैं उनका कोयला पूर्वी रेलवे के थ्रू आना था । स्पीकर साहब, खबर को पढ़ने से पता लगता है कि यह लोग एक ही नाम से जगह-जगह पर जैसे बल्लभगढ, हिसार, दिल्ली, और आदमपुर में अपना बिजैनस कर रहे हैं । स्पीकर साहब, अच्छा यही होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि पहले जो लौटरी का सिस्टम था वह क्यों अच्छा नहीं था और उसको चेंज क्यों किया गया, इसके क्या कारण थे? लाखों और करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है । इससे सन्देह होता है, चीफ मिनिस्टर साहब स्थिति स्पष्ट करें ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं सब बातें अभी बताऊंगा ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिए और वह कमेटी इसकी जांच कर जैंगी । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, पहले भी मैंने काल अटैन्शन मोशन दी थी । लेकिन वह डिसअलाउ कर दी गई थी । आज फिर एक काल अटैन्शन मोशन दी है । आज अखबार में आया है कि 111 फर्मज को कोल को अलोटमेंट की गई है ।

स्पीकर साहब, बंगाल और बिहार से जो कोयला आता था, उसके बारे में सरकार की नीति यह थी कि लौटरी से अलौटमेंट की जाएगी लेकिन आसाम और मेघालय के लिए इस सरकार ने पौलिसी चेंज कर दी और अब यह कर दिया कि जो व्यक्ति ऐप्लीकेशन देगा उसको भेज दिया जाएगा । सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि आसाम और मेघालय से कोल नहीं आ रहा था इसलिए पौलिसी चेंज की गई और जिसकी ऐप्लीकेशन पहले आई उसको पहले भेज दिया गया और जो बाद में आई उसको बाद में भेजा गया । स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह पौलिसी चेंज क्यों की गई? स्पीकर साहब ये कहते हैं कि हम लोग अखबार वालों की कारों में घूमते हुए देखे गए और इन के पास फोटो हैं । स्पीकर साहब, यह अखबारों पर असपरशन है । इसका मतलब यह है कि यह सरकार एम ० एल०एज०की सी० आई० डी० करती है । स्पीकर साहब, 111 फर्मज के जो नाम दिये गए हैं उनके केवल चार-पीच ऐड्रेस हैं, चाहे वे दिल्ली के हैं, चाहे बत्लभगढ़ के हैं

श्री अध्यक्ष : आप रेपीटीशन न करे ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं रैपोटीशन नहीं कर रहा हूँ । मेरा कहना तो यह है कि इसकी इंकवायरी करवाई जानी चाहिए । हाउस की एक कमेटी बना थी जाए जो यह जांच करे कि इस स्केण्डल के पीछे कौन-कौन व्यक्ति हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप खत्म करें । आपकी बात आ गई

।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह इशू हाउस के सामने कई दिन से चल रहा है । दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्य मन्त्री जी जाने या अनजाने में अखबार वालों पर पिल पड़े

श्री अध्यक्ष : जो बातें मैम्बर पहले कह चुके हैं उनको आप रिपीट न करें ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, आज मुख्य मन्त्री जी उतावले हो रहे हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कालू अटैन्शन मोशन एडमिट कर लिया है?

श्री अध्यक्ष : वह अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, फिर यह जवाब क्या देंगे? यह क्यों उतावले हो रहे हैं जवाब ले के लिए?

श्री अध्यक्ष : बार—बार मैम्बर कह रहे हैं कि सरकार जवाब दे । इसलिए अगर वे जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं

।

श्री मंगल सैन : फिर हमारा भी सवाल पूछने का राइट रिजर्व होना चाहिए ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं अभी जवाब दे देता हूँ ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुझे एक और सबमिशन करनी है ।

श्री अध्यक्ष : पहले यह बात तो पूरी हो जानें दीजिए ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ मुझे यह बात कहनी पड़ती है कि इन्होंने कोल स्कैन्डल का जिक्र कर दिया जैसे कि स्टेट में बहुत बड़ा घपला हो गया । स्पीकर साहब, कोयला दो जगह से आता है । एक तो बिहार—बंगाल से और दूसरे आसाम और मेघालय से कोयला आता है । (शोर एवं व्यवधान) चलो, मैं कहता हूँ कि चार पांच जगह से आता है । स्पीकर साहब, भारते सरकार ने बाकायदा हरियाणा को बंगाल बिहार से कोयले के दस रैंक का कोटा अलौट किया हुआ है । कोयले के लिए बाकायदा ऐप्लीकेशंज इंवाइट की जाती है और सब के सामने बैठकर लाटरी निकालते हैं । लाटरी में जिसका नाम निकल आता है उसका नाम रिकमैड करके भेज दिया जाता है । स्पीकर साहब, जिसका नाम रिकमैड होता है उससे पन्द्रह हजार रुपए की सिक्योरिटी जमा कराई जाती है । अगर वह आदमी चार महीने के अन्दर कोयला नहीं लाता तो उसकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाती है । स्पीकर साहब, दूसरी बात इन्होंने कही कि मेघालय और आसाम से कोयला आता है । इसके

बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आसाम और मेघालय से कोयला बहुत कम आ रहा है । इसके बारे में हमने फैसला किया कि जो लोग अपने आप कोयला ला सकते हैं उनसे ऐप्लीकेशंस ले ली जाएं । सोचा यह गया है कि ऐसा करने से स्टेट में कोयले की कमी नहीं रहेगी । हमने डी० एफ० एस० सीज० को कहा कि वे लोगों से ऐप्लीकेशंस मंगवा लें । इस बारे में बाकायदा एडवरटाइजमेंट की गई । स्पीकर साहब, जो भी ऐप्लीकेशन पहले आई, उसको पहले रिकमैड करके भेज दिया और जो बाद में आई उसको बाद में रिकमैड करके भेज दिया जायेगा । स्पीकर साहब, कुल ऐप्लीकेशंस 191 आईं जिनमें से 179 ऐप्लीकेशंस ठीक पाई गईं । किसी के पास सेल्ज टैक्स का लाइसेंस नहीं था, किसी के पास कोयले का लाइसेंस नहीं था और किसी के पास इन्टर स्टेट सेल्ज टैक्स का लाइसेंस नहीं था । सारी चीजें देखी गईं और 191 ऐप्लीकेशंस में से 179 ऐप्लीकेशंस ठीक पाई गईं । ये ऐप्लीकेशंस रेलवे को भेजनी थीं लेकिन रेलवे वालों की चिढ़ी आ गई कि हमारे पास ज्यादा ऐप्लीकेशंस एक साथ न भेजो । इसलिए हमने पहले 19 ऐप्लीकेशंस, जो पहले आई थीं, उनको रिकमैड करके रेलवे वालों के पास या भारत सरकार के पास भेज दिया । रेलवे वालों की चिढ़ी यह थी कि पहले 19 ऐप्लीकेशंस भेजो, बाद में दूसरी ऐप्लीकेशंस भेजना । स्पीकर साहब, यह कहते हैं कि ये आदमी एक ही जगह के हैं, एक ही इनके ऐड्रेस हैं । स्पीकर साहब, ये आदमी आज के नहीं हैं, इनमें से अधिकतर आदमी 1978 से चले आ रहे हैं । जिस वक्त इनका राज था, उस

वक्त से यह लोग चले आ रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि इन्होंने गलत आदमियों को कोयला अलौट किया था । स्पीकर साहब, हर आदमी को कोयला का लाइसेंस लेकर लाटरी में शामिल होने का अधिकार है । आप जानते हैं, स्पीकर साहब, एक-एक बिल्डिंग में दिल्ली में पचास-पचास दफ्तर हैं । स्पीकर साहब, 1978-79 से लगातार जो 6-7 फमें चल रही हैं, उनके नाम हमने दे रखे हैं, वह मैं आपको बता देता हूँ । (शोर एवं व्यवधान) ये कोयले की बात करते हैं, एक छटांक कोयला नहीं आया । कायदे और कानून के अनुसार फस्ट-कम-फस्ट सर्वड का ऐलान किया गया था उसी के मुताबिक रिकमैण्डेशनज की हुई एं, इनको तो स्कैण्डल ही नजर आता हए, क्योंकि इनको अपना जमाना याद नहीं है । स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जो यहां बोल रहे हैं । इनके पास भटटू कलां में मोमबतियां बनाने का लाईसेंस था, इन्होंने सरकार से मोम का कोटा ले रखा था और चार हजार रुपए पर-टन की ब्लैक थी । जब तक वहां पर ब्लैक रही, इन्होंने एक भी मोमबती नहीं बनाई और सारा कोटा ब्लैक में बेचते रहे । जब ब्लैक खत्म हो गई तो वह फ़ैक्टरी ही बन्द कर दी । (शोर एवं व्यवधान).

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ । (शोर)

चौधरी भजन लाल : दूसर बात स्पीकर साहब, स्कैण्डल के साथ-साथ अखबारों का भी जिक्र करते हैं । मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनके जमाने में क्या हालात थे । इनका जब राज

था, उस उभय यह शराब के ठेके अलाट करते थे । मैं आंकड़े बताता हूँ । (शोर एवं व्यवधान) पहले शराब के ठेके ओपन आक्शन में नीलाम होते थे लेकिन इन्होंने उस सिस्टम को चेन्ज कर दिया । पहले सिस्टम के तहत शराब के ठेके नीलाम करने से 1974-75 में 11 करोड़ 86 लाख 50 हजार, 1975-78 में 12 करोड़ 58 लाख, 1976-77 में 13 करोड़ 79 लाख 19 हजार और 1977-78 में 15 करोड़ 58 लाख रुपए का रेवैन्यू आया लेकिन इनके द्वारा सिस्टम चेन्ज करने पर 1978-79 में यह रेवैन्यू घटकर 9 करोड़ 79 लाख रुपये रह गया (इस समय चौधरी धीरपाल सिंह उठकर बोलने लगे) धीरपाल जो, आप क्यो वकालत कर रहे हैं आप तो उस समय एम०एल०ए० भी नहीं थे । उस समय तो श्री वीरेन्द्र सिंह मन्त्री थे और प्रोफेसर सम्पत सिंह जी पी० ए० थे, यह रिकार्ड की बात है । इस तरह से 1978-79 में साढ़े छः करोड़ रुपये की इन्कम एम हुई । आक्शन करने से हर साल तीन साढ़े तीन करोड़ रुपये की आमदनी ज्यादा होती थी जब इन्होंने सिस्टम चेन्ज किया तो उस समय साढ़े छः करोड़ वह और साढ़े तीन करोड़ यह, लगभग 10 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा होने लगा । यह इनके राज्य में घपला हुआ । स्पीकर साहब, आप ही बताएं, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? जब शोर मचा तो पालिसी को दोबारा चेन्ज किया गया, तब सरकार का सालाना रेवैन्यू 9 करोड़ से बढ़कर पहले साल 22 करोड़ 58 लाख तक पहुंच गया । उस साल 14 करोड़ रुपए की सरकार को अधिक आमदनी हुई उसके बाद के सालों में कभी 25 करोड़, कभी 32

करोड़, कभी 38 करोड़ कभी 40 करोड़ और उसके बाद 55 करोड़ तक का रेवन्यू सरकार को आने लगा । आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनके गल्ल कामों, गलत नीतियों की वजह से सरकार को कितना नुकसान हुआ? (शोर) जिस माहौल में यह खुद रहते हैं, पलते हैं, वैसा ही ये दूसरों को भी समझते हैं । चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बड़ा बोल रहे हैं । मैं इनको बता देता हूँ कि इन्होंने जरूर में अपना एक होटल चला रखा है और नारनाँद में डेरे की जमीन को नाजायज तौर पर हड़प रखा है । फिर कैसे ये दूसरों की बातें करते हैं? (श्रीमती चन्द्रावती जी की तरफ से विघ्न एवं शोर) इसके बाद स्पीकर साहब, मैं प्रैस के बारे में भी कहना चाहता हूँ । उस दिन भी मैंने कहा था कि अखबारों की मैं इज्जत करता हूँ । इंडियन ऐक्सप्रेस, पंजाब केसरी, हिन्द समाचार, ये बहुत अच्छे अखबार हैं इनके मालिक बड़े ही देश भक्त थे, उनका देश भक्ति में बड़ा योगदान था और बड़ी सेक्रिफाईस उन लोगों ने देश के लिए की हैं । यहां पर एक – दो पत्रकार ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इन अखबारों का स्तर गिराने में लगे हुए हैं । लिखते वक्त उनको यह सूचना चाहिए कि कहां तक उन बातों में सच्चाई है? लोग, स्पीकर साहब, खुद अखबार वालों से लिखवाते हैं और यहां पर उन अखबारों को हाउस में लहरा कर उनका हवाला देते हैं । इन पत्रकारों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अखबारों की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं जिससे लोगों की नजरों में अखबारों की प्रतिष्ठा बढ़े, कम न हो और ऐसा काम किसी भी

पत्रकार को नहीं करना चाहिए जिससे अखबार का स्तर गिरता हो । (शोर एवं व्यवधान)

डा० भीम सिंह दहिया : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा कि जो कोयला बंगाल बिहार से आता है उसको सरकार बाई लाट्स अलाट करती है और जो आसाम और मेघालय से कोयला आता है वह फस्ट-कम-फस्ट सबर्ड बेसिज पर अलाट किया जाता है । मैं इस बात की जानकारी चाहता हूँ कि यह अलग-अलग मापदण्ड के क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, यह तो सीधी बात है कि बंगाल बिहार से काफी कोयला आ रहा है और आसान व मेघालय से कोयला लाने वारना कोई नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, जब अखबारों में खबरें छपती हैं तो मुख्य मन्त्री महोदय बिल्कुल बौखला जाते हैं । इन्होंने हमें बहुत बातें कहीं और हमको प्रवोक करने की बड़ी कोशिश की ले किन हम प्रवोक नहीं हुए । इन्होंने बड़ी ही गल, झूठी और बेसलैस बातें हमारे बारे में कहीं ताकि हम प्रवोकेशन में आएँ लेकिन हम प्रवोक नहीं हुए । स्पीकर साहब, मैं तीन चार बातें कहूंगा । पहली बात तो यह है कि इन्होंने अपनी खाल बचाने के लिये, टौपिक चेन्ज कर लिया और 197 7- 78 की शराब की अलाटमैन्ट की पालिसी की बात पर आ गये । मैं यह कहना चाह ता हू कि उस समय के प्र धान मस्ती श्री मोरार जी ने

प्रोहिबिशन के लिये कितना जोर दिया, इससे आप भी भली भांति परिचित हैं । उन दिनों उस समय की सरकार ने सैकड़ों शराब के ठेके बन्द भी कर दिये थे । मेरे अपने हल्के नारनोंद में भी शराब का एक ठेका बन्द किया गया । इनके पास सारी फिगर्ज होंगी, इनको पता होगा because he happens to be in the possession of record today. We are not in the possession of that record वे जो पालिसीज थीं, वे एक दफा तो बाई लाट्स और फिर दो दफा नीलामी में बदली गयीं और वह भी उस समय के बहुत बड़े-बड़े सरकारी अफसरों की सलाह से पौलसीज चेन्ज की गयीं थी यह रिकार्ड की बात है । सर । दो तीन मन्त्रियों की एक कमेटी थी, उस कमेटी की मीटिंग के मिनटस रिकार्ड में मौजूद हैं । वह कमेटी चाहती थी कि प्रोहिबिशन लागू की जाए और शराब के ठेके कम किये जाएं जिसके कारण से उस समय सरकार की आमदन में कमी आई थी । दूसरी बात इन्होंने फरमा दी कि कोयले के लिए 1977- 78 में जो 7- 8 फमें थीं वे आज भी उन 19 फर्मों की लिस्ट में हैं । सीकर साहब, इसमें हमारा आबजैक्शन है । हमने उस दिन भी कहा था और आज फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमारा जो खदशा है, जहां से इसमें स्कैंडल की बू आती है, वह यह है कि एक ही मकान में 9-10 फमें एक ही एडैरस पर दर्ज हैं । उसकी मुख्य मन्त्री जी क्यों नहीं ओपन इक्वायरी करवाते? अगर यह स्पष्ट है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इनकी जात पर क्यों एलीने शन लगाएंगे? हमने यह भी कहा था कि अखबारों में छपा है कि ये फमें कोयला तो करोड़ों रुपये का

ले ती हैं लेकिन एक नया पैसा भी इन्कम टैक्स पे नहीं करती हैं । इससे जाहिर होता है कि ये बे नामी फर्म हैं । तीसरी बात यह है कि और तो इनको हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ मिला नहीं, इन्होंने सम्पत सिंह जी के नाम मोम लगा दी और मेरा नाम लेकर कहा कि इनका जोधपुर या अजमेर में होटल है । स्पीकर साहब, 1 959 में मैंने वकालत शुरू की थी । उसके बाद से 1985 तक के समय के लिए मैं मुख्य मन्त्री जी से हाथ जोड़ कर रिकवैस्ट करूंगा कि अगर इनके पास इतनी इवीडेंस है तो मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाएं and he should prosecute me. अगर मेरे खिलाफ एक नए पैसे का भी स्कैंडल मिल जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते । हमारा एक कांस्टीच्यूशनल राईट है और इस सदन के रूलज के रूल 73 में भी यह प्रोवाइडिड है कि हम आपके द्वारा सरकार का छगन आकर्षित कर सकते हैं कि एक चीज को देने में दो पालिसिज क्यों हैं । हम इनकी डन्टैन्शन पर डाउट करें या न करें, लेकिन जिस चीज के बारे में हमें भ्रम हो और प्रदेश की जनता को भ्रम हो, अगर हम उस बात की जानकारी न ले तो हमें मैम्बर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । आज इन्होंने स्वयं कहा है कि बिहार और बंगाल से आने वाले कोयले के लिए नीति अलग है । और आसाम और मेघालय से आने वाले कोयले के लिए नीति अलग है

। यानी पहले वाले केस मे लौट्स निकालते हैं और दूसरे केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की नीति है । लौट्स निकालने वाली बात इन्होंने अपने डायलैक्ट में कही (विधन) तो यह ड्युल पालिसी क्यों है, यह दोरंगी नीति क्यों है? स्पीकर साहब, फिर इन्होंने जाते-जाते अखबार वालों को रगड़ा दे दिया । कहने लगे कि वे बड़े देश भगत हैं, अब इनको याद आ रहा है कि बड़े देश भक्त हैं । उनको देश भक्त भी कहते हैं और रगड़ा भी दे रहे हैं । पंजाब केसरी वालों ने जब लिखा कि पंजाब को भजन लाल चाहिए तब तो बड़े खुश हुए थे । (शोर) स्पीकर साहब, मैं रिकार्ड के लिए कह रहा हूँ और सब की इनफमें शन के लिए कह रहा हूँ कि इजरायल में चुनाव हुए और किसी पार्टी की मैजोरिटी नहीं आई । इन्होंने हैडिन दे दिया कि वहां भी चौधरी भजन लाल को भेज दिया जाए । मैंने कहा कि अच्छा है, हमारा पीछा छूट जाएगा । (शोर) स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि इस मामले पर इनको 'पुनर्विचार करना चाहिए और एक ही नीति अपनानी चाहिए । ये कहते हैं हमें भारत सरकार ने कहा कि 19 दख्खिस्तें भेजों । मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने बाकायदा एडवरटाईजमेंट किया है, अगर हां तो वह कौन-कौन से अखबारों में किया हूँ और वह एडवरटाईजमेंट कब आई है? उस पर कितनी एप्लीकेशज आई?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो बातें कहीं । एक तो यह कहा कि दोगली पालिसी क्यों है? केवल

बिहार और बंगाल के कोयले के लिये लाटरी सिस्टम था जोकि अलाटिड कोटा था । दो साल से आसान और मेघालय से बहुत कम कोयला आया है क्योंकि आप जानते हैं कि या तो वहां पर कोई आफिस नहीं होगा या वहां से लाने की सुविधा नहीं होगी । दो साल तह जब कोयला नहीं आया तो इस पालिसी को चेंज करना पड़ा ताकि जो आदमी वहां से लाना चाहे वह ला सके । उसके लिपे बाकायदा एप्लीकेशंज मांगी थीं । जैसे मैंने पहले बताया था कि 191 एप्लीकेशंज आईं जिनमें से छान-बीन करने के बाद 179 ठीक पाई गई । इस दौरान में रेलवे वालों की चिट्ठो आ गई, उन्होंने कहा कि आपकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंज हैं, आप थोड़ी भेजी । इसलिये हमें थोड़ी भेजनी पड़ी । (शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य : जो अखबार में आया है उसके बारे में बताओ कि खसमें क्या गलत है । (शोर)?

चौधरी भजन लाल : यह स्कैंडल है । पहले आप लोग ऐसी खबरें छपवा देते हो, बाद में उनकी यहां उठाते हो । (शोर) अध्यक्ष महोदय, जो एप्लीकेशंज हमने आगे भेजी वह बाकायदा फर्सट कम फर्सट सबर्ड के हिसाब से भेजी हैं । बंगाल और बिहार से तो हमारा दस रैंक कां कोटा है, लेकिन आसाम और मेघालय का कोई कोटा नहीं है । जितनी एप्लीकेशंज हमारे पास आईं, उनमें से जो ठीक थी वह सारी भेज दीं । हमने कहा कि जो व्यक्ति वहां से ला सके, ले आए ताकि लोगों काँ कोयला मिल सके

। अध्यक्ष महोदय, इनकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है । ये बै—मतलब की, मन घडंत बातें करते हैं । (शोर)

वाक आउट

श्री नेकी राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । No point of order.

श्री नेकी राम : तो मैं वाक आउट करता हूं ।

(इस समय श्री नेकी राम सदन से वाक आउट कर गये ।)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

प्रो० सम्पत सिंह द्वारा

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी., आप अपनी पर्स नल पक्सप्लेनेशन ही देना । मद स्लिगिंग न करना ।

प्रो ० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मड स्लिगिंग शुरू हो गई है तो मुझे भी कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा जैसे चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने शराब के बारे में जवाब दिया था । स्पीकर साहब, आप खुद भी जानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रोफ़ैसर साहब, आपके बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई ।

प्रो ० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जो चीज मिल हो गई, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें ।

प्रो ० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि मोम का कोटा मैंने अलाट करवा लिया और चार हजार रुपये पर टन मोम ब्लैक हो गया । स्पीकर साहब, आपको पता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय आप भी थे । जनता पार्टी की सरकार की यह पालिसी थी कि रूरल एरियाज में जितने भी पढ़े लिखे नोजवान बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए रूरल इंडीस्ट्रीज स्कीम शुरू की जाए और जनता सरकार ने वह स्कीम शुरू की थी । स्पीकर साहब, जिसने भी मोनोपलिस्ट थे मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी कोटा या परमिट की चीज थी, वह मोनोपलिस्टस से ली गई थी इसलिए इनको तकलीफ हुई । मोम का कोटा और दूसरी चीजों के परमिट मोनोपलिस्टस से लेकर बेरोजगार नौजवानों को दिया था । मैं यह कहना चाहूंगा कि उसमें सम्मत सिंह का नाम शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता । क्योंकि उस समय मैं एम्पलाई था । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, भाई श्री रणवीर सिंह के नाम कोटा था । (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, रूरल इंडस्ट्रीज स्कीम तुक ऐसी स्कीम थी जिसके तहत तीन चार अलग-अलग

बिरादरियों के बेरोजगार लड़के आपस में मिलकर कोई इंडस्ट्री लगाते थे । वे लड़के बैकवर्ड क्लास, हरिजन, जाट और बनिया बिरादरियों से हो सकते हैं । इस तरह से चार बिरादरियों के लड़के आपस में मिलकर कोई इंडस्ट्री लगाते थे । मुख्य मन्त्री जी ने कहा है 'कि कोई रणबीर सिंह नाम का लड़का था । स्पीकर साहब, उस स्कीम के तहत हजारों लड़कों ने इंडस्ट्री लगाई थी लेकिन वह स्कीम आज इनके कारनामों की वजह से फेल हो चुकी है । उन इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया हुआ माल आज सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है और न ही उनको सरकार रा-मैटीरियल दे रही हए । (शोर)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं । यदि आगे बोलेंगे तो कोई बात रिकार्ड नहीं की जाएगी । (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं । मैं आप से रिक्वैस्ट करूंगी कि माननीय सदस्य को अच्छी तरह से अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने दें । (शोर) इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम आपके ध्यान में यह बात कैसे नहीं लाएंगे कि कौन सी बात लिखी जानी है और कौन सी नहीं लिखी जानी है । हम जो कानून कायदे की बात कहते हैं, कोई इररैलेवैंट नहीं बोलते । हम आपके ध्यान में यह बात लाएंगे कि जब हम रैलेवैंट बात कहते हए उसको रिकार्ड क्यों नहीं किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप बैठ जाएं । प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह जी, आप अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें दूसरी कोई बात न कहें ।

प्रो ० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पर जो एलीगेशंज लगाए गए हैं उनके लगाने की सीधी इन्टेशन यही है कि आज जो मामला सदन के सामने आया है उस को टालने के लिए हमारी अटैन्शन डायवर्ट करने के लिए एलीगेशन लगाए गए हैं ।

स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि पूरी सरकार है, पूरा अमला है और आज के दिन इनके पास सब कुछ है, ये उस चीज की इन्कवारी करवाएं चाहे कोई प्रोपर्टी है चाहे कोई नाजायज फायदा है सारी चीजों की इन्कवायरी करवा लें, आप को सारा पता लग जाएगा उस के बाद जो मर्जी आए सजा दे । स्पीकर साहब, सम्पत सिंह, तो अपने बाप के कमाए हुए अनाज की रोटी सुबह, और शाम खाता है, किसी की दी हुई रोटी नहीं खाता । स्पीकर साहब, पहली मार्च से विधान सभा का सेशन चल रहा है । पहली मार्च को सेशन शुरू हुआ था और उस दिन से आज तक एलीगेशन पर एलीगेशन लगाए जा रहे हैं । मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये उस बारे में इन्कवायरी करवा लें, जुडीशियल इन्कवायरी करवा लें सारी बातों के बारे में पता लग जाएगा कि क्या मामला है ।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह ली है अब आप बैठिए ।

ध्यानकर्षण प्रस्ताव--

ड्रिंकिंग वाटर की स्केयरसिटी संबंधी

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, मुझे सर्वश्री शिव प्रशाद और फतेह चन्द विज, श्री मांगे राम, श्री भागी राम और श्री धीरपाल सिंह की ओर से ड्रिंकिंग वाटर की स्केयरसिटी के बारे में चार काल अटेंशन मोशन के नोटिसिज मिले हैं । मैं इन्हें एडमिट करता हूं । श्री शिव प्रशाद अपना नोटिस पढ़ दें । The other notices will be deemed to have been read.

मास्टर शिव प्रशाद तथा श्री फतेह चन्द विज : सरकार का ध्यान अम्बाला शहर की जवलन्त समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं । अम्बाला शहर जिले का केन्द्र स्थान है और एक प्राचीन नगर है । यहां की नगरपालिका "ए" क्लास नगरपालिका है परन्तु आज अम्बाला नगर के लोग पानी की कमी के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं । तमाम शहर में हा-हा कार मचा हुआ है । ग्रीष्म ऋतु अमी अच्छी प्रकार आरम्भ भी नहीं हुई लेकिन पीने के पानी की एक-एक बून्द के लिए लोग तगसते हैं । सही तौर पर आज अम्बाला नगर करबला का मैदान बना हुआ है । लगभग 5½ वर्ष पहले नगर में पानी लाने की योजना को स्वीकार किया गया

था परन्तु आज तक उस योजना के छ-नुसार नगर के लोगों को पानी नहीं दे पाये ।

यदि कभी-कभी नगर के किसी भाग में पानी मिलता है तो वह पानी नगर पालिका के प्रशासक महोदय की लापरवाही की वजह से गन्दगी तथा कीड़ों वाला लोगों को मिलता है । पाईप लाईन लीक करती है । गन्दे नालों का पानी उस पाईप के द्वारा पानी में मिल कर लोगों तक पहुंचता है । इस गन्दे पानी के कारण शहर में पीलिये की बीमारी के अधिक तेजी के साथ फैल जाने का डर है । सी०एम०ओ० हारा कैप्टन जगत प्रशाद पुरी, एडवोकेट, रेलवे रोड के घर से पानी का सैम्पल लिया गया । करनाल लैबोरेटरी से रिपोर्ट आई है कि पानी पीने के योग्य नहीं है । सरकार से बे चाहेंगे कि वह समस्या के बारे में स्थिति स्पष्ट करे ।

स्पीकर साहब, इसके साथ मैं आपकी. इजाजत से कहना चाहूंगा कि मेरे पास उस पानी की टैस्टिंग रिपोर्ट करनाल सी०एम०ओ० से आई है और मेरे पास उस पानी का सैम्पल भी है । इसको आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष : जब आपके पास टैस्टिंग रिपोर्ट आ गई है तो पानी को देखने की क्या बात है?

मास्टर शिव प्रशाद : स्पीकर साहब, आप देखें इस पानी में कितने कीड़े हैं । यह बहुत गंदा पानी है । यह अम्बाला

लैबोरेटरी की रिपोर्ट है । इस रिपोर्ट को सरकार देख ले । यह पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है ।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (सरदार प्यारा सिंह) :
स्पीकर साहब, मैं इसके बारे में कल जवाब दूंगा ।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मैं आप की इजाजत से कहना चाहूंगा कि मास्टर शिव प्रशाद जी ने जो नोटिस पढ़ा है, उसमें और मेरे नोटिस में फर्क है इसलिए हे अपना नोटिस पढ़ना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैंने ड्रिंकिंग वाटर की स्केयरसिटी के बारे में चार नोटिस एडमिट किए हैं । आप को इस बारे में क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा । अगर आप सैपरेट— सैपरेट पढ़ेंगे तो हाउस का टाईम जाया होगा ।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मेरा नोटिस एलनाबाद के बारे में है और बिल्कुल डिफरेंट है । इसलिए आप मुझे पढ़ने की इजाजत दें ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप पढ़ दें' ।

श्री भागी राम : मैं इस महान सदन का ध्यान अति महत्वपूर्ण लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सारे हरियाणा में पीने की पानी की बड़ी भारी कमी है । खास तौर पर जिला सिरसा के एलनाबाद कस्बा जहां बहुत बड़ी अनाज मण्डी भी

है 30-35 हजार की आबादी का कस्बा है वाटर वर्कस न होने के कारण पीने के पानी की भारी दिक्कत हो रही है । नीचे पानी की तह तक लैट्रीन की कुईयां घर-घर में बनी होने के कारण नीचे का पानी बिल्कुल बदबूदार तथा खराब हो गया है । जो गरीब आदमी नलके का पानी मजबूरी से पीता हए तो बीमार होने का भय रहता है । सारे कस्बा में नीचे का पानी खराब हो जाने के कारण बाहर से ऊंट-गाड़ियों पर पानी मंगवाया जाता है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है । खासतौर पर हरिजन मौहल्लों में बसे हरिजनो का बहुत बुरा हाल है गरीब आदमी होने के कारण पानी मोल नहीं ले सकते । खासतौर पर नीचे के गन्दे पानी को पीते हैं और बीमार रहते हैं । बीमार होने के बाद दवाई आदि लेने के लिए एक नाममात डिसपैन्सरी है । कस्बा के लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए 45 किलोमीटर सि रसा जाना पड़ता है । लोगों में हाहाकार मची हुई है । पानी न मिलने से लोगों में भारी रोष है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । अतः मैं आप द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे ।

चौधरी शेर पाल सिंह : इस महान सदन का ध्यान एक अति आवश्यक लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिला रोहतक के ग्राम बाडसा, मुन्डाखेडा, इस्माईलापुर, लगरपुर तथा देवरखाना के लिये जो वाटर वर्कस ग्राम बाढसा मे है, उसमें दो नलकूप लगाकर इन ऊपर लिखित गांव में पानी सप्लाई किया जाता है । इन दोनों नलकूपों का पानी खारा हो

गया है और इन्सान के पीने के कतई योग्य नहीं है । इस इलाके में ग्राउण्ड वाटर खारा है और नहर का पानी भी नजदीक कही उपलब्ध नहीं है । इस कारण से इन गांवों में पीने के पानी की विकट समस्या खड़ी हो गई है । इस समस्या को ले कर जनता में बड़ी भारी बेचौनी है । सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है । अगर बहुत शीघ्र ही युद्ध स्तर पर कार्य चला कर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हालात बड़े विकट बन जायेंगे । यह एक अति आवश्यक लोक महत्व का विषय है और इस बारे में जन स्वास्थ्य मन्त्री को सदन में एक वक्तव्य देने के लिये कहा जाये ।

चौधरी माँगे राम : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ शि पिछले लगभग 2 मास से बहादुरगढ़ शहर में बिजली के कमी के कारण पीने के पानी की दिक्कत चली आ रही है, परन्तु लगभग पिछले 7 दिन से पीने के पानी की स्थिति भयंकर रूप धारण कर गई है । नहाने तथा कपड़े धोने तो दूर की बात है, —पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा । जो शहर में हैड पम्प हैं उनका पानी पीने के काबिल नहीं है । सारे शहर में हाहाकार मची हुई है और पीने का पानी भी पर्याप्त माता में लोगों को नहीं मिल रहा है । एक गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है और लोग चिन्तित है । औरतें प्रदर्शन पर उतारू हो गई हैं, और यह लोक महत्व का विषय बन गया है । अतः मैं इस प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान

इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि सरकार इस महान सदन को एक ध्यान दे कर विश्वास में ले ।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : इन के बारे में कल जवाब देगे ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी भी एक हम्बल सबमिशन है ।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, पहले मंत्री जी को जवाब देने दो । उसके बाद आप अपनी बात कह लेना ।

श्री मंगल सैन : ठीक है जी ।

वक्तव्य—

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा—

नहरी पानी तथा बिजली की कमी के कारण फसलें नष्ट होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : काल 'अटैन्शन नोटिस नं० 26, 37 और 50 पर सिंचाई तथा बिजली मन्त्री जी आज जवाब देंगे ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, आपकी इजाजत हो तो मैं अपना जवाब पढ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsheer Singh Surjewala) : Sir, Government is aware that on account of great shortage of canal water and Electricity in the Districts of Rohtak, Bhiwani and Jind, some set-back to the standing Rabi crops has occurred.

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, आप इनको कहे कि ये अपना जवाब हिन्दी में पढ दें क्योंकि ये हिन्दी भी जानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, यह तो पहले फैसला हो चुका है कि मंत्री या कोई सदस्य रूलज में प्रोवाइडिड भाषा में अपनी बात कह सकता है या पढ सकता है ।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि ये अपना जवाब हिन्दी में पढ दें ।

श्री अध्यक्ष : आपने रिकवैस्ट करके देख तो ली है । अब आप बैठिये ।

Chaudhri Shamsheer Singh Surjewala : Sir, to keep continuity I will also again read the portion of my statement already read out. Government is aware that on account of great shortage of canal water and Electricity in the Districts of Rohtak, Bhiwani and Jind, some set back to the standing Rabi crops has occurred. To meet the deficit of power availability from hydro sources a variety of steps were taken to improve the generation in thermal plants with the result that on an average 13 lakh units a day more power was available since October, 1984.

The restricted average demand of power in the State since October, 1984 onwards was of the order of 160 to 170 LU a day at against availability of 94 to 113 LU.

Highest priority was accorded to the agricultural sector and over 50% of the available power was supplied to this sector for Rabi crops by diverting the same from other sectors viz. industries etc: Farmers are satisfied about the new regulatory measures taken by the Government in respect of supply of electricity.

During the months of January and February, 1985, supply of electricity made available to the agricultural sector has been around 50 percent of the total availability, inspite of the fact that 30 lakh units per day were being received less than the normal from Bhakra complex.

With new regulatory measures, it has been possible to provide average daily supply of 6 hours to agricultural sector as compared to 3½ hours supply given in the first fortnight of January, 1985. From 16th January, 1985, the power availability has been on an average about 102 lakhs units a day as compard to 84 lakh units in the first fortnight of January, thereby registering an increase of about 21%. Presently power supply to Agriculture is being given for 6 to 9 hours daily.

As regards availability of canal water it is stated that there are two major canal systems in Haryana namely : Bhakra Canal System and Western Yamuna Canal System. The Western Yamuna canal areas of Haryana are mainly served by the water available from river Yamuna and Irrigation is also

supplemented by the waters of Augmentation Tubewells in Westerns Jamuna tract and by the diversion of Ravi-Beas waters via Narwana Branch NBK link. The water made available during 1984-85 (Oct. to Feb.) for Rabi in WJC areas was 1.184 m.a.f. against 1.434 m.a.f. and 1.380 m.a.f. during the years 1983-84 and 1982-83 (Oct. to Feb.) respectively.

The districts of Rohtak and Bhiwani are served only by WJC Canal System and District Jind is served both by WJC and Bhakra Canal Systems. Supply to the Channels serving these districts was given minimum for eight days with 16 days closure during the period (Oct. to Dec) and from Dezember 31 on wards supplies to channels serving these districts had been given for 8 days after a closure of. 24 days within the present low availability of water from both the systems. Thus water for Rabi sowing has been given to these areas of WJC system satisfactorily. However to further improve the situation in these districts being served by WJC system, we are planning to divert Bhakra waters through NBK Link SYL Canal from 28th M to 6th May 1935 so that assured supplies to one group of WJC Chanelns out of four groups is given and the crops are not to wither away.

As regards Call Attention Notices No. 37 & 56 it is stated that there were practically no winter rains during the entire Rabi season. It is estimated that loss in yield in wheat crop would be around 10-15% which is likely to go upto 20% with the present sudden rise in day temperature and higher velocity winds. In the case of gram crops the loss in yield is estimated to range between 30-35%.

As against a target of 1.26 lakh hectares of area

under gram in Sirsa district., it has been actually sown over an area of 1.22 lakh hectares. The target for whole of the State for gram crop was 7.00 lakh hectares and it has been estimated that gram has actually been sown over an area of 6.60 lakh hectares in the whole of Haryana. In Sirsa District, gram is roughly sown under irrigated conditions on 35 percent of the total area under gram in the district. Therefore, any damage to 65 percent rain fed gram crop cannot be attributed to inadequate supply of canal water and electricity.

As regards damage caused to the villages mentioned by the Hon'ble member, it is stated that the actual damage of gram crop would be ascertained only after the current girdwari is over.

It is a fact that the District Ambala consists of mostly rocky and hilly areas. There has been no rain-fall in this Rabi. Last year i. e. 1983 Rabi there was 4 inches of rain fall. There are over 500 MITC tubewells located in Naraingarh, Sadhaura and Bilaspur. A survey. has been done by Deputy Commissioner, Ambala. There is no shortage of fodder. Current production of wheat is likely to be 1.10 lakh M.Ts. as against 1.60 lakh last year. Relief to the farmers will be given, if necessary, after the results of the ongoing girdawari are known .

चौधरी ओम प्रकाश : अधयक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में गेहूं की फसल के बारे में माना है कि शीतकालीन वर्षा न होने के कारण गेहूं की फसल की पैदावार में 10- 15 प्रतिशत की हानि हो सकती है । इसके आगे यह भी कहा है कि यदि

दैनिक तापमान अचानक इसी प्रकार बढ़ता रहा और हवाएं तेज गति से लगातार चलती रहीं तो यह हानि 20 प्रतिशत तक हो सकती है । इसी प्रकार से चने की फसल के बारे में भी 30—33 प्रतिशत हानि होने की बात कही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ओलावृष्टि होने पर किसान को उसकी फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाता है, क्या उसी प्रकार से अगर गर्म हवा या शीत हवा से किसान की फसल का नुकसान हो जाये तो उसका भी सरकार मुआवजा देने का विचार करेगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : पहली बात जो आपने पूछी, उसके बारे में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इतना नुकसान हुआ होश । यह एस्टीमेटिड नुकसान है । एस्टीमेटिड इसलिए है क्योंकि अभी तक हारवैस्टिंग नहीं हुई । हमारा यह एस्टीमेट है कि इतना डैमैज हो सकता है । सरकार का इस के लिए मुआवजा देने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि न कोई ऐसी कंडीशन है और न ही कोई ऐसी बात है ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि दिसम्बर के महीने में 8 दिन पानी देकर उसके बाद लगातार 18 दिन बन्दी रही । दिसम्बर के बाद 8 दिन पानी दिया, उसके बाद 24 दिन तक बन्दी रही स्टेटमेंट में यह भी माना है कि 10— 15 परसेंट वीट और गन्ना की फसल को नुकसान हुआ है । लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 10— 15

परसेंट नहीं बल्कि रोहतक में 25– 30 परसेंट और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 40 परसेंट से ज्यादा नुकसान इस बन्दी की वजह से हुआ है । दादरी, भिवानी और मूंह फीडर्ज से जितना हिस्सा हमारा पानी का बनता था उस का 40 परसेंट पानी ही दिया गया । इसका क्या कारण है, क्या किसी और फीडर में हमारा पानी चला गया? यह पानी हमें क्यों नहीं दिया गया?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : किसी दूसरे फीडर में पानी जाने का सवाल तब पैदा होता है, जब फीडर में पानी आया हो । मैंने पहले भी हाउस को बताया था कि वैस्टर्न जमुना कैनाल में बहुत कम पानी आया है । मेरे पास पिछले 40 साल का रिटन रिकार्ड मौजूद है । पिछले 40 साल से अब तक पानी का इनफ्लो कभी 8 हजार क्युसिक, कभी 10 हजार क्युसिक, कभी 12 हजार क्युसिक के बीच में रहा, लेकिन आज यह घट कर 2600 क्युसिक रह गया है ऐं । इस साल का नार्मल फ्लो 3500 क्युसिक से लेकर 1280 क्युसिक के करीब रहा 1280 क्युसिक फ्लो फरवरी–मार्च के महीनों में था और यह पिछले 40 सालों में पहला साल है जब घट कर 1280 क्युसिक तक रह गया । इसी प्रकार भाखडा से भी तकरीबन 8– 7 हजार क्युसिक पानी कम मिलता है । स्पीकर साहब, पानी की डिवीजन के लिहाज से हमने चार ग्रुप बनाये हुए हैं । कम पानी होने की वजह से, भाखडा के एरिये से पानी काट कर इन चार ग्रुपस में डिवाइड करके एस० वाई० एल ० लिंक के द्वारा जमुना के ग्रुप में डाल दिया क्योंकि जमुना का इन– फ्लो

बहुत कम था । इस में भाखडा का पानी डाला गया । इसलिए यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनका काटा हो और दूसरी फीडर में डाल दिया हो ।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह बात मानी है कि सिरसा जिले में 35 परसेंट चने की फसल बोई जाती है और इस में भी खराबा हुआ है । मन्त्री जी ने अनुमानित खराबा बताया है कि इतनी परसेंट चने की फसल नहीं होगी । मैं मन्दी महोदय से पूछना भी चाहूंगा और अर्ज भी करना चाहूंगा कि सिरसा जिले में ज्यादातर गांव ऐसे हैं जिन में सिर्फ चने की ही फसल होती है ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए ।

श्री भागी राम : मैं मवाल यह पूछना चाहता हूं कि जिन गावों में चने की फसल होती क्रश और वह खराब होती है तो क्या उनको कितनी प्रकार की मदद देने की किसी प्रपोजल पर सरकार विचार करेगी? सुझाव के तौर पर जिस तरह खराबे के 'लिए जैसे गवर्नमेंट आबियाना मुलतवी करती है, उसी प्रकार सहकारी बैंकों और मार्गेज बैंकों से जिन किसानों ने लोन लिखा हुआ है, उस पर व्याज तब तक न लगे उड़द तक अगली फसल तैयार न हो जाए । इस किस्म की कोई सहूलियत किसानों को दी जाए, बेशक कर्जा मुआफ कर दिया जाए । क्या सरकार किसान को राहत पहुंचाने के लिए इस किस्म की कोई प्रपोजल बनायेगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, सिरसा जिले में 35 परसेंट जमीन काशत होती है और 65 परसेंट जमीन खराब है यानी बारानी है ओर यह बात इन्होंने खुद कही है । 35 परसेंट जमीन कैनाल इरीगैटिड है और 65 परसेंट बारानी है । 65 परसेंट नुकसान बिजली की वजह से नहीं है, अलबत्ता बरसात नहीं हुई जिसकी वजह से क्रोप को कुछ सैट-बैक जरूर है । बरसात न होने की वजह से नुकसान है लेकिन अभी गिरदावरी होना बाकी है । गिरदावरी के रिजल्ट्स देख कर सरकार किसानों को राहत देने के लिए निर्णय कर सकती है । हमारा अनुमान है कि थोड़ा-सा फसल को नुकसान हुआ है । ऐसी पोजीशन में सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म की राहत दी जाए ।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने खुद बताया कि 10 से 20 परसेंट तक खराबा होने का अनुमान है । मैं आपके माध्यम से दोबारा निवेदन करूंगा कि सिरसा में सैट-परसेंट चने की फसल खराब हो गई है । किसानों के पास बीज तक नहीं रहा । इस सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ चुका है, अब आप बैठ जाइए ।

मास्टर शिव प्रसाद : स्पीकर साहब, जिला अम्बाला में नारायणगढ, सढौरा, बिलासपुर वगैरा के इलाकों में फसल का

बड़ा. नुकसान हुआ है । कालका में जो नुकसान हुआ है, उसका शायद सर्वे हो चुका है । सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि इस साल यानि 1984-85 में वर्षा नहीं हुई लेकिन 1983 में वर्षा हुई थी । सरकार ने यह भी मान लिया कि अम्बाले का जो एरिया पथरीला और पहाड़ी है, उसमें नलकूप नहीं लगे हैं, जो इलाका कुछ मैदानी है, वहां नलकूप लगे हैं । पहाड़ी इलाके में अगर थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाती है तो लाभ होता है, थोड़ी बारिश में कोई लाभ नहीं होता और न ही पहाड़ी इलाके में नलकूप लग सकते हैं । सरकार ने जो सर्वे किया है वह नीचे के इलाके का यानी मैदानी इलाके का किया है । क्या सरकार पहाड़ी इलाके का सर्वे करेगी कि कितना नुकसान हुआ है? इन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं और न ही पशुओं के लिए चारा है । क्या सरकार इन को राहत पहुंचाने के लिए कोई तजवीज करेगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, अगर इस इलाके में एड-मिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई लोकल प्रोब्लम है और पब्लिक के लोग सरकार को बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लोकल प्रोब्लम की तरफ ध्यान नहीं देती तो सरकार उनकी जरूर मदद करेगी ।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, किसानों को राहत देने के बारे में कुछ नहीं बताया ।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ गया है, अब आप बैठ जाइए ।

वाक आउट

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, यह सरकार किसानों के खिलाफ है । ये एक तरफ किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं और दूसरी तरफ उनको कोई राहत नहीं देना चाहते । (व्यंघान)

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बैठ जाइए ।

चौधरी भागी राम : सरकार कम से कम

श्री अध्यक्ष : जो कुछ ये बोलेंगे उसको रिकार्ड न किया जाए ।

श्री भागी राम :..... मैं प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करता हूँ ।

(इस समय चौधरी भागी राम सदन से वाक आउट कर गए)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

पशुपालन राज्य मन्त्री द्वारा—

पशुपालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह) : स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ । इस हाउस में सरदार लछमन सिंह ने मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया । यह बिल्कूल बे-बुनियाद बात है । इन्होंने कहा कि ब्लौक बरवाला से जो आदमी ब्लौक समिति के लिए नौमिनेट किये हैं वे हारे हुए हैं और एक ही जात के हैं, ये हारे हुए हैं या एक ही जात के हैं यह तो इनको ही पता होगा । ये गड़बड़ आप करते हैं और दूसरों पर दोष थोपते हैं । मैंने पिछली प्रोसीडिंग निकलवा ली है, इसके मुताबिक बरवाला ब्लौक इन्होंने बनवाया था और सरकार से बहुत बार रिक्वेस्ट कर के बनवाया था । अगली बात इन्होंने कही कि एर्स डी ० एम ० उनको तंग करके डी ० सी ० बनना चाहता है और तहसीलदार उस को तंग करके एस ० डी० एम ० बनना चाहता है । स्पीकर साहब, यह कोर्स तो हमने अभी सुना है कि सरदार लछमन सिंह को तंग कत्ते और एस ० डी० एम ० और डी० सी० बनो । वे अपने आपको इतना पापुलर साबत करना चाहते हैं कि मेरी तरह कोई आदमी नहीं है । स्पीकर साहब, पार्लियामेंट के लिए जो चुनाव हुआ उसमें उसके हल्के के एफ भी व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी । कांग्रेस (आई) को हराने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए । स्पीकर साहब, ये बे-बुनियाद इल्जाम लगाते हैं और गलत बात कहते हैं ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह) : स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर में भी एक सबमिशन करना चाहता हूँ । 6 मार्च से लेकर अब तक, स्पीकर साहब, अपोजिशन की तरफ से वाइल्ड ऐलीगेशन, फास्स ऐलीगेशन, बेसलैस ऐलीगेशन, करैक्टर असैसिनेशन के ऐलीगेशन लगाए गए जिनका कोई आधार नहीं था, जिनका कोई सबूत नहीं है । मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि 78- 79 में 9, 79, 83,000 रुपये के शराब के ठेकों की अलाटमेंट हुई जबकि वे नीलामी से दिए जाने चाहिए थे । स्पीकर साहब, मेरे साथी वीरेन्द्र सिंह जी उस वक्त आई० पी० एम० भी थे और होम मिनिस्टर भी थे । इन्होंने आज कहा था कि मोरार जी देसाई की पालिसी प्रोहिबिशन की थी और उसके तहत देसी शराब के ठेके बहुत कम हो गए थे । स्पीकर साहब, मैं हांसी तहसील का रहने वाला हूँ और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी हांसी तहसील के ही रहने वाले हैं । मुझे अच्छी तरह से याद है, इन्होंने एक-एक कार्यकर्ता को ठेके दिए हुए थे जिन पर रोज शाम को झगडा होता था । स्पीकर साहब, ये लोग वैसे ही हमारे ऊपर मड थ्रो करते हैं और अपने आप को नहीं देखते ।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, मैंने गेहूँ की प्राइस बढ़ाने और किसानों को बोनस देने के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था । उसके बारे में आपने क्या फैसला लिया है ?

श्री अध्यक्ष : वह मैंने कल के लिए एडमिट कर लिया है

|

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, 12 मार्च को महेन्द्र सिंह प्राण जो गोहाना के एक पत्रकार हैं, को गोहाना पुलिस उनके घर से पकड कर लाई और 13 तारीख को उनके खिलाफ पुलिस में रेप का झूठा केस दर्ज करा दिया गया । इस बारे में मैंने काल अटैन्शन मोशन दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । वह मैंने डिस-अलाउ कर दिया है ।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, यह बड़ी नाजायज बात हुई है । उसके खिलाफ पुलिस ने पहले भी 9 जून को एक रेप का झूठा केस दर्ज किया था ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं । मैंने आपको बताया है वह डिस-अलाउ कर दिया गया है । अब पूछने के लिए और क्या रह गया है?

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मेरे पास एक चिट्ठी आई है । इसमें लिखा है—

"Misuse of services of the Govt. officials by Dy.
General of Police.

This officer owns a big farm at village Kolapur,
Distt. Ambala for the last"

श्री अध्यक्ष : मैडम, यह काल अटैन्शन है या कोई और चीज है?

श्रीमती चन्द्रावती : सर, मैं जीरो आवर के हिसाब से यह बात कह रही हूँ।

श्री अध्यक्ष : जीरो आदर तो खत्म हो चुका है ।

श्रीमती चन्द्रावती : अभी तो चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : क्या जीरो आदर सारा दिन कंटिन्यू करेगा?

श्रीमती चन्द्रावती : जब तक अगला बिजनैस शुरू नहीं होता तब तक तो कंटिन्यू करता ही है ।

श्री अध्यक्ष : बिजनैस तो कब का शुरू हो चुका है । मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट भी दे चुके हैं । आप ऐसा करें कि यह चिट्ठी मुझे भेज दें ।

श्रीमती चन्द्रावती :.. ..

श्री अध्यक्ष : यह न लिखा जाए ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मेरी एक काल अटैन्शन मोशन भी थी ।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने डिस-अलाऊ कर दी है ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, लोगों को नरो को गोलियां बित्ता रहे है ।

श्री अध्यक्ष : मैडम वह मैंने डिस-अलाऊ कर दी है ।

श्रीमती चन्द्रावती :

श्री अध्यक्ष : अव भी न लिखा जाए ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी बडे अदब के साथ गुजारिश है सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि आप हमें जब कोई हुकम देते हैं तो हम सिर झुका कर उसे कबूल कर लेते हैं क्योंकि हम बड़े आज्ञाकारी सदस्य हैं । ट्रेजरी वेंचिज को आज पता नहीं क्या हो गया, एक के बाद एक सदस्य खड़ा हो कर कुछ न कुछ कह रहा है । चौधरी अमर सिंह जी अभी कह रहे थे कि शराब के ठेके उनके गांव के हर वर्कर को दिए गए थे । (विल) पता नहीं ये किस इशु पर किस खल के मुताबिक आपका कीमती समय लेते रहे हैं? (विल) खैर, मैं इस तरफ ज्यादा न जाते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने और मेरे साथी मास्टर शिव प्रसाद, श्री फतेह चन्द विज और प्रॉ राम बिलास शर्मा ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था । स्पीकर साहब, हरियाणा की जनता ने, श्री कृष्ण लाल मनचन्दा को उग्र- वादियों द्वारा मारे जाने के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए हरियाणा में बाजार बन्द रखने का फैसला किया था लेकिन करनाल में लोगों के ऊपर नाजायज तौर पर लाठी चार्ज किया गया । हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उस सम्बन्ध में था ।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने डिस-अलाउ कर दिया है ।

श्री मंगल सैन :

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड न किया जाए ।

श्री मंगल सैन :

Mr. Speaker : That is disallowed. You cannot speak now.

श्री मंगल सैन :

श्री अध्यक्ष : इसके मुताल्लिक आप अब कुछ न कहें । अगर आपने कुछ बात करनी है तो आप मेरे चौम्बर में आ जाना ।

वाक- आउट

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब हम आपकी रूलिंग से इत्ताफाक नहीं करते । We are sorry, Sir. हम वाक आउट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ये लफज तो मुझे सुनने ही पड़ते हैं ।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से चले गए परन्तु कुछ ही क्षण बाद सदन में वापस आ गए ।)

श्री अध्यक्ष : विज साहब क्या आपको किसी ने यह नहीं बताया कि करनाल में लाठी चार्ज क्यों हुआ? ईटें मार-मार कर लोगों का खून बहाया गया है । जो लोग घास ला रहे थे, तूड़ी

ला रहे थे उनको भी स्पेयर नहीं किया गया । लेकिन आप लोग बार—बार वाक आउट कर रहे हैं आपने कल भी नाक आउट किया और आज भी किया ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है । अखबार में भी कोई बात नहीं आई है । (विघन)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए ।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरी भी एक सबमिशन है । पता नहीं चौधरी अमर सिंह जी किस प्वायंट पर खड़े हुए थे?

श्री अध्यक्ष : असल में बात यह है कि इधर से लोग प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े होकर भाषण दे जाते हैं इसलिए इन्होंने भी सोचा कि क्यों न हम भी फायदा उठा ले? (हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, अगर आप के भी ऐसे विचार हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? (हंसी) स्पीकर साहब, गुजारिश कर रहा था कि इन्होंने कह दिया कि गांव—गांव में कार्यकर्त्ताओं को ठेके दे रखे थे । इसके लिए तो आप रिकार्ड देख लें । फिर इन्होंने कहा कि मैं हांसी तहसील का रहने वाला हूँ । स्पीकर साहब, हमें तो आज तक पता नहीं लगा कि ये कहां के रहने वाले हैं । कभी तो यह बवानी खेड़ा से चुनाव लड़ते हैं,

कभी बरवाला जा पहुंचते हैं और इस बार सुना है रतिया जाने की सोच रहे हैं । (हंसी) उससे अगली दफा असन्ध से आना चाहते हैं । (विघ्न) भगवान जाने ये कहां के हैं कहा के नहीं हैं । स्पीकर साहब, मैं तो इन्हें अपना मित मानता हूं और मेरे ख्याल में इन्हें भी एक मित्र की तरह ही सम्बन्ध रखने चाहिए, उसी में अच्छाई है ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मेरे चार पांच काल अटैन्शन मोशनज थे । एक मोशन तो महेन्द्रगढ, भिवानी तथा गुड़गांव जिलों में सूखे की स्थिति के कारण फसलें नष्ट होने के बारे में था । वहां सारी फसलें बरबाद हो गईं एं ।

श्री अध्यक्ष : वह डिस-अलाउ हो गया है ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, दूसरा काम अटैन्शज मेरा यह था कि फरीदाबाद में एक अफसर ने 275 के लामग कर्मचारी बिना ऐनप्लायमेंट ऐक्सचेज के रख लिए थे लेकिन अब उन्हें हटाया जा रहा । यह मोशन मैंने सुबह 7-55 पर दिया था और लगभग 8 बजे आपके पास पहुंचा होगा ।

श्री अध्यक्ष : यह अन्दर कंसिडरेशन है

श्री राम बिलास शर्मा : मेरा एक और काल अटैन्शन मोशन जिता महेन्द्रगढ के रासियावाम गांव मे डकैती के बारे में था ।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में गवर्नमेंट से कमेंट्स मंगवा रखे हैं ।

गैर-सरकारी संकल्प—

(1) एस० वाई० एल० नहर के निर्माण सम्बन्धी
(पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now. the discussion on the non-official resolution regarding S. Y. L. canal, which was moved by Shri Devi Dass, M. L. A. on behalf of Shri Fateh Chand Vij, M. L. A. on the 15th September, 1983, and further discussed on the 15th and 29th March, 1984, and 14th and 21st March, 1985, will be resumed.

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत) : स्पीकर साहब, पेशतर इसके कि कोई और सदस्य इस प्रस्ताव पर बोले, मैं आपके माध्यम से हाउस से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एस० वाई० एल० कैनल सम्बन्धी प्रस्ताव पर लगभग डेढ़ साल से डिसकुशन चल रही है । इस पर ट्रेजरी बेंचिज के साथियों ने भी. और विरोधी पक्ष के साथियों ने भी अपने-अपने विचार रखे हैं । चाहिए तो यह था कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके सेंट्रल सरकार को भेज दिया जाता, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को वापस लेने की मुझे आज्ञा दे दी जाए और अगले प्रस्ताव पर बहस शुरू कर ली जाए ।

श्री अध्यक्ष : क्या हाउस आनरेबल मैम्बर को अपना रैजोल्यूशन वापस लेने के लिए इजाजत देता है ।

आवाजें : जी हां । हाउस की इजाजत से रैजोल्यूशन विदङ्गा हुआ ।

(2) शाह आयोग द्वारा हरियाणा के पक्ष में अवार्ड किए गए सभी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य में ट्रांसफर करने संबंधी—

श्री अध्यक्ष : अगला रैजोल्यूशन सर्वश्री फतेह चन्द विज, मंगल सैन तथा मास्टर शिव प्रसाद जी का है जो शाह कमीशन के अवार्ड के मुताबिक हरियाणा से सबधित कुछ क्षेत्रों को हरियाणा प्रदेश में शामिल करने के सम्बन्ध में है । डा० मंगल सैन कृपया रैजोल्यूशन मूव करें ।

Shri Mangal Sein : Sir, I beg to move—

That this Houses recommands to the State Government to approach the Government of India for getting all the areas as were awarded by the Shah Commission in favour of Haryana transferred to the Haryana State.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House recommends to the State Government to approach the Government of India for getting all the areas as were awarded by the Shah Commission in favour of Haryana, transferred to the Haryana State.

श्री मंगल सैन (रोहतक) : स्पीकर साहब, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आज सदन में प्रस्तुत हुआ है । मैंने और मेरे साथी श्री फतेह चन्द विज और मास्टर शिव प्रसाद ने मिल कर इसे रखा है । मेरे दूसरे साथी तो इस पर बाद में बोलेंगे क्योंकि मैंने उनसे प्रार्थना करके पहल करने की इजाजत मांगी है और उन्होंने मुझे इजाजत भी दं दी है । स्पीकर साहब उत्तर भारत में पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था पैदा हो गई है । आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, लाखों लोग रावी पार करके आये, यानि वे हिन्दुस्तान में आये । स्पीकर साहब, अंग्रेज लोग बड़े चालाक थे । जिन्हा को शह देकर पाकिस्तान बनवा दिया । जो गैर—मुस्लिम थे उन्हें पाकिस्तान से इधर उजड कर आना पड़ा । स्पीकर साहब, अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो और इन्होंने भारत की जनता के बीच फूट के बीज बोए । कहीं हिन्दू—मुस्लिम को अलग करने का प्रश्न बड़ा किया गया, वही अकाली दल को गलत प्रोत्साहन दिया । अकाली चल वाले भी अलग मुल्क का स्वप्न ले रहे थे । वे जिन्हा के पास गए । उन्होंने कहा कि मैं आपको अलग नेशन के तौर पर रिकगनाइज नहीं करता । जिन्हा ने कहा कि सब—नेशन मानने को तैयार हूँ । जिन्हा जी ने एक और बड़ी चालाकी की । बंटवारे के बाद जो आबादी उनकी हां में हां मिलाती थी और जिसके बारे में वे जानते थे कि ये आन्दोलन में समर्थन करेंगे, उन्हें जालन्धर, अमृतसर में आबाद करवाया गया और जो आबादी बिलोचीस्तान और फ्रंटियर साइड पर लगती थी, उन्हें अम्बाला

डिवीजन में सैटल करवाया गया क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग पक्ष में नहीं होंगे । आप जानते हैं कि पहले तो ये कैबिनेट में प्रायरिटी की बात करते रहे फिर रीजनल कमेटियां बना दीं, उसके बाद रीजनल फार्मूला बना दिया और भाषा के नाम पर आन्दोलन खड़ा कर दिया । यही हमारे देश का दुर्भाग्य था जब ये भाषा के नाम पर फार्मूला बना । पंजाब से बाहर रहने वाले जितने भी राजनैतिक नेता थे, खास तौर पर जो सत्तारूढ पार्टी के थे, वे अकालियो की योजना को समझ नहीं पाये । मैं भी उगे डैपुटेशनिस्टों के साथ स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिलता पा हूँ जो इनको अलग कराने के हक में नहीं थे । हम उनसे रिस्वैस्ट करते रहे कि भाषावाद के नाम पर प्रान्त नहीं बनना चाहिए क्योंकि इनकी मन्शा कुछ और है । हमारी बातों को अनसुना कर दिया और ठुकरा दिया । आज जिन बातों के बारे में चौधरी भजन लाल जी बाबेला मचा रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को एक कर दिया जाये । इस मामले पर हमने लाठियां खाई हैं, जेलों में गये हैं और आन्दोलन किये हैं, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी । स्पीकर साहब, उस समय की सरकार ने पंजाब को री-आर्गनाइज करना माना । जब इस बात को मान लिया तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एक कमीशन मुकरर किया कि कमीशन यह पता करे कि कौन से इलाके में हिन्दू पापुलेशन ज्यादा है और कौन से इलाक़ेरू में सिख पापुलेशन है । जो कमीशन मुकरर हुआ उसकी अध्यक्षता जस्टिस शाह ने की जो सुप्रीम कोर्ट के जज

थे । यह शाह कमीशन के नाम से मुकर्रर किया गया । उस कमीशन ने कई महीनों तक काम किया सारे इलाके के लोगों से मिला, मैमोरेन्डम लिए । सारे दस्तावेज सरकार से मंगवाए, काफी डिटेल में जाने के बाद यह रिपोर्ट दी —

"The Shah Commission (Punjab Boundary Commission) set up by the Government of India had recommended in its report dated the 31st May, 1956 that the Haryana State should include the areas as mentioned in Para 135 (3) of the report and which are reproduced below :—

"District Hissar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak, Karnal and Tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and Tehsil Kharar (including Chandigarh Capital Project), Naraingarh, Ambala and Jagadhari."

स्पीकर साहब, शाह कमीशन जुडिशियल कमीशन था । उसने सारे इलाके के रस्मों—रिवाज डायलैक्ट और फैमिली रिलेशनज को ध्यान में रखते हुए कौन इलाका किधर जाना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट दी । उस कमीशन ने चण्डीगढ जिसमें खरड तहसील भी शामिल है, वह हमें दे दिया । लेकिन स्पीकर साहब, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रान्त की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में रही जो हमेशा आन्दोलन से घबराते रहे, तलवारों से डरते रहे, इन्होंने अपने हिस्से को लेने का प्रयत्न ही नहीं किया । जय जुडिशियरी ने फैसला दे दिया तो क्या दिक्कत इनके सामने थी? स्पीकर साहब, आप तो खानदानी वकील हैं, जुडिशियस माइंडिड हैं, आप भी महसूस करेंगे कि जब एक

कमीशन ने इत्मीनान और ठंडे दिमाग से फैसला कर दिया तो फिर बारगेनिंग करने की क्या जरूरत थी? अकाली दल ने कहा कि इस कमीशन के फैसले को रिब्यू किया जाए । कमीशन के फैसले को मानने से इन्कार कर दिया । यह वही बात हुई कि मैं न मानूं । उन्होंने यह बात मनवाई कि चण्डीगढ न पंजाब को जाये और न हरियाणा को जाये, सैन्टर के पास रहे । स्पीकर साहब, जब कभी चण्डीगढ में चुनाव होता है तो ट्रेजरी बैन्चिज पर बैठने वाले नुमाइन्दे सैक्टर-22 और सैक्रेटेरिएट के बाह्र खड़े हो कर कहते हैं कि हम चण्डीगढ को हरियाणा में शामिल करायेंगे । स्पीकर साहब स्वर्गीय इन्दिरा जी के सामने मामला आया तो उन्होंने भय खाकर नया ऐवार्ड दे दिया कि चण्डीगढ केन्द्र प्रशासित रहेगा । उसके बाद फिर आन्दोलन चला । उस समय तो भजन लाल जो आदमपुर में होंगे, मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी थे ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : स्पीकर साहब उस समय मैं मैम्बर था । मैं सन 1968 में एम०एल०ए० बन गया था ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह सन 1971 की बात है । जब हम गवर्नर साहब को मिलने के लिए गये तो ये हमारे पीछे-पीठे गये थे । (विधान) आगे चल कर तो भजन लाल जो की और बंसी लाल जी की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई ।

स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी ने फैसला किया लेकिन पोलिटिक्ल बारगेनिंग में आकर जुडिशियरी

के फ़ैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया । आज ये अकाली इतना सिर उठाये हुए हैं कि रास्ता चलते हुए को, और बसों में बैठे हुए को और घरों में बैठे हुए को मार देते हैं, लेकिन कोई भी इनकी निन्दा करने को तैयार नहीं है यह तो वही बात है—

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,

वह कत्ल भी कर दें तो चर्चा तक नहीं होती ।।

ये लोग कत्ल भी कर जायें और हम करनाल की सड़कों पर या गलियों में जलूस निकालें या हड़ताल करें तो हरियाणा की पुलिस लोगों के हाथ पैर तोड़ देती है, सिर कोड़ देती है । हम सच बात को नहीं कह सकते । स्पीकर साहब, यहां हाउस में जब चर्चा करते हैं तो आप भी रूल के मुताबिक कह देते हैं कि पुलिस का लाठी चार्ज आदि तो डे-टु-डे की एडमिनिस्ट्रेशन की बात है । हम चेयर के खिलाफ भी नहीं जा सकते । हम भी मजबूर हैं, क्योंकि मरने वालों के साथ हमारे जजबात जुड़े हुए हैं । इसलिए मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहता है कि शाह कमीशन की रिपोर्ट को इन टो टो लागू करना चाहिए । गवर्नमेंट आफ इंडिया की गलती है उन्होंने इन टो टो लागू न करके ये नफरत के बीज, झगड़े के बीज बोये हैं । गवर्नमेंट आफ इंडिया को यह कहना चाहिए था कि जुडिशियरी ने जो फ़ैसला कर दिया, वही लागू होगा । आज भजन लाल जी भी हमारे मुंह में डालते हैं कि आप यह बात मान जाइयेगा बाकी

बातों के लिए कमीशन बैठा देंगे । यह तो वही बात हुई जैसे किसी ने नौकर से कहा कि आपको हम इतनी तन्खाह देंगे, वह कहने लगा कि मैं नहीं मानता । जब मालिक ने कहा कि मैं आपकी बात न मानूं तो फिर आप क्या करेंगे, तो कहने लगा की इसी तन्खाह पर काम कर लूंगा । स्पीकर साहब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव सदन के सामने है, इस से हरियाणा की जिन्दगी और मौत का सवाल जुड़ा हुआ है । हरियाणा के एक-एक निवासी को इस मामले में अपना मन बनाना चाहिये । हमारे साथी शमशीर दिखाकर, पिस्तौल दिखाकर हरियाणा के हकों की दबाना चाहते हैं एस०वार्ड ०एल० को 5 साल तक तो बनने नहीं दिया । फाजिल्का अबोहर के बारे में यह कहते हैं कि वह तो हमारे पास ही रहेगा, चण्डीगढ़ तो इंदिरा जी ने हमें दे ही दिया था । मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं, भजन लाल जी, अगर आपकी पार्टी में कोई दम-खम बाकी है और आपकी आत्मा की कोई आवाज है तो इंदिरा गांधी के दिये हुए अवार्ड को लागू करवाओ । पानी के मामले में फाजिल्का, अबोहर और चण्डीगढ़ के मामले में उस अवार्ड को लागू करवाओ । उस दिन आप कह रहे थे कि सबने जाना एं जाने वाला तो जायेगा ही । सन्त महात्मा चले गये । पीर पैगम्बर चले गये । पांच तत्व से बना हुआ यह पुतला तो इस संसार से चला ही जायेगा । लेकिन उस जगह पर बैठने वाला आदमी मुख्य मती कहलाता है । अगर वह कोई हिम्मत की गत करेगा या दिलेरी की बात करेगा तो इतिहास में उसका नाम याद रहेगा वरना कई आदमी इस कुर्सी पर

आये और कई चले गये । इसलिये मैं सदन से यह कहना चाहता हूँ कि हम इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें, भारत सरकार को यह प्रस्ताव पास करके भेजें और उनको यह कहें कि शाह कमीशन का फैसला एक जुडीशीयल फैसला था, वह इन-टो टो लागू करें । शाह कमीशन ने चण्डीगढ़ हमको दिया था, यह हमें ' मिलना चाहिये । इस विषय पर जितना भी कहा जाये, उतना ही थोड़ा है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भाई भाई हैं । हरियाणा 1968 से पहले पंजाब का ही हिस्सा था । इस इलाके में प्रभु की या ईश्वर की उपासना करने की जितनी भी पद्धतियां हैं, वह सब एक हैं, उपदेश के तरीके एक हैं । हुन सबके स्रोत और उद्गम स्थान एक हैं । झगड़े का कोई कारण नहीं है । इसलिये मैं स्पीकर साहब, निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर सरकार किसी न किसी आधार पर तो चलेगी ही । वह फैसला एक एग्जैक्टिव का फैसला नहीं है । वह तो जुडिशियरी का फैसला है । इसमें पोलीटीकल प्रोसीजर की कोई बात नहीं है । अगर यह प्रस्ताव वहा पर चला जाये तो हो सकता है भारत सरकार उस निर्णय को जो किया हुआ है, कुछ सुधार दे । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को मूव करते हुए अपना स्थान लेता हूँ । धन्यवाद ।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, आज से 12— 13 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाह की अध्यक्षता में एक कमीशन बना था जिसको शाह कमी-शन का

नाम दिया गया था हू वह हुक जुडिशियल कमीशन था । काफी लम्बी-चौडी पूछताछ और इन्कवायरी के बाद उन्होंने एक फैसला दिया कि चण्डीगढ, तहसील खरड, डेराबसी, लालड और अबोहर फाजिल्का का इलाका हरियाणा को दिया जाये । उस वक्त कुछ शोर-शराबा अकालियों की तरफ से हुआ था । उसके बाद यह फैसला किया गया कि चलो, चण्डीगढ को यूनियन टैरीटरी बना दिया जाये (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) जस्टिस शाह का फैसला बड़ा ही मुनासिब फैसला था और पूरी इन्कवायरी के बाद किया गया था, उसका लागू न होना हरियाणा के हितों के खिलाफ जाना था । फिर एक ऐसा मौका आया कि हमारी। साबका प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक अवार्ड दिया कि चण्डीगढ पंजाब को दे दिया जाये और फाजिल्का और अबोहर हरियाणा को दे दिया जाये । उस वक्त हरियाणा में कुछ दंगे हुए और लोग काफी नाराज हुए लेकिन पंजाब में तो उस वक्त दीपमाला की गयी। उसके ऊपर भी वे लोग कायम नहीं रहे । मैं समझता हूँ कि कायम रहने का उन्होंने कोई मसला ही नहीं छोड रखा है । उन के साथ फैसला कोई हो ही नहीं सकता । फैसला तो तब होता है जब किसी कम्पनी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी समझे । पार्टी की जिम्मेदारी हो । एक पार्टी तो आपके साथ फैसला कर लेगी लेकिन कल को कोई दूसरा सन्त यह कह देगा कि वह फैसला हमें -मन्जूर नहीं है । इसलिए मेरा कहना यह है कि जब भी कोई फैसला करना हो तो इन सब बातों को

ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से हो कि उस फैसले पर वह कायम रहें । देश में अमन और शान्ति बनी रहें ।

इससे पहले जो लोक सभा का इलैक्शन लग गया था, उसमें जनता ने यह साफ तौर पर फैसला दिया था कि हम आनन्दपुर प्रस्ताव को नहीं मानेंगे । आज भी आनन्दपुर प्रस्ताव से अकाली दल पीछे नहीं हट रहा है । सरकार को यहीं तक कायम रहना चाहिए, अपनी उस हद से पीछे नहीं हटना चाहिये कि हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे और देश को अखण्ड रखेंगे । इन सारे हालात को देखते हुए शाह कमीशन ने जो फैसला दिया था, अगर उसी को मान लिया जाये तो इससे हरियाणा के हितों की हिफाजत भी रहती है और लालडू और ढेर-बसो के ने । लोग सैंकड़ों की तादाद में हमारे पास आते थे और कहते थे कि हम हिन्दी भाषी हैं, हम हरियाणा में ही रहना चाहते हैं, आपके साथ लगता हुआ इलाका है, आप हमें क्यों पंजाब में भेजना चाहते हो, उनकी बात भी बन जायेगी । (व्यवधान व शोर) अपि ऐसे ही समझ लो कि हमारी हिन्दुस्तानी भाषा है । हम हिन्दुस्तानी हैं और सैकुलर हैं । आपकी बागडी भाषा तो हमें आती नहीं है । बाकि सारी भाषाएं जानता हूं । इसी तरह से तहसील खरड, डेराबसी, लालडू और अबोहर-फाजिल्का यह सारे इलाके हिन्दी भाषी इलाके थे । उसी के मुताबिक शाह कमीशन ने यह फैसला दिया था कि यह हरियाणा को दिये जायें । चण्डीगढ की करीब 75 प्रतिशत जनता भी हिन्दी भाषी है । आज भी वे पंजाब में नहीं जाना

चाहते । जहां तक यू० टी० का ताल्लुक है, वे यू० टी० में ही फिलहाल बने रहना चाहते हैं क्योंकि इसमें कोई झगड़ा नहीं है । ये लोग आराम से बस रहे हैं । लेकिन जिस वक्त यह फैसला हो गया कि चण्डीगढ़ पंजाब को चना गया, उसी दिन प्रापर्टी को कीमतें आधी रह जायेंगी । मैं यह कहता हूं कि जो फैसला एक बार हो गया था, उस पर फूल चढ़ने चाहिये थे । उसके बाद फिर हमारी साबका प्रधान मन्त्री ने अवार्ड दिया जिसको दोनों पक्षों ने मान लिया । उसके ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहिबा, तीनों के दस्तखत मौजूद हैं । हमें यह समझ नहीं आता कि उसे लागू करने में क्या दिक्कत आती है । फाजिल्का अबोहर तो देते नहीं और चण्डीगढ़ लेना चाहते हैं । फैसले की भी कोई हद होती है । अगर कोई बात पुखता तौर पर हल' हो जाये तो उसमें कोई हर्ड नहीं है । मैं समझता हूं कि उनको तो राज चाहिये । न कोई पानी का झगड़ा है और न ही चण्डीगढ़ फाजिल्का और अबोहर का झगड़ा है । पानी के बारे में तो यह पोजीशन है कि दो भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है । वह पानी अगर पाकिस्तान को चला जाये फिर तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर एक बूंद फालतू पानी छोटे भाई को चला जाये । झगडा है ।

12.00 बजे

डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह को बातें हमारी समय से बाहर की हैं । जब से अकाली भाईयों को छोड़ा गया है, उनका

तररु से सदभावना का एक भी बयान नहीं आया है । वह यह कहते हैं कि भारत सरकार ने जो फैसला किया है, उसको भी हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं और न ही शाह कमिशन के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं । ऐसी हालत में डिप्टी स्पीकर साहब, शाह कमिशन ने जो फैसला किया था उसको लागू करना चाहिए । हमारी विधान सभा इन्तफाक राय से यह पास करे कि शाह कमिशन का फैसला बेहतरीन था और उसको अमल बरामद किया जाए जिससे इस रीजन में शान्ति कायम हो । हम तो शान्ति को मानने वाले हैं । ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे अशान्ति का वातावरण पैदा हो । शान्ति का माहोल होगा तब अराउन्ड दि टेबल बैठकर फैसला हो सकता है लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे तो नजर नहीं आता कि दोनों पार्टियां अराउन्ड दि टेबल बैठकर कोई फैसला कर सकेंगी । (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त के हालात के मुताबिक अराउन्ड दि टेबल फैसला होना नजर नहीं आता । जो फैसला सुनाया जाता है अगर उससे दोनों भाई नाराज होते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा । फैसला तो वही ठीक होगा जिससे देश में अमन और शान्ति होगी । आज पंजाब में क्या हालात हैं, आसाम में क्या हालात हैं और काश्मीर में क्या हालात हैं । अगर हम आज अकालियों की बात मान जाते हैं और उनके आगे झुक जाते हैं तो वह फैसला काश्मीर पर लागू होगा और आसाम पर भी लागू होगा । ऐसा करने से देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे । देश को बिखरने से बचाने के लिए यह जरूरी है कि शाह कमिशन के

निर्णय को लागू किया जाए ताकि शान्ति और प्रेम इस क्षेत्र में पैदा हो सके । (शोर एवं व्यवधान) आप लोग अढाई साल में कुछ नहीं कर सके । 1977 से लेकर 1980 तक आप लोग रहे लेकिन आपने कुछ नहीं किया । डिप्टी स्पीकर साहब, अब जो कुछ करना है हम सब ने मिलकर करना है । इस वास्ते एक दूसरे परं कटाक्ष न करें तो अच्छा है । सारे सदन के सदस्य इत्तफाक राय से चले ।

श्री भागी राम : डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत बढ़िया आदमी हैं । इनके साथ बहुत ज्यादाती हो रही है । अगर इनको किसी महकमें का वजीर नहीं बनाया जाता तो कम से कम बिना महकमें का वजीर ही बना दिया जाये ।

सेठ राम दास धमीजा : डिप्टी स्पीकर साहब, ये हमारी चिन्ता नं करें । ये अपनी चिन्ता करें । (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो पंजाब का मसला चल रहा है, इसके बारे में सारा देश चिन्तित है । सारे देश की निगाहें इसकी ओर लगी हुई हैं । जब लोग सुबह उठकर अखबार उठाते हैं तो सबसे पहले यह देखते हु कि पंजाब के क्या हालात हैं । पिछले तीन-चार साल से पंजाब के जो हालात चल रहे हैं, यह देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये हालात देश के लिए मुनासिब नहीं हैं । इसलिए हम सब लोग मिलकर कोई ऐसा फैसला करायें जो सारे देश की निगाह में अच्छा हो और जिससे सारे देश में शान्ति बनी रहे । डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल ने हरियाणा पंजाब और हिमाचल को मिलाने की जो तजवीज दी थी, उससे भी यह

मसला हल हो सकता है । अगर सारे देश के पांच जोन बना दिये जाएं तब भी समस्या हल हो सकती है । डिप्टी सीकर साहब, छोटे-छोटे खूबों से खर्चा बढ़ता है और समस्याएं ज्यादा बढ़ती हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, आखिर में मैं यही गुजारिश करूंगा कि इलफाक राय से यह फैसला करें कि चण्डीगढ़, अबोहर और फाजिल्का के बारे में जो हमारा स्टैंड है और शाह कमिशन । के मुताबिक हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं, वे हरियाणा को मिलने चाहिए । मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी बात शान्ति से मुनी और खासकर डिप्टी स्पीकर साहब का दूग्ग्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का टाईम दिया ।

चौधरी हुक्म सिंह फोगट (दादरी) : डिप्टी स्पीकर साहब, सदन के सामने आज यह रैजोल्यूशन है कि शाह कमिशन ने हरियाणा के हक में जिन इलाकों को मिलाने का फैसला किया था, उनके लिए दिल्ली सरकार से यह सदन सिफारिश करे कि वह उस फैसले को लागू करे । डिप्टी स्पीकर साहब, जब हरियाणा और पंजाव इक्वेटे थे तो जो हिन्दी भाषी इलाके थे, उनमें तरक्की के काम कम होते थे और पंजाब में ज्यादा पैसा लगता था । 1969 में पंजाब का बंटवारा हो गया और पंजाब और हरियाणा दो हिस्से बन गए । कौन सा हिस्सा किसको जाए इसके लिए भारत सरकार ने शाह आयोग नियुक्त किया । उस आयोग ने पंजाब और हरियाणा के लोगों को पूछकर और सारा रिकार्ड देखकर यह फैसला किया कि अबोहर और फाजिल्का और चण्डीगढ़ हरियाणा

में शामिल होना चाहिए । रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की गई लेकिन अकाली हठधर्मी की वजह से भारत सरकार शाह कमिशन का फैसला लागू नहीं कर सकी और 1971 में स्वर्गीय इन्दिरा गांधी ने अवार्ड दिया कि चण्डीगढ़ को यूनियन टैरेटरी रखा जाए । यह हरियाणा में नहीं जाएगा । डिप्टी स्पीकर साहब, इसके खिलाफ हरियाणा में एजीटेशन हुआ और बहुत से नौजवान पुलिस की गोलियों से मारे गए, लेकिन हरियाणा की बात नहीं मानी गई । डिप्टी स्पीकर साहब, अब रूलिंग पार्टी के भाई कहते हैं कि जनता पार्टी के दो साल के शासन में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ । उस वक्त पंजाब में अकाली सरकार थी और यहां पर तथा सैन्टर में जनता पार्टी की सरकार थी । डिप्टी स्पीकर साहब, 1971 में जब अवार्ड दिया गया, था उस वक्त दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी । अगर यह अवार्ड उस वक्त लागू हो जाता तो यह खून खराबा आज न होता । उस वक्त शायद सरकार कमजोर थी या कोई और कारण था जिस की वजह से उस वक्त यह अवार्ड लागू नहीं हो सका । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर एस ० वाई ० एल ० का मामला उस वक्त हल हो जाता तो इतनी दिक्कत और परेशानी न होती । उस वक्त दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । बिखर वक्त श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस नहर का उद्घाटन किया था तो बड़ा भारी जश्न मनाया गया था और दीपमाला मनाई गई थी । अब यह कहा जा रहा है कि दो साल में हरियाणा को पानी मिल जाएगा । डिप्टी स्पीकर साहब, हमें तो लगता नहीं है कि हरियाणा को पानी मिल जाएगा

। रूलिंग पार्टी वाले पहले कहते थे कि हरियाणा का हित इंदिरा गांधी के हाथों में सुरक्षित है और अब कहते हैं कि हरियाणा का हित राजीव गांधी के हाथों में सुरक्षित है । हरियाणा की कांग्रेस सरकार कमजोर थी इसलिए वह अवार्ड लागू नहीं करवा सकी और उसका दोष ये जनता पार्टी को दे रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो रैजोल्यूशन आया है, मैं समझता हूँ रूलिंग पार्टी के भाई सर्वसम्मति से रैजोल्यूशन वने पास करें. ताकि शाह कमिशन का जो अवार्ड था, उसको लागू किया जाए और अबोहर और फाजिल्का हरियाणा में शामिल किया जाये । डिप्टी स्पीकर साहब, चण्डीगढ के बारे में, मैं समझता हूँ कि चण्डीगढ हरियाणा में मिलना मुश्किल है लेकिन चण्डीगढ के बदले में अबोहर और फाजिल्का हरियाणा में शामिल किया जाता । मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस के भाई इस रैजोल्यूशन को पास करें ।

श्री इन्द्र सिंह नैन (बरवाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन, श्री फतेह चन्द विज व मास्टर शिव प्रशाद जी ने क्या बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन में रखा है, मैं उस प्रस्ताव पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूँ । डिप्टी स्पीकर साहब, जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठे होते थे, अकाली हमेशा ही इस विचार के थे कि पंजाब का सूबा हरियाणा से अलग है । ये हमेशा ऐजीटेशन करते रहे थे और अन्त में इसका नतीजा जो हुआ. वह आप सब लोगों के सामने है । डिप्टी स्पीकर साहब, एक नवम्बर, 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ । हरियाणा बनने

से पहले हरियाणा के हिस्से का जो पैसा होता था, वह पंजाब में खर्च होता था इसलिए हरियाणा की तरक्की नहीं हो सकती थी । हरियाणा बना और यह भी अकालियों के ऐजीटेशन से ही बना । हरियाणा बनने के बाद ही यहां पर तरक्की के कार्य शुरू हुए । डिप्टी स्पीकर साहब, आज आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और ये मेरे माननीय सदस्य— गण भी जानते हैं कि आजु हरियाणा हिन्दुस्तान के नक्शे पर सूरज की तरह चमकता है और इसका नाम बहुत ऊंचा है । डिप्टी स्पीकर साहब, अभी डाक्टर साहब ने बोलते हुए कहा शि कांग्रेस का राज था और ये उस वक्त अकालियों से डरते थे, घबराते थे । यह तो इतिहास की बात है, अभी कुछ समय पहले पंजाब में हालात काफी बिगड गये थे, आजकल शांति हए लेकिन पीछे काफी झगडे हुए । उग्रवादियों ने बहुत से लोगों का कत्ल किया । मैं यह बात यहां हाउस में कहना चाहता हूं, डाक्टर साहब भी सुन लें कि हम अकालियों से नहीं डरते थे । मैं यह बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि हमारी हरियाणा सरकार और हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल, जोकि उनकी हिट लिस्ट पर थे, उन्होंने अकालियों की कोई परवाह नहीं की और हरियाणा की रक्षा करते रहे अपनी जान की उन्हें कोई परवाह नही थी । इसलिए मेरा कहना हे कि न तो हम अकालियों से डरते हैं, न डाक्टर मंगल सैन जी डरते हैं और न ही वे उनसे मिलते हैं । लेकिन जो दमकिपा के लोग हैं, चौधरी देवी लाल जी जब हरियाणा की बात आती है, जब भी अकालियों ने ऐजीटेशन

किया, हमेशा उनके साथ बात करते रहे । इतिहास इनका साक्षी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । नैन साहब अच्छा बोलते हैं और शायद अच्छा बोलने वाले हो भी सकते हैं । वे चौधरी देवी लाल जी से शुरू करते हैं और उन पर ही खत्म करते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी, बीमार हैं, वे इस हाउस में आकर जवाब नहीं दे सकते । उनका आपरेशन हो रहा है - । फार गौड सेक इन्हें यह कहा -जाए कि उनका नाम यहां पर न लिया जाए, ऐ सी ऐसी बातें यहां पर न कही जाएं । सर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं । ये बातें कार्य-वाही में नहीं आनी चाहिए । इन को इस तरह उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए ।

श्री इन्द्र सिंह नैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं । मैं तो चौधरी देवी लाल जी का आदर करता हूं । मैंने तो ऐतिहासिक बात बतलायी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, फौक्ट्स जर बोलता द्रूं । सही बात कहूंगा । मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा कि यह हरियाणा भाषा और टैरिटरी के आधार पर बना, उस वक्त एक कमिशन बैठा था । सुप्रीम कोर्ट के एक माल जज. उस कमिशन के चेयरमैन थे । उस कमिशन का नाम शाह कमिशन था

। वन मैन कमिशन था । उस कमिशन ने सारी बातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की और उन की तय तक पहुंच कर सारी खरड तहसील और चण्डीगढ का डुलाका हरियाणा को दिया । यह बहुत अच्छा फैसला उस कमिशन का था । मेरे साथ बैठने वाले मेरे एक साथी चौधरी 'फूल चन्द जी कह रहे थे कि मैंने भी उस कमिशन के सामने ब्यान दिये थे । धमीजा साहब ने भी बोलते हुए ठीक कहा कि लालडू और डेराबसी का सारा इलाका भी हरियाणा में आना चाहिए था । मैं तो हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो शाह कमिशन का फैसला था, यह बहुत ही अच्छा फैसला था, इसको लागू किया जाना चाहिए था । मेरी इन विपक्ष के भाईयों से प्रार्थना है कि जब कभी हरियाणा के हित की, हरियाणा की भलाई की बात आए, तो हमें सब को आपसी भेदभाव मिटाकर एक हो जाना चाहिये क्योंकि हमारे इन हितों के साथ हमारे सारे हरियाणा की जनता के सेन्टीमैट्स, हरियाणा के लोगों की भावनाएँ जुड़ा हुई हैं जिनकी हमें हर हालत में रक्षा करनी चाहिये । वैसे यहां पर हमारे आपसी विचार अलग अलग हो सकते हैं राजनैतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं और उनके विचार भी अलग हो सकते हैं लेकिन हरियाणा के हितों की हिफाजत के लिए हमें एक हो जाना चाहिए । ऐसे मामलों में हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने, हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने सदा ही विरोधी भाईयों को अपने कन्फीडैन्स में लिया है और विश्वास में लेकर आगे बढ़े हैं । यह हमने एक अच्छी प्रथा डाली है । चूंकि हम अश्वनी पब्लिक के चुने हुए नुमाइन्दे हैं, इस लिए हमें अपनी जनता के हितों की हर

तरह से रक्षा करनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर एस०
वाई० एल० के प्रस्ताव पर काफी चर्चा हो चुकी है । आप जानते
हैं कि पानी और सिंचाई किसान की जान होते हैं । किसान को
इससे आम—दनी होती है, खुशहाली बढ़ती है और इसीलिए
पंजाब वालों ने इस नहर को बनने नहीं दिया । लेकिन हमारी
हरियाणा सरकार ने फिर भी इस ओर जो कदम बढ़ाया है, वह
बड़ा ही सराहनीय है । जब अकालियों का राज था, तब इस तरह
की मांग नहीं की गयी थी और जब राज चला गया तो तरह तरह
की मांगें शुरू हो गई हैं । इतिहास साक्षी है कि जब प्रकाश सिंह
बादल पंजाब के मुख्य मन्त्री थे, उस वक्त कोई बात नहीं कही
गयी और उसके बाद ऐजीटेशन शुरू हो जाते हैं । डिप्टी स्पीकर
साहब, हमारे इन विरोधी दल के भाईयों ने इस ओर कभी कोई
ध्यान नहीं दिया । मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता और न ही मैं
किसी के खिलाफ बोलने का कोई ऐसा विचार रखता हूँ । मैं
जाति तौर पर किसी के खिलाफ नहीं कहता लेकिन यह बात सही
है कि हमारे जो विपक्ष के भाई अकालियों के साथ रोसे मामलों
में मिल जाते हैं, उनको इनका साथ नहीं देना चाहिये, अकालियों
के साथ किसी भी तरह इस लिहाज से मेल मिलाप नहीं करना
चाहिए । इन्हें तो हरियाणा के हितों की बात करनी चाहिए । हम
सब एक हैं । हम हरियाणा के नुमाइंदे हैं । (शोर एवं विधन).—

श्रीमती चन्द्रावती : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट
आफ आर्डर है । जिन बातों से दो प्रांतों के बीच झगड़ा बड़े, वे

बातें यहां पर नहीं कही जानी चाहिएं मैं यह कहना चाहती हूं कि

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्यायंट आपा आर्डर नहीं है, यह रिकार्ड में नहीं आयगा ।

श्री इन्द्र सिंह नैन : डिप्टी स्पीकर साहब, बहन जी बहुत पुरानी मैंबर हैं । मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि कोई बात कहां कही जाती है, कब कही जाती है और किस को कही जाती है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया । सिर्फ इसीलिए बलिदान दिया कि वे देश को एक रखना चाहती थीं, यह देखना नहीं चाहती थीं कि देश के टुकड़े हों । लेकिन कुछ ताकतें देश और विदेश में ऐसी हैं जो देश की तरक्की को सहन नहीं कर सकीं, इसलिए इन्दिरा गांधी की हत्या की गई । इन्दिरा गांधी का नाम आज सूरज की तरह चमकता है । जब तक सूरज चांद रहेगा, इन्दिरा जी तेरा नाम रहेगा । (तालियां) डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस में अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि यह जो कमिशन का फैसला था, बहुत अच्छा था । हम हरियाणा के लोगों के नुमायंदे हैं इसलिये हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जब भी हरियाणा की बात आए हम एक हो कर, मिल कर हरियाणा की रक्षा करें ।

इतनी बात कह कर मैं अपना स्थान लेता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को बोलने का समय दिया ।

मास्टर शिव प्रशाद (अम्बाला शहर) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह प्रस्ताव जो सदन के सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके साथ हरियाणा का हित जुड़ा हुआ है । सन् 1947 से पहले देश में अंग्रेजों का राज था । उनसे देश आजाद करवाने के लिए एक नहीं अनेकों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और देश को आजाद करवाने के लिए फांसी के फंदों को चूमा । उनके सामने यह कल्पना थी कि अंग्रेजों द्वारा आपस में लड़ाने और फूट डालने के जो झगड़े पैदा किये जा रहे हैं, जिसके आधार पर वे अपना राज चलाते रहे, कम से कम आजादी के बाद ये बातें देखने को नहीं मिलेगी । डिप्टी स्पीकर साहब, देश आजाद तो हुआ लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद । उसी भारत के अब टुकड़े हुए हैं । वह पंजाब जो फ्रंटियर से लेकर दिल्ली तक पंजाब माना जाता था, उसके टुकड़े हुए । बहुत से लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, लोग अरबों रुपये की जायदाद वहां पर छोड़ कर आए । माताओं और बहनों को भी वहां पर अपमानित किया गया । सारी बातें बर्दाशत कीं, इतना बड़ा नुकसान बर्दाशत किया लेकिन देश जरूर आजाद हुआ । उसके साथ साथ उस समय जो केन्द्र की सरकार थी या उस समय के जो नेता थे, उनसे कुछ बलंडर्ज हुई जिसका नुकसान आज देश को भुगतना पड़ रहा है । इसीलिए मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी कुछ चर्चा यहां पर की जाए ।

जम्मू काश्मीर जो पंजाब के साथ लगता हुआ प्रांत है, वहां पर महाराजा हरि सिंह हुकमरान थे । जाति तौर पर देश के कुछ नेताओं को उन से रंजिश थी । आपने देखा है कि देश आजाद होते ही शेख अब्दुला को वहां का हुकमरान घोषित' किया गया । पाकिस्तान के कुछ ऐसे अंश थे जिनको लुटेरे कहा जाता था, उन्होंने जम्मू काश्मीर में घुस कर, जम्मू काश्मीर को भी पाकिस्तान में ले जाने के लिए उस समय सिलसिला शुरू किया । डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय हमारी फौजें बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ती जा रही थीं

श्री उपाध्यक्ष : मास्टर जी, इसकी प्रस्ताव के साथ कोई रैलेवेंसी नहीं है ।

मास्टर शिव प्रशाद : डिप्टी स्पीकर साहब, जिस भवन में आज हम बैठे हैं, उसका नकशा एक आर्किटेक्ट के सामने था उसको पता था कि बन कर यह भवन कैसा होगा लेकिन जिन्होंने इसकी नीव खुदती हुई देखी है, वे तो इस बात का अन्दाजा नहीं लगा सकते । मुझे पता है कि मैंने शाह कमिशन के बारे में बोलना है लेकिन जब तक कुछ आधार जुटा कर या बेस बना कर नहीं कहूंगा तो बात पूरी नहीं होगी । ऐसे तो एक मिनट में —भी बात कही जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : जम्मू काश्मीर से फौजें चली गई, इसकी इससे कोई रैलेवेंसी नहीं है । जब मैं यहां बैठा हआ हूं तो यह मेरी डियूटी है कि मैं ऐसी बात प्वांयट आउट करू ।

मास्टर शिव प्रशाद : मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उन गलतियों का देश को आज नुकसान भूगतना पड़ रहा है । उस समय सीज फायर हो गई, हमारी फौजें वहीं रुक गई । आज जो आजाद काश्मीर नाम की जगह है, अगर उस समय यह जरा सी गलती न हुई होती और हमारी फौजें आगे बढ़ गई होती तो सारा काश्मीर आज हिन्दुस्तान का हिस्सा होता । जो समस्याएं आज विदेशों की ओर से हमारे सामने आ पी हैं, ये हमारे सामने न होतीं । इतना ही नहीं, आपने देखा है कि हिन्दुस्तान और चीन के बीच एक बफर स्टेट तिब्बत थी । अंग्रेजों के वक्त में वहां की राजधानी में हमारी फौजें रहती थी, हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए । लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण, पता नहीं मैत्री भाव को थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए, इन्होंने तिब्बत को चीन की झोली में डाल दिया । बिना लड़ाई झगड़े के चीन की सीमा हिन्दुस्तान की सीमा से मिल गई । उसका परिणाम क्या हुआ? आपको याद है. कि 1962 की लड़ाई का मुंह हमें देखना पड़ा । चीन जिसको हम अपना दोस्त कहते थे, वह एक दुश्मन बन कर बड़ा शक्तिशाली बन गया और हमारी सीमा पर आ गया । अगर तिब्बत बफर स्टेट होती तो चीन कभी भी हमारी सीमा के ऊपर आकर न जमता । इसीलिए मैं कहना चाहता हूं और भी बहुत सी

बातें हैं जैसे पंजाब हमारे सामने है । यहां पर बीज किस वजह से बोया गया? कुछ लोगों को खुश करने के लिए सच्चर फारमूला बनाया गया । सही तौर पर देखा जाए तो सच्चर फारमूले को मान कर केन्द्र की सरकार ने पंजाब की तकसीम की बुनियाद रखी थी । उसके बाद रीजनल फार्मूला बना, हिन्दी और पंजाबी जोन बने । पंजाब की तकसीम के यह कदम स्टैप बाई स्टैप हमारी केन्द्रीय सरकार बोती गई । आपको याद होगा कि 1981 की जन गणना में पंजाब में दोनों ओर से बड़ा प्रयास किया गया कि किस की भाषा हिन्दी है और किस की भाषा पंजाबी है । इसके लिए बहुत से लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी । अम्बाला जिले में जगाधरी का एक नौजवान इसी वजह से इसका शिकार हो गया कि मेरी भाषा हिन्दी है । इसी तरह से, हिन्दी भाषा लिखाने की वजह से और भी बहुत से लोग शिकार हुए। इसी प्रकार 1981 की जन गणना का आधार यही था कि कौन सा हिस्सा पंजाबी स्पीकिंग होना चाहिए और कौन सा हिन्दी स्पीकिंग होना चाहिए । इस बात का निर्णय करने के लिए शाह कमीशन का आयोजन किया गया । उसका आयोजन किसी अपोजीशन पार्टी ने नहीं किया था और न ही उस वक्त के भारतीय जन संघ के किसी नेता ने किया था । आपको याद होगा कि जम्मू काश्मीर को भी केन्द्र की सरकार ने एक विशेष रियायत दे दी थी। जैसे वहां पर दफा 370 का सिलसिला आज तक लागू है, बाद में परमिट सिस्टम भी लगा दिया । यह अजीब सिलसिला था, उस गलती की वजह से देश को आज सजा भुगतनी पड रही है । जम्मू काश्मीर में बिना

परमिट के, पहले कोई दाखिल नहीं हो सकता था लेकिन उस समय भारतीय जन संघ के नेता डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि परमिट सिस्टम को खत्म किया जाए । आप लोगों ने देखा होगा, इस के खिलाफ देश के अन्दर बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ । देश के कोने कोने से लोग इस परमिट सिस्टम को खत्म करवाने के लिए आए । डिप्टी स्पीकर साहब, सैकड़ों लोग शहीद हो गए और श्री नगर में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत दी ।

श्री उपाध्यक्ष : मास्टर जी फिर आप कहेंगे कि बीच में इन्ट्रप्ट करता हूँ । आपने यह सारा सिलसिला पोलिटिक्स कर दिया । जब तक रैलेवेंसी नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी ।

मास्टर शिव प्रशाद : मैं इस को ब्रीफ मरके प्रस्ताव की तरफ आ रहा हूँ । अगर कोई गलत बात कही हो तो बता दें ।
(विधन)

लोक निर्माण मन्त्री (श्री अमर सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । आनरेवल मैम्बर बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत अहम मसला हाउस के जेरे बहस है । वे कृपा करके शाह कमिशन के बारे में ही बताए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री बता रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इनको पहले ही कह दिया है ।

मास्टर शिव प्रशाद : मैं तो भारतीय जन संघ कह रहा था । भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है ।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । उधर से नैन साहब ने इन्दिरा गांधी के बाटे. में कहा था, क्या वे रैलेवैट बोल रहे थे?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो मैडम ने बात छेडी थी इसलिए रूहोंने दो लपज कह दिये थे । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो मरजी प्रोसीडिंग्ज में आता रहे । जो बात मास्टर जी ने जम्मू काश्मीर की कही, उसकी जहां तक रैलेवैसी थी वहां तक मैं चुप रहा, लेकिन मैं यहां पर डब बन कर नहीं बैठ सकता ।

मास्टर शिव प्रशाद : तो डिप्टी स्पीकर साहब, उस कुर्बानी के बाद यह परमिट सिस्टम खत्म हुआ । मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जम्मू काश्मीर में अगर शुरू में ही दफा 370, परमिट सिस्टम और सीज फायर न होती तो आज ये समस्याएं न होतीं । अब मैं शाह कमिशन के बारे में कहना चाहता है । उस कमिशन की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार ने की । आप जानते हैं भिन्न भिन्न राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से कहा गया कि कौन कौन सा इलाका हिन्दी भाषी है । यह केस उनके सामने रखा गया । वैसे जो उन संस्थाओं ने हिन्दी भाषी इलाके बताए थे, मैं वह भी बना सकता हूं लेकिन शाह कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अबोहर फाजिलका हिन्दी स्पीकिंग एरियाज हूं । तहसील राजपुरा सारा हिन्दी स्पीकिंग एरिया है, चण्डीगढ हिन्दी स्पीकिंग एरिया है, तहसील खरड हिन्दी स्पीकिंग एरिया है तहसील रोपड के कुछ कानूनगो सर्कल में भी हिन्दी

भाषा बोलो जागे है, नालागढ का एरिया भी हिन्दी स्पीकिंग एरिया है और गुरदासपुर और होशियारपुर जिलों में हिन्दी भाषा बोली जाती है । उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह इलाका जो मौजूदा हरियाणा है मैं उन जिला के नोम नहीं लेना चाहता, उन बिना के अलावा तहसील राजपुरा, चण्डीगढ, तहसील खरड, अबोहर फाजिलफा और रोपड के वे कानूनगो सर्कल नालागढ वगैरह हरियाणा को मिलने चाहिएं । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर शाह कमिशन की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाता तो आज हरियाणा जम्मू काश्मीर की सीमा के साथ मिल जाता । अगर हरियाणा में जिला गुरदासपुर और जिला होशियारपुर मिल जाते तो हरियाणा आज जम्मू काश्मीर की सीमा के साथ मिल जाता । आज हमारा एस ० वाई० एल० का झगडा है, चण्डीगढ का झगडा है, अगर यह सारे का सारा इलाका हरियाणा में आया होता तो आज से कई साल पहले एस० वाई० एल ० नहर बन जाती, यह सारी नहर हरियाणा में आनी थी । न अकालियों की तरफ से कोई झगडा होना था और न, जो पंजाबी भाषा पंजाब बनता, उसका झगडा होना था । ऐसी कोई भी बात न होती जिस की वजहें से इस' नहर को रोका जाता । डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा की खुशहाली एस० वाई० एल० नहर के साथ जुड़ी हुई है । आज चण्डीगढ का वह सारे का सारा इलाका है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि पंजाब को मिलना चाहिए, इसको यूनियन टैरीटरी रखा जाए या इसके बदले में कोई दूसरी जगह दे दी जाए, अगर उस समय इस सारे मामले को ज्यों

का त्यों लागू कर दिया जाता तो आज जो पंजाब की स्थिति बिगड़ी है वह न बिगड़ती । डिप्टी स्पीकर साहब, धमीजा साहब ने एक बात कही कि अगर कोई फैसला ज्यों का त्यों मान लिया जाए तो कोई अड़चन नहीं होती लेकिन हर रोज यहां पर नई बात पैदा होती है । यह अपोजीशन और रूलिंग पार्टी का सांझा सवाल है । हरियाणा की उन्नति का जहां सवाल आता है वहां विपक्ष का कोई भी आदमी यह नहीं चाहेगा कि हरियाणा की उन्नति न हो । डिप्टी स्पीकर साहब, चुनावों से पहले श्री राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि हेम आनन्दपुर प्रस्ताव को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे । मैं समझता हू कि उन्होंने यह अच्छी बात कही थी लेकिन उसके साथ दूसरी बातों को जोड़ दिया गया था कि इसको अपोजीशन के लोग चाहते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से यह कहना चाहता हू कि हम आनन्दपुर प्रस्ताव के बिल्कुल खिलाफ हैं । लेकिन जब चुनाव हो लिए, उसके बाद फिर भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन आया है । श्री राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, नहीं कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं मानूंगा । मैं कहना चाहता हू कि उस प्रस्ताव के साथ हरियाणा के हित जुड़े हुए हैं । अगर शाह कमिशन की रिपोर्ट को उस समय ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाता तो आज जितनी समस्याएं हमारे सामने हैं, उनमें से एक भी समस्या हरियाणा के सामने न होती । एस ०वाई ०एल० नहर का जिकर मैं नहीं करना चाहता । अब पंजाब की समस्या है, वह इसलिए है क्योंकि उस समय पंजाब के रहने वाले लोग कुछ इलाके अपने लिए चाहते थे

। अगर उस समय शाह कमिशन की रिपोर्ट मान ली जाती तो बहुत बड़ा इलाका पंजाब के बीच में से निकाला जा सकता था और वह इलाका हरियाणा की उन्नति के लिए बड़ा लाभदायक हो सकता था । जो प्रस्ताव डा० मंगल सैन और मैंने रखा है, यह रूलिंग पार्टी और अपोजीशन पार्टी दोनों का सांझा प्रस्ताव है यह सांझा जाना चाहिए लेकिन एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि किसी आदमी पर यह इल्जाम नहीं लगाया जात्रा चाहिए कि फलां आदमी ने दो अढाई साल तक यह नहीं किया वह नहीं किया । मैं समझता हूं यह बात जंचती नहीं, क्योंकि चह सवाल आज का नहीं बल्कि 1965— 66 का है । शायद 1965 की 31 मई की डेट हो सकती है, यह डेट ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है । जहाँ तक मुझे याद है, मई 1965 में शाह कमीशन की नियुक्ति हुई थी । 'शाह कमीशन के सामने सारे हरियाणा के लोगों ने, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का था, चाहे सामाजिक व्यक्ति था, चाहे धार्मिक आदमी था और चाहे कोई भी संस्था थी, सबने हरियाणा के हितों को सामने रख कर हरियाणा की बहबूदी को सामने रखकर यह कहा था कि हमारा बड़ा हरियाणा बनना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन से यही प्रार्थना करके अपना स्थान लू गा कि यह हमारा सब का सांझा सवाल है, हमारा सब का मिला— जुला सवाल है । इसमें पक्ष या विपक्ष का कोई सवाल न उठा कर, भारत सरकार को एक बात जरूर कहें कि जब कोई कानून बनता है, हिन्दुस्तान में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वे उस कानून की पालना करें. चाहे वह हिन्दू है, चाहे मुसलमान है,

चाहे ईसाई है सभी उस कानून की पालना करें, में समझता हूं तभी देश की एकता बनी रहेगी देश की उन्नति होगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब देश की एकता और उन्नति का सवाल आता है वहां मैं और मेरी पार्टी रूलिंग पार्टी के साथ हूँ, लेकिन हम आनन्दपुर प्रस्ताव का घोर विरोध करते हैं । हम यह मांग करते हैं कि जैसे सरकार ने पहले कहा था, उस प्रस्ताव को बिल्कुल न माना जाये । यदि उस प्रस्ताव को मानने के लिए किसी के सोचने में कोई परिवर्तन आया तो हम उसका विरोध करेंगे । आखिर में क् सरकार से कहूंगा कि सरकार केन्द्र सरकार से कहे कि शाह कमिशन की रिपोर्ट ज्यों की ज्यों मानी जाए, उसी में देल का भला है और हरियाणा प्रान्त का भला है ।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती करतार देवी) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के विचाराधीन है । मुझे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, इसे इसी रूप में पास किया जाए । जब भी कोई कमिशन दोनों पक्षों की सहानुभूति से मुकर्र किया जाता है तो दोनों पक्षों को उसको पालना करनी चाहिए, लेकिन जो लोग पालना नहीं करते, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा पालना करवाई जा सके । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूंगी कि मैं भी मास्टर शिव प्रशाद जी की भांति थोड़ा इस रैफरेंस से इधर उधर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी एक दो बातें

कहनी पड़ेगी कि ये हालात कैसे कैसे पैदा हुए हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, जब दम दुनिया के इतिहास को उठा कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब या कोई बड़े बड़े आदमी, किसी ने यह नहीं कहा कि इन्सान और इन्सान के बीच कोई दीवार होनी चाहिए । किसी भी भाषा में यह रुकावट न डालें कि हम अपनी बात किसी को जाकर नहीं कह सकते । विज्ञान ने भी यह कहीं नहीं दिखाया कि सूरज ने कहीं पर अपनी रोशनी देने में कोई कमी रखी हो या हवा ने कोई कमी रखी हो । लेकिन देखने में आ रहा है कि न केवल भारत में, बल्कि सारी दुनिया में कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनका यह काम है कि वे अपने स्वार्थों को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को हमेशा दबाए रखना चाहते हैं । उनका जहां पर भी दीव लगता है, वहां पर किसी भाषा का नाम ले कर अपना काम चलाते हैं, उससे पार नहीं पड़ती तो किसी धर्म की आड़ू लेते हैं, क्योंकि हमारा देश इस तरह का है जहां हर आदमी के सैन्टीमेंट्स किन्हीं गुरुओं, पैगम्बरों या हमारे अवतारों यानि किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सहारा ले लेते हद । फिर भी दुनिया की दो तिहाई आबादी ऐसी है जिसने सारे षडयन्त्र को समझ लिया है । जनता यह समझ गई है कि जितने भी झगड़ें भाषा या धर्म के नाम पर होते हैं, वे गरीब आदमियों को, मेहनतकश अवाम को, उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किए जाते हैं । इसलिए उन्हेंने इस तरह की लीडरशिप, चाहे जहां पर भी थी उसको खत्म किया और पूरे का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया ताकि इस तरह की भावना पनप

ही न मके । भाषाएं सब फलें फूलें, हमें कोई एतराज नहीं । डिप्टी स्पीकर साहब, जब हम आजादी का संघर्ष लड़ रहे थे, उस समय महात्मा गांधी और पं० जवाहर लाल नेहरू की यह मंशा नहीं थी कि हमारे हाथ में सत्ता हो । 14 अगस्त 1947 की रात को कास्टीच्यूएंट असैम्बली में जब पं० जवाहर लाल नेहरू और अन्य माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कल दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उदय होगा, उस समय सारी दुनिया सो रही थी और भारत जाग रहा था । पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि सुबह लोग देखेंगे कि हम अपने उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे जिनको हमारे देश के सबसे महान आदमी, (उनका इशारा महात्मा गांधी जी की तरफ था), चाहते थे कि हमारी लड़ाई का या आजादी का यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम हर आंख का ओ नहीं पोंछ देंगे । उन्होंने हर आंख के ओंछ पोंछने की दिशा में बड़ने के लिये अनेक प्रोग्राम बनाये । यह बात ठीक है कि देश की सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में रही । कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता कोई जबरदस्ती नहीं रही । कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सेंटीमैन्ट्स के साथ मिलकर, अपने साथ मिलाकर उनको काफी स्वाभिमानी बनाया और उनमें स्वाभिमान और हिम्मत पैदा की ताकि वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही के साथ लड़ाई लड़े । लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बराबर चाहा । उन्होंने सोचा कि इन-पार्टी ने हमें ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति दिलाई है और आजाद करवाया है । हमारी यही पार्टी इस देश की आजादी को कायम रख सकती है, उसकी एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बना सकती है इसलिए

डिप्टी स्पीकर साहब, थोड़े से समय को बीच में छोड़ कर, शेष पूरा समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनीं रही है । कांग्रेस पार्टी ने अपनी मान्यताओं के आधार पर सभी भाइयों को मिला कर रखा है । कांग्रेस पार्टी ने इस भावना को बनाये रखने के लिए और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संविधान में कुछ इस तरह के आश्वासन और निर्देश रखे हैं जिससे इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों का, हरिजनों का, महिलाओं का या दूसरे गरीब जनों व अल्पसंख्यको का फायदा हो सके । डिप्टी स्पीकर साहब, अफसोस तब होता है जब किसी अच्छी भावना 'के साथ कोई कार्य शुरू किया गया हो और बाद में उसके अर्थ को अनर्थ समझा जाने लगा हो । ऐसे ही कुछ (स्वार्थी लोग अपने राजनीतिक स्वार्थी के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात मैं अब कहने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे आप और ये भाई माफ करें । यह मेरी व्यक्तिगत राय है । कुछ लोगों ने अल्पसंख्यको का नाम लेकर झगड़े शुरू कर दिए । कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अल्पसंख्यकों को विश्वास में रखा है और इस बात का ध्यान रखा है कि उनका विश्वास किसी प्रकार से न टूटने पाये । बाद में यदि वही अल्पसंख्यक इस देश को अपना देश न मानें तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों का विशेष मन्शा रहा है और यह उनका एक राजनीतिक धन्धा बन गया है । मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अमृतसर में ब्लू स्टार आपरेशन होने के बाद, इस आन्दोलन में बड़े-बड़े तस्कर और अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह और विदेशी

शक्तियां शामिल हो गई हैं । ये ताकतें हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को तोड़ना चाहती हैं । अब ये आन्दोलन के रूप में किस बात की मांग करते हैं, वह अलग बात है । भाषा के आधार पर सूबे बनाये जाने ठीक हैं या नहीं, यह बात उस समय किसी भी अच्छे व्यक्ति को दिमाग में नहीं आई । जब इन भाइयों ने, जो आज आन्दोलन कर रहे हैं, भाषा के आधार पर अलग से सूबा बनाये जाने की मांग की तो 23 अप्रैल, 1968 को, पार्लिया-मेटरी कमेटी की रिपोर्ट पर, एक शाह कमीशन नियुक्त किया गया था । इस कमीशन के सदस्यों ने निष्पक्षता के साथ, दोनों पक्षों को सुनने के बाद और लोगों के पास जा जा कर पूछने के बाद, अपना फैसला दिया था । उस समा शाह कमीशन ने अपने फैसले में वर्तमान हरियाणा, चण्डीगढ़ और रोपड़ जिला हरियाणा को दिया था । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अकाली पार्टी की एक पोलिटिकल मांग है । -पंजाब के कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वहां की पोजिशन को एक्सप्लायट कर रहे हैं । इस बात को सब जानते हैं कि उन्होंने पंजाबी भाषा को लेकर, लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए पंजाबी सूबा अलग से बनाने की मांग की थी । उनकी इस बात को मान लिया, भाषा के हित या अहित में किसी ने नहीं सोचा था । जब पंजाब एक था तो हम भी पंजाबी पढ़ते थे । जब हम मैट्रिक में थे तो हमें पंजाबी कम्पलसरी पढ़नी पड़ती थी । यही कारण है आज यह सारा रिजन पंजाबी जानता हुआ मिलता है । अगर भाषा ही भाई-बारे की कसौटी है, भाई-चारे की भाषा से

ही बढ़ावा मिलना है तो क्या हम यह भाषा सीख कर भाई चारा नहीं बनाये रख सकते थे? यह बात नहीं थी, उनके दिमाग में तो पोलिटिकल बात थी कि जब तक यह रिजन हमारे साथ रहेगा, हमारी लीडरी पक्की नहीं बन सकेगी । जो सेकुलर फोर्सिज कांग्रेस पार्टी जैसी थी, उनसे भी कभी उनके मन नहीं मिले, क्योंकि वे समझते थे कि कांग्रेस पार्टी को सभी कमजोर वंगों और दूसरे लोगों का समर्थन मिलता रहेगा और कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी । वे चाहते थे कि इस समर्थन को किसी तरीके से तोड़ा जाए । इस बात को लेकर उन्होंने उस वक्त भाषा का सहारा लिया था । बाद में भाषा की बात से भी उनकी तसल्ली नहीं हुई । मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहती लेकिन यह बात सच है कि संविधान एक अच्छे उद्देश्य को लेकर बनाया गया था । संविधान में हर तरह की सहूलियात दी गई हैं जिन के तहत भाषाई सूबों की कुछ सीमाएं बना दी गई हैं । यहां पर बार बार विपक्ष के भाई कहते हैं कि उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही कमीशन बनाया था । यहां पर कांग्रेस पार्टी या अपोजीशन पार्टीज की बात नहीं फुड । कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही है कि देश के लोग मिल कर रहें और देश एक रहे । कांग्रेस पार्टी देश की एकता रखना चाहती है । डिप्टी स्पीकर साहब, इस पर मुझे बचपन की एक कहानी याद आ गई । जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस समय हमने एक कहानी सुनी थी । कहानी इस प्रकार है कि एवा औरत ने दूसरी औरत का बच्चा उठा लिया । बच्चा उठाने वाली औरत कहने लगी कि बच्चा मेरा है और

दूसरी औरत जिसका बच्चा था, वह कहने लगी कि बच्चा मेरा है ।
केस जज साहब के पास गया । जज बहुत होशियार था । जज ने
फैसला दिया कि इस बच्चे को काट कर आधा एक औरत का दे
दो और आधा दूसरी औरत को दे दो । इस फैसले को सुन कर
जिस बेचारी का बच्चा था, वह कहने लगी कि यह बच्चा मेरा नहीं
है, इसका है, इसी को दे दो । इसका मतलब यह नहीं है कि वह
औरत कमजोर थी या उस औरत का उस बच्चे के प्रति प्यार नहीं
था । वह सोचने लगी कि यदि बच्चा काट दिया जाता है तो वह
मर जायेगा । उसने सोचा कि यदि बच्चा काटा नहीं जायेगा तो
जीवित रहेगा । यदि बच्चा जीवित रहेगा तो फलेगा—फूलेगा । मेरे
कहने का मतलब भी यही है कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा मन्शा
यही रही है कि यह देश टूटना नहीं चाहिए, लोग एक दूसरे से
अलग नहीं होने चाहिए । लेकिन पंजाब के भाई किसी न किसी
बात को लेकर आन्दोलन करते रहते हैं । ये इस तरह का
वातावरण खड़ा कर देते हैं जिससे बहुत सी परेशानियां एकदम
बढ़ जाती हैं । वे हमें कमजोर समझते हैं । जब भी कोई फैसला
होता है तो वे मानते नहीं । मैं । उनको बताना चाहूंगी कि ऐसी
बात नहीं है कि हरियाणा के लोग कमजोर हैं । हरियाणा का
प्रत्येक बच्चा, जिनका हम प्रति—निधित्व करते हैं, हरियाणा के
हितों के लिए मर—मिटने के लिए तैयार है । उनके दिमाग में यह
गलत बात बैठी हुई है कि यहां के लोग कमजोर हैं । यहां के
लोगों ने अब तक बहुर सब कर लिया है । यहां के लोग यह
चाहते हैं कि जो भी फैसला अब हो, वह लागू किया जाये । यहां

पर विरोधी पक्ष के भाई बौर बार श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हर पार्टी के कार्यकर्त्ता को, अपने लीडर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और उनके आदेशों की पालना करनी चाहिए । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो भी फैसले किए थे, वे नेशनल इन्ट्रैस्ट में किए थे । वह यह चाहती थीं कि यह देश किसी भी कीमत पर न टूटे । इसका उदाहरण काश्मीर से भी मिलता है । उन्होंने उस हिस्से को भी भारत से अलग नहीं होने दिया । कुछ भाईयों ने कहा था कि अगर हम ऐकस्ट्रीम पर फैसला ले लेते हैं और जो विशेष धारा है, उसको तोड़ देते हैं तो शेख अब्दुला की बात को नहीं मानेंगे । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन भाईयों को बताना चाहूंगी कि आखिर विश्व की आवाज का भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है । सब जानते हैं कि उसी शेख अब्दुला को, जब हमारी पार्टी ने मुख्य मन्त्री बना दिया तो सब को पता है, वह सारी दुनिया के सामने बोलता रहा कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है । हमने जो भी फैसले लिए हैं, वह इस दिशा में लिए हैं कि भारत एक है और एक रहना चाहिये । हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात के लिए अपना बलिदान तक दे दिया । वे भाई यह कहते रहे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी डरती रहीं । मैं इस बारे में उन भाईयों को बताना चाहूंगी कि उनकी यह बड़ी भूल है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी डरती थीं । अपार वे डरती होती तो न जाने अब तक पंजाब कब का अलग हो गया होता और उसका क्या रूप होता । इन्दिरा गांधी ने महात्मा गांधी की तरह अपनी शहादत और बलिदान दिया है । उसने अप-भा

बलिदान दे दिया लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिये । मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जिन शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, चाहे वे फौज में थे, चाहे दूसरे संगठनों के लोग थे, हम उन के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं । उन की यह मन्शा थी कि देश एकु रहना चाहिए । मैं भी उन्हीं के साथ हूँ । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी सदन के माननीय सदस्यों के साथ अपनी आवाज मिला कर आप के माध्यम से यह प्रार्थना करूंगी कि देश की एकता को कायम रख कर इस मसले को हजर किया जाये । हम एक ऐसे बिन्दु पर खड़े हैं जहां से हमें देखना है कि पंजाब का यानी अकाली दल या दूसरे राजनीतिक दलों का मन्शा कग है । उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे वे वहां की भाषा या दूसरी बातों को हल करना चाहते हैं । उनके मन में न तो पंजाबी भाषा के प्रति प्यार है और न ही लोगों के प्रति प्यार है । मैं यह भी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी कि जो लोग आन्दोलन चला रहे हैं उनके मन में –सिख धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, म्उझे कई बार कुछ जन सभाओं में कहने का अवसर प्राप्त हुआ है । मैंने कहा कि जिस औरंगजेब के अत्याचारों से दुखी होकर, गुरु तेगबहादुर उसके मुकाबले में गए थे, क्या वे लोग केश रखते थे और क्या वे पगडी बान्धते थे? अगर नहीं बान्धते थे तो यह सिख धर्म जो आज जिस रूप में दिखाई दे रहा है, क्या उन गुरुओं ने इस बात के लिए बनाया था कि लोगों पर अत्याचार किए जाएं? उन्होंने यह धर्म इसलिए बनाया था कि जब कभी समाज के इन लोगों पर जो आपके भाई

है, कभी कोई आपत्ति आयेगी तो आपको एक सेना का काम करना पड़ेगा और इनकी हिफाजत के लिए बलिदान देना पड़ेगा । लेकिन आज वे अपने धार्मिक आदर्शों से पीछे हटते जा रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, वे धर्म की आड़ में छिपे बैठे हैं और विदेशी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त मिस्टर जिन्हा ने इनको कहा था कि तुम भी खालिस्तान मांग लो । उस वक्त सरदार तारा सिंह इनके प्रतिनिधि थे । मैं मास्टर तारा सिंह को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मिस्टर जिन्हा की बात को माना नहीं था । इसके बाद बंगला देश बना । बंगला देश बनने के बाद पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया । पाकिस्तान और इसके साथ हम-विचार रखने वाले अमेरिका जैसे मुल्क जो सारी दुनिया को हथियार सप्लाई करते हैं, हथियारों के सब से बड़े विक्रेता हैं, जब इनके पैटन टैंकों की मिट्टी पलीत हो गई और उसका दिवाला निकल गया तो यहां से बे-आबरू होकर चला गया । इनको बंगला देश का बनना अच्छा नहीं लगा । डिप्टी स्पीकर साहब, इन की हर कोशिश यही है कि हिन्दुस्तान के टुकड़े हो जाएं । पहले इन्होंने आसाम में आग लगानी चाही थी, लेकिन इस भभकती हुई आग पर थोड़ा काबू पालिया गया । मैं नहीं कह सकती कि वहां पर वह आग पूरी तरह से शांत हो गई है या नहीं, लेकिन इस तरह से लपटें वहां नहीं निकल रही जिस तरह पंजाब से निकल रही हैं । काश्मीर में भी ये लोग सक्रिय हैं लेकिन पंजाब में तो हद ही कर दी है, क्योंकि हम पंजाब प्रांत के साथ रहते हैं और इस हद से हम अछूते नहीं

हैं । ऐसे हालात में हम उनके किसी भी मन्शा को, उस भावना को पूरा नहीं होने देंगे । डिप्टी स्पीकर साहब, इन में भी आप अच्छे लोग देख सकते हैं, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब गुरुद्वारों की मुक्ति को लेकर चन्द सिखों ने एक आन्दोलन चलाया था तो गुरुद्वारों को छुड़वाने वेरु लिए अपनी कुरबानियां दी थीं । अगर वही लोग, भिंडरावाला जैसे आदमी को गुरुद्वारे से निकालने के लिए आगे आते तो न सरकार को वहां मिलिटरी भेजनी पडती और न ही इस तरह का काम करना पड़ता । अब वे लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं । इससे ऐसा लगता है कि यह खामोशी या तो कायरता की प्रतीक हैं या ये— लोग चोरी छिपे उन चन्द लोगों के साथ मिले हुए हैं लिनके साथ इनकी सहमति है । डिप्टी स्पीकर साहब, आज हम हरियाणा प्रदेश के निवासी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन भारत मां के सपूत हैं और हम अपने देश की एकता और अखण्डता पर नजर लगाये बैठे हैं । हम इस तरह की कोई बात पसन्द नहीं करते जिससे हमारी एकता पर आंच आए । आपको मालूम है कि उनको राजी करने के लिए हमको हमेशा उनकी बात माननी पड़ती हए । हमेशा ही उनकी बात मानी जाए, यह ठीक नहीं है । उनकी बात मानने से हमें लगातार नुकसान हुआ है । जहां तक रावी व्यास के पानी का सम्बन्ध है, अगर इनके मन में जरा भी भाई—चारे की भावना होती तो वे आसानी से हमारी नहर निकलने देते । इसके लिये हमें कितना परिश्रम करना पड़ा । भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को पत्थर रखने के? लिए आना पड़ा । उस वक्त भी

अकालियों ने नंगी तलवारों का प्रदर्शन किया था । यह प्रदर्शन इस बात की इंडीकेशन थी कि प्रधान मन्त्री पत्थर रखने के लिए न आयें । लेकिन वह तो पंडित जवाहर लाल नेहरू की बेटी थी और उस जवाहर की बेटी थी जिसने ब्रिटिश सरकार के सामने अपना सीना खोल दिया था कि ठीक है, अगर ब्रिटिश सरकार के पास कोई ऐसी गोली है खो च ना ले, मेरा सीना खुला है । लेकिन हम उस बात को नहीं मानेंगे जिससे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है । अगर उन में जरा सी भी कमजोरी होती तो हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो सकता था इसी तरह से पत्थर रखने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी का जाना, कोई राजनैतिक मन्शा नहीं था, उनका मन्शा था भाई चारे की भावना पैदा करना । जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो उनके मां-बापू बीच में आ जाते हैं क्योंकि मां-बाप आ जाने से कोई न कोई फ़ैसला हो ही जाता है । जैसे ही श्रीमती इन्दिरा गांधी आई, उनकी कोशिश यही थी कि पत्थर न रखने दिया जाए । आज अकाली दल का कोई भी लीडर, चाहे लौंगोवाल हो, चाहे बादल हो, कोई भी हो, वह यह नहीं कह सकता कि मूवमेंट पर उनका कंट्रोल है । असल बात यह है कि आज मूवमेंट उनके हाथ से बाहर जा चुकी है । इनके साथ चाहे कोई भी समझौता कर लो, बेमायने होगा । डिप्टी स्पीकर साहब, आज तक इनके साथ जो भी फ़ैसले किये गये हैं, उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए । यह बात केवल मैं ही नहीं कहती, हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा यह बात कहता है । शाह कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, उसको

भी नहीं माना । इस कमेटी के चेयरमैन श्री हुकम सिंह थे । इन्होंने यह सिफारिश की थी कि कोई न कोई कमीशन बैठाया जाना चाहिए । उनकी सिफारिश पर शाह मीशन बैठाया गया । उस वक्त इस कमीशन पर बहुत विश्वास व्यक्त किया गया था । शायद श्रीमती इन्दिरा गांधी वारने मामले में भी इसी शाह को लगाया होगा, सही बात का मुझे पग नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यही शाह कमीशन होगा । उस वक्त इन्होंने सोचा था यह निष्पक्ष आदमी है और इन्हीं का अपना आदमी है । इस पर ये लोग बड़ा विश्वास करते थे । जब विश्वास करते हो तो कम से कम उसकी—रिपोर्ट को तो मानो? डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सारे भाईयों को कहना चाहती हू कि हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, कई माननीय सदस्य इन नीतियों के खिलाफ हैं । ठीक है, इखतिलाफ वे रख सकते हैं जैसे सब के नाम न्यारे न्यारे है, वे मुख्तलिफ विचार रख सकते हैं, लेकिन जहां तक हरियाणा के हिस्से का सवाल है, वह हमें मिलना चाहिए और हम सब को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । आप नीतियों को आलोचना कर सकते हैं लेकिन राक दूसरे को नीचा दिखाने की गर्ज से नहीं, एक दूसरे को टौटिंग—वे से बात कहने से नहीं बल्कि अच्छे सुझाव देने की दृष्टि से आलोचना करें । अगर आप समझते हैं कि जिन हालात में फैसले लिए गए, वे ठाक नहीं तो जब इन के हाथ में राज—सत्ता थी, इत वक्त कर्पो नहीं सारे फैसले तोड़ दिए थे? लेकिन नहीं तोड़े जा सकते थे क्योंकि कुछ नियम लगन को चलाने के लिए बने हुए हैं और वे नियम मानने पड़ते

है। अगर उस समय आग भी इधर होते या कोई भी उस समय इन्दिरा गांधी को जगह प्रधान मन्त्री होता तो वह वही फैसला करता जो हिया है । जब राज-सत्ता आपके हाथ में थी, उस वक्त अगर आपके अन्दर प्यार होता और जनता पार्टी में सोशल आर्डर बोता कि अराजकता न फैले तो आप भी इस बात को मान जाते । इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जो अवार्ड दिया गया, उसके बारे में सैन्ट्रल गवर्नमेंट से कहते कि शाह कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसको जल्दी लागू कर दिया जाए । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ और अपने भाईयों से प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रस्ताव को जल्दी ही भावनाओं का आधार बनाकर कड़े से कूड़े शब्दों में इसकी रिकमेंडेशन करनी चाहिए कि इस अवार्ड को लागू किया जाए ।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में विचारा-धीन है, इसका जो विषय है, इस के बारे में हरियाणा का हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि हरियाणा के साथ बहुत बड़ी ज्यादाती हो रही है । हरियाणा बनने के बारे में शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी । इस कमीशन ने ऐसी रिपोर्ट क्यों दी थी, इसके पीछे कई कारण हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी से पहरे सन 1929 में, कांग्रेस पार्टी जिसने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, एक प्रस्ताव पास किया था कि हिन्दुस्तान में जो प्रान्त होंगे, वे भाषा के आधार पर होंगे ताकि हर स्टेट अपने आचार-विचार के आधार पर फूले-फले

और तरक्की कर सके । इसी तरह से आजादी के बाद 1955 में एक पांडे कमीशन बनाया गया था और इसने भी अपनी रिपोर्ट दी थी । डूह कमीशन में हरियाणा और पंजाब के लोग शामिल थे । कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था. कि हरियाणा एक अलग हिन्दी भाषी एरिया है और इसका अलग प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया जाए । अलग प्रान्त बनाने के लिए सविधान में जो प्रोवीजन किया था वह भी हिन्दी भाषा के आधार पर ही किया था । चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, हरियाणा प्रदेश हो, तमिल नाडू हो, इन प्रान्तों की स्थापना भाषा के आधार पर की गई । अध्यक्ष महोदय, जो भी कमीशन एप्वायंट किया जाता है, उसको अपनी रिपोर्ट देते समय प्रजातन्त्र को कायम रखना होता है । प्रजातन्त्र के तीन विंग हैं कार्यपालिका न्यायपालिका और लैजिस्लेचर । ये तीनों विंग प्रजातन्त्र के आधार हैं । अगर कोई सत्तारूढ सरकार न्यायपालिका के फैसले को नहीं मानती, तो यह समझा जाता है कि उस सरकार को न्यायपालिका पर प्रजातन्त्र में कोई विश्वास नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, भाषा के आधार पर हरियाणा अलग प्रान्त बनाने के लिए ही शाह कमीशन की नियुक्ति हुई थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी । रिपोर्ट के अनुसार खरड चण्डीगढ, अबोहर और फाजिलका के इन्नाके जिनको कमीशन ने हिन्दी भाषी इलाका बताया था, हरियाणा को दे दिया । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस वक्त राज— सत्ता ने यानी केन्द्रीय सरकार ने शाह कमीशन की रिपोर्ट को एक तरफ रख दिया और चण्डीगढ पंजाब को दे दिया । शाह कमीशन ने चण्डीगढ, फाजिलका और अबोहर के इलाके

को हिन्दी भाषी डिक्लेयर करके हरियाणा को दे दिया था और हरियाणा के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि डस फैसले को लागू किया जाए । लेकिन मौजूदा सरकार ने कमीशन के फैसले को नहीं माना । 1970 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो उस वक्त प्रधान मंत्री थीं, एस अवार्ड दे दिया जिसके मुताबिक चण्डीगढ पंजाब को दे दिया गया । यह क्यों दिया गया था? उस वक्त पंजाब में सन्त फतेह सिंह ने आमरण अनशन रखा हुआ था और यह कहा था कि अगर फलां तारीख तक चण्डीगढ को पंजाब में शामिल करने का फैसला नहीं किया गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे । इस प्रकार का यह केवल मात एक वाक्या नहीं था । हरियाणा के चाहे पानी के बंटवारे की बात हो, चाहे भाषा के आधार पर बाउंडरी के निर्धारण की बात हो, सब में हरियाणा को नुक्सान में रखा गया है । पानी शुरू में हरियाणा को चार प्यायंट कुछ मिलियन एकड़ फीट मिलने लगा था, बाद में 3.7 मिलियन एकड़ फीट पानी देने का फैसला किया गया, फिर 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी देने का फैसला किया गया । घटते घटते यह सरकार उससे भी कम पर आ टिकी है । इसी तरह से भाषा के आधार पर गांवों के बटवारे का फैसला था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय उसमें भी यह सरकार केवल पंजाब को खुश करने की नीति अपनाती रही । उनको खुश करने की नीति की वजह से सरकार हरियाणा को तबाह करती चली गई । डिप्टी स्पीकर साहब, पहले जो फैसला किया गया था कि पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हो, यह हिन्दी और पंजाबी भाषाओं के

आधार पर किया गया था । अगर सरकार की यह इच्छा है कि महा पंजाब बनाने से लोग अमन से रह सकते हैं, अलग-अलग भाषा होने के बावजूद वे इकट्ठे रह सकते हैं तो पहले ही यह बंटवारा क्यों किया गया था ? उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा सम्भव नहीं है । अगर ऐसा सम्भव होता तो पहले ही यह बंटवारा न होता । डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार स्वयं लोगों को अमन से नहीं रहने देना चाहती । यदि यह चाहती कि लोग अमन से रहें तो शाह कमीशन की रिपोर्ट मान लेती । कहते हैं कि उस फैसले को इम्पलीमेंट नहीं किया गया । हरियाणा में उस वक्त चौधरी बंसी लाल मुख्य मंत्री थे । वे हरियाणा के लोगों को बहका कर दिल्ली में ले गए कि चण्डीगढ़ के लिए कुर्बान हों जाएंगे उस फैसले के बाद इन्दिरा गांधी ने एक और फैसला दिया कि चण्डीगढ़ पंजाब को जाएगा । यह फैसला भी पंजाब के हक में दिया गया । इस फैसले के फौरन बाद हमारी सरकार ने कह दिया कि इन्दिरा गांधी जी ने जो फैसला कर दिया वह ठीक कर दिया । चण्डीगढ़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि यह व्हाइट ऐलिफैन्ट है । इसका बोझ हम नहीं लेना चाहते । एकदम से ये बदल गए । रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ में गोलियों से लोग भूने गए । इसमें मैं अकेले चौधरी बंसी लाल का दोष नहीं मानता, क्योंकि उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को यही नीति थी । ये पंजाब में अलग भाषा बोलते हैं और हरियाणा में अलग भाषा बोलते हैं । अगर देश के प्रधान मंत्री ने फैसला दे दिया था तो दोनों प्रान्तों को मानना चाहिए था । दोनों प्रदेशों की कांग्रेस पार्टी की सरकारों को उसे लागू कर देना

चाहिए था । उस समय उस फैसले की खुशी में पंजाब के लोगों ने दीपमाला जलाई थी और हरियाणा में गोलियां चली थी । यह स्थिति पैदा नहीं होती अगर इन्दिरा गांधी जी के फैसले पर दोनों प्रान्तों की सरकारें यह कहती कि यह अच्छा फैसला हुऐ इसे हम मान लेते हैं । आज के प्रधान मन्त्री भी अगर उसे ठीक मानते हैं तो उसे लागू करने में ढील नहीं करनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, सारा देश यह बात जानता है कि हरियाणा के लोगों के साथ गैर-इन्साफी होती रही है । इस फैसले के अनुसार फाजिलका और अबोहर के 107 गांव हरियाणा को मिलते थे लेकिन वे आज तक नहीं मिले । 31 मई, 1960 को बाउंडरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई थी । (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो इस राय का हूं कि अगर किसी वजह से हरियाणा या पंजाब में 5- 10 गाव अडौस पडोस में कहीं इधर-उधर रह भी जाए तो उसके लिए अलग से एक कमेटी बना दी जाए । अब सुना है कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली में एक कैबिनेट सब-कमेटी की नियुक्ति की गई है । हो सकता है अकाली नेता जब जेल में बन्द थे, उनसे शायद कइर-खाने कोई बातचीत हो चुकी हो । हमें शक है कि जिस प्रकार पहले उनसे हुई बातचीत के बाद हरियाणा के साथ जुल्म होता रहा है, कहीं इस बार भी ऐसा न हो । (विधन) यह अच्छी बात है कि कोई फैसला हो जाए । फैसला होना देश के लिए अच्छा हए । आज सारे देश में आतंकवाद का वातावरण है । इस आतंकवाद के वातावरण को समाप्त करने के लिए सभी नेताओं को बिठाकर बातचीत की जाए और जिसका जो

हक बनता है वह उसे दिया जाए । कही हमारे हकों पर चोट न आ जाए, इसका हमें शक है । इस तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए । पानी के बारे में, गांवों के बंटवारे के बारे में, चण्डीगढ के बारे में जो झगड़ा था इन मसलों की तरफ से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि महा पंजाब बनाया जाए । हालांकि प्रधान मंत्री जी ने यह कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को खत्म नहीं किया जाएगा लेकिन फिर भी हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात को बार-बार दोहरा रहे हैं कि वे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, इन सबको मिलाकर महा पंजाब बनाने के हक में हैं । यह हो नहीं सकता लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि सारे झगड़ों को हल करने की यही केवल मात्र जादू की छड़ी है । महा पंजाब बनने से सारी समस्याएं छू मन्तर हो जाएंगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी । अगर यह इतनी आसान बात होती तो पहले ही पंजाब से अलग करने की बात न होती । डिप्टी स्पीकर साहब, 1857 की आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक देश के लिए हरियाणा के बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं । उदाहरण के लिए आप सोनीपत जिले के उदमी राम को ले लीजिए । उनके हाथों और पैरों में कीलें गाड़ी गई थीं । फिर आप हांसी के हुक्म चन्द गोयल जी को ले लीजिए । उनके खून की नदी बहा दी गई थी जिसका वजह से आज वहां एक सड़क लाल सड़क के नाम से जानी जाती हैं । नारनौल के राव कृष्ण गोपाल का उदाहरण भी हमारे सामने है । इसी तरह से झज्जर, बहादुरगढ और बल्लभगढ आदि के बहुत सारे— लोगों ने

हरियाणा के अस्तित्व को कायम रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं जिनकी वजह से हरियाणा बना है । 1857 की आजादी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा के लोगों पर बहुत जुल्म ढाए । इस एरिया को एक तरह से तहस नहस कर दिया था । गांव के गांव तबाह कर दिए गए थे । दिल्ली में लोग सरेआम कत्ल किए जाते थे । वे दर्जनों घोड़ों पर चढ़ कर आते और रास्ते में जो भी छोटा बच्चा, जवान या बूढ़ा मिलता था, उसे खेतों में ले जाकर गोलियों से भून दिया जाता था । उन्होंने यह सिलसिला लोगों को तैरोराइज करने के लिए किया था इसीलिए गांव में आज भी यह कहावत प्रचलित है कि साहबा आया । साहबा का नाम लेकर के बूढ़ी औरतें बच्ची को डराती हैं । उन लोगों की कुर्बानियों को, डिप्टी स्पीकर साहब, हम भूल नहीं सकते लेकिन आज ये कभी कहते हैं कि हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए, और कभी कहते हैं कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को मिलाकर महा पंजाब बनाया जगा । अगर सरकार ईमानदारी से फैसला करना चाहती तो शाह कमीशन की रिपोर्ट को ज्यू का ट्यूं लागू कर दिया जाता या बाद के दूसरे फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में देर न की जाती । आज तक जो भी फैसले किए गए, उन्हें रद्दी की टोकरी में डाला जाता रहा है । सुप्रीम कोर्ट के जजिज के फैसले को, प्रधान मंत्री –के अवार्ड को रद्दी की टोकरी में डाला जाता रहा है । कैसे विश्वास किया जाए कि आज यदि कोई फैसला होता है, उसमें ये हरियाणा के हितों को सुरक्षित रख पाएंगे? लोगों को विश्वास तब होता यदि आज तक जितने फेसले किए

गए उन्हें इम्पलीमेंट किया जाता । अगर इम्पलीमेंटेशन होती तो आज यह समस्या खड़ी न हो पाती । ऐसा न होने की वजह से आज केवल पंजाब ही नहीं बल्कि सारा हिन्दुस्तान जल रहा है । (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, ये मुझे डिस्टर्बड करना चाहते है । (हंसी) सारा हरियाणा और पंजाब जरर रहा है अकालियों की गलती है लेकिन मुख्य रूप से सब से ज्यादा दोषी शासक पार्टी है, उसकी गलत नीतियां हैं । (विघ्न) डी ०एम०के०पी ० हमारी एक पार्टी ऐसी है जो शुरू से हिन्दी भाषियों का समर्थन करती रही है, चाहे वह पंजाब का मामला हो, चाहे कोई अन्य मामला हो । हमारी पार्टी ने खुले रूप से हरियाणा के हितों की रक्षा की । (विघ्न) आप तो पंजाब में जाते हो, पंजाब के हक में बोलते हो और जब हरियाणा में जाते हो तो हरियाणा के हित में बोलते हो । आप की पार्टी के लोगों की तो यह हालत है ।

13.00 बजे

श्रीमती करतार देवी : डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अकाली पार्टी का समर्थन नहीं किया और न ही कभी पार्टी की नुक्ताचीनी की है । हमने आपकी तरह से अकालियों का समर्थन नहीं किया । अखबारों में आया था कि अकाली दल आपका समर्थन करता है । (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्य : आप इस बात को भूल गये, जब ऐसा वक्त आया था कि अकालियों को कांग्रेस में शामिल किया

गया । आज भी केरल में मुस्लिम लीग से मिल कर राज कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री फतेह चन्द विज : डिप्टी स्पीकर साहब, करतार देवी जी अभी कह रहा थीं कि उन्होंने अकालियों का समर्थन नहीं किया । मैं उन्हें याद दिला दूँ कि कांग्रेस ने अकाली दरर में फूट डाल कर उनकी गवर्नमेंट बनवाई थी ।

श्री हीरा नन्द आर्य : डिप्टी स्पीकर साहब, जिस प्रकार अंग्रेजों की नीति थी कि जाल'—पात और मजहब के आधार पर फूट डाली और राज करो, ठीक उसी प्रकार की नीति हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी की रही कुए । बहिन करतार देवी जी कह रही थी कि जब कोई औरत बच्चे को गोद में ले कर जा रही थी तो दूसरी औरत ने कहा कि यह बच्चा मेरा है, दूसरी ने कहा कि नहीं मेरा है । इस पर झगडा हो गया । किसी ने कहा कि इसे काट दो तो एक ने कहा कि ऐसा न करो । सो यहां पर भी वही बात हो रही है । उन लोगों ने हिन्दुस्तान का बंटवारा करा दिया जिनका मैं यहां पर नाम लेना उचित नहीं समझता । हमारी पार्टी तो वाहिद पार्टी है । खुलमखुला चौधरी चरण सिंह ने कहा कि चाहे हिन्दू है, चाहे मुसलमान है, सब एक हैं । जिस तरह पंजाब के लोगों ने गलतियां की हैं, अगर उसी तरह कांग्रेस पार्टी वाले भी करते रहे तो इनमें और उनमें क्या फर्क रहा?

..... ।

श्री उपाध्यक्ष : यदु लपज रिकार्ड में नहीं आयेंगे ।

श्री हीरा नन्द आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिन्दुस्तान की एकता और इन्टिग्रेटी को मैनटेन करने के लिए मजहब का सहारा नहीं लेना चाहिए । अगर कोई पार्टी वोट प्राप्त करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भडकाती है तो देश एक नहीं रह सकता । अब तक यही होता रहा एं । फर्क इतना ही रहा कि कोई कम भडकाता है, कोई ज्यादा भडकाता है लेकिन मुख्य रूप से सत्ता पक्ष कसूरवार है । यही लोग एक्सप्लायट करते रहे हैं । कांग्रेस पार्टी की हकूमत थी, श्रीमती इन्दिरा गांधी में इनका पूरा विश्वास भी था और उसी ने यह कमीशन अप्वायंट किया था । जब कांग्रेस उन नीतियों को मानती है तो फिर फैसले को लागू क्यों न करती? इस कांग्रेस की सरकार ने आज फिर से सब-कमेटी बना दी । अब फिर कोई साजिश चल रही है और उस साजिश से भी इन्हें ही फायदा होगा ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज सदन के सामने नान-आफिशियल रंज्योल्यूशन पर चर्चा हो रही है । मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें कहा गया है कि जो शाहू कमीशन ने फैसला दिया था यानी जो एरिया उसने हरियाणा को दिया था, उसको हरियाणा में इनकलूड करने के लिए रैजोल्यूशन सदन में जेरेगौर है । उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य श्री हीरा नन्द जी बोल

रहे थे । उनके भाषण से यह पता ही नहीं लगा कि उन्होंने शाह कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन किया है या विरोध किया है लेकिन मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उस एरिया को पंजाब में छोड़ दिया गया था, वह हरियाणा में जाना चाहिए था, ऐसा हाउस रिकमेंड करे । श्री फतेह चन्द विज, डा ० मंगल सैन और मास्टर शिव प्रशाद ने हाउस में यह प्रस्ताव पेश किया है । इस बारे में अर्ज करना चाहता हूँ यह जो मसला है यह बड़ा ही टेढा है और राजनैतिक मसला हो गया है । इसके पीछे बहुत लम्बा इतिहास है । आजादी के पहले और आजादी प्राप्त करने के बाद की बातों को अगर मद्देनजर रखें तो इस मसले को और विस्तार से और ठीक से समझा जा सकता है । जहां तक आजादी से पहले की बात का तालुक है, अकाली पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिल कर आजादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद की थी । लेकिन आजादी से पहले ही महन्तों ने गुरुद्वारों को ले लिया था जिनके लिए महन्तों ने काफी संघर्ष किया था । बाद में ब्रिटिश सरकार ने गुरुद्वारा. एक्ट बना कर अकाली पार्टी जो पहले राजनैतिक हुआ करती थी, धर्म के साथ जोड़ दिया । जब राजनीति और धर्म जुड़ जाते हैं तो इस तरह के मसले खड़े हो जाते हैं । अगर यह पहले वाली बात रखें और राजनीति के साथ धर्म को न जोड़े' तो बात हो सकती है, लेकिन ये धर्म— की बात को राजनीति के साथ जोड़— देते हैं । यही बात कहते हैं कि अकाली पार्टी को बुला कर फैसला कर लीजिए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को अर्ज करूँ कि यह

फैसला अकाली पार्टी कभी नहीं कर सकती । अगर अकाली पार्टी को आधा हरियाणा भी दे दिया जाये तो भी उनकी मांग रहेगी । पार्टी के मसले कभी हल नहीं होंगे । जब तक अकालियों को –सत्ता नहीं मिल जाती, तब तक वे फैसला मानने को तैयार नहीं । अगर अकालियों को सत्ता मिल जाये तो कोई समस्या नहीं है । जब हाई कमान के सामने मसला पेश हुआ था कि पंजाबी सूबा बनना चाहिए तो इस पर काफी जद्दोजहद हुई थी । लिंगविस्टिक अखबार पर जब कांग्रेस ने नीति रख दी तो गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा अलग हुए । ईस्टर्न स्टेट्स अलग-अलग हुई । अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, यह सारे उस बात के नतीजे हैं कि जहां पर जो भाषा बोली जाती है, उसी के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिये । इसी आधार पर अकालियों ने जद्दोजहद शुरू की और पंजाबी सूबे के लिये ऐजीटेशन की । सब से पहरेने इस सिलसिले में एक रीजनल फार्मूला बना । उस रीजनल फार्मूला के लिये दिल्ली में एक बैठक हुई । यह बैठक 24 अक्तूबर, 1956 को दिल्ली के कैनाल रैस्ट हाउस में हुई थी । उसमें 8 व्यक्ति मौजूद थे. सरदार प्रताप सिंह कैरो, प्रो० शेर सिंह, चौधरी देवी लाल, पंडित मौली चन्द्र शर्मा, ज्ञानी करतार सिंह और श्री वीरेन्द्र आफ डेली प्रताप जालन्धर । वहाँ पर यह फैसला हुआ कि एक हिन्दी रीजन होना चाहिए और एक पंजाबी रीजन होना चाहिये । जहां हिन्दी स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, वह एरिया हिन्दी रीजन कहलाये और जहां पंजाबी स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, वह पंजाबी स्पीकिंग

एरिया कहलाये । 'इस प्रकार पंजाबी स्पीकिंग एरियाज और हिन्दी स्पीकिंग एरियाज अलग-अलग बनाये गये । शिमला, कांगड़ा, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला की अम्बाला तहसील, जगाधरी तहसील व नारायण गढ़ तहसील, महेन्द्रगढ़ और कोहिस्तान (अब पटियाला में) संगरूर की जींद तहसील और नरवाना तहसील, ये सारे हिन्दी रीजन कहलाये और बाकी के इलाके पंजाबी रीजन कहलाये । पंजाबी स्पीकिंग एरियाज डिक्लेयर होने के बाद काफी एजीटेशन चली । पंजाब में इस तरह के प्रभावपूर्ण हालात पैदा कर दिये जिन के कारण पंजाबी स्पीकिंग एरियाज पंजाबी सूबा कहलाये और हिन्दी स्पीकिंग एरियाज हरियाणा प्रदेश कहलाये । 6 सितम्बर, 1965 को होम मिनिस्टर ने लोक सभा में यह स्टेटमेंट दी कि पंजाबी स्पीकिंग और हिन्दी स्पीकिंग एरियाज को अलग-अलग करने के लिये शाह कमीशन नियुक्त किया जायेगा जो इस बात का फैसला करेगा कि कौन सा एरिया पंजाब को जायेगा और कौन सा एरिया हरियाणा को जायेगा ताकि कन्ट्री की यूनिटी बनी रहे । उस कमीशन के जो टर्म्स आफ रैफरैन्स हैं, वे इस प्रकार हैं -

(i) Adjustment of existing boundary of Hindi and Punjabi regions of present State to secure linguistic homogeneity.

(ii) Indicating boundaries of hilly area adjoining to Himachal Pradesh.

इसका मकसद यह था कि जो हिल्ली एरियाज हैं और हिमाचल के साथ लगते हुए एरियाज हैं, वह तो हिमाचल में मिला दिये जायें और हरियाणा के साथ लगते हुये इलाके हरियाणा में मिला दिये जायें । बाकी एरियाज पंजाब को दे दिए जायें । शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 31- 5- 1988 को दी और उस रिपोर्ट के तहत खरड तहसील और चडीगढ हरियाणा को दे दिया । शाह कमीशन ने यह फैसला दे दिया कि यह सारे एरियाज हिन्दी स्पीकिंग हैं, और हरियाणा के साथ लगते हैं, इसलिये हरियाणा को मिलने चाहियें । उपाध्यक्ष महोदय, तो इसका मकसद यह हुआ । (व्यवधान व शोर)

श्री फतेह चन्द विज : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । डिप्टी स्पीकर साहब, सब को पता है कि यह सैशन कल को खत्म हो रहा है, इसलिये आज फ्रे बाद और कोई नान-आफीशीयल-डे इस सैशन में नहीं आयेगा । यह प्रस्ताव मुझे दिये हुए डेढ साल हो गये हैं, काफी चर्चा हो चुकी है । इस पर वोटिंग कराकर भारत सरकार को सर्वसम्मति से पास करके भेज देना चाहिये ताकि हरियाणा असैम्बली के विचार सैटर की सरकार तक पहुंच जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, अभी नेहरा साहब बोल रहे हैं । He is giving some points which are quite new. इनके अलावा और भी ऐसे बहुत से मैम्बर्ज We should not be in a

hurry. हैं, जो इस रैजोल्यूशन पर अभी बोलना चाहते हैं । यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस्को तो हमें पूरी इम्पोर्टेंस देनी चाहिये ।

श्री जगदीश नेहरा : मेरा कहना यह है कि जब शाहू कमीशन ने यह फैसला दे दिया कि हिन्दी स्पीकिंग एरियाज हरियाणा में जायें और पंजाबी स्पीकिंग एरियाज पंजाब में जायें तो दुर्भाग्य से उसकी इम्प्लीमेंटेशन लें कमी रह गयी । (व्यवधान व शोर) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सारे सदन से यह अनुरोध है कि जब भी इसके लिये मौका आये, इस्को यूनानीमसली पास करना चाहिये । अभी हीरा नन्द आर्य जी बोल रहे थे । उन्होंने न तो इसका समर्थन किया और न ही इसका विरोध किया । यह बात ठीक नहीं है । यह हो सकता है कि इनकी कोई पैच—अप अकाली—पार्टी के साथ हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हरियाणा के हितों के खिलाफ यह काम करें या कोई कार्यवाही करें ।

श्री हीरा नन्द आर्य : डिप्टी स्पीकर साहब, नेहरा साहब मेरी तरफ से घड कर कह रहे हैं । मैं यह जानता हूँ कि मुख्य मंत्री महोदय यह बता दें कि इन्दिरा गांधी के अबोहर—फाजिलका के फैसले को मानते हैं या शाहू कमीशन के फैसले को मानते हैं? कौन से फैसले को ठीक मानते हैं, यह बता दें और उसको लागू करा दें । मुख्य भली (चौधरी भजन लाल) उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक बहुत ही अहम प्रस्ताव विचाराधीन है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय सदस्यों के सैन्टीमेंट्स इस प्रस्ताव के

साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रस्ताव के साथ प्रदेश के हितों का सवाल भी है । बहुत अच्छी बातें सभी सदस्यों ने कही हैं । हम भी इस बात (को मान कर चलते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि शाह कमीशन क्यों बना, कैसे बनाना पड़ा, इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा । इसमें समय बहुत लग जायेगा, समय बहुत थोड़ा है । उपाध्यक्ष महोदय, जब यह शाह कमीशन बना, उस समय बकायदा यह मांग आयी थी । अकाली पार्टी ने पंजाब में बड़ी भारी एजीटेशन की कि पंजाबी सूबा अलग बनाना चाहिये । इन्हीं बातों को लेकर भारत सरकार को मजबूर होकर शाह कमीशन बनाना पड़ा । शाह कमीशन ने उसके बाद बाकायदा रिपोर्ट दी कि यह-यह एरिया हरियाणा में जायेगा और यह-यह एरिया पंजाब में जायेगा । चण्डीगढ़ के बारे में शाह कमीशन ने यदु कहा कि यह हरियाणा को जायेगा । खरड तहसील सारी की सारी, जो आज पंजाब में है, जिसमें कम से कम 200 गांव हैं, वह भी हरियाणा को जायेगी । यह फैसला हो गया । फैसला होने के बाद अकालियों ने फिर कह दिया कि नहीं, साहब, हम इस बात को नहीं मानते । उन लोगों ने सन्त फतेह सिंह को जलने के लिये दिया दिया कि वह जल कर मर जायेंगे, अगर चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं दिया गया । उपाध्यक्ष महोदय, सैद्धान्तिक रूप से अगर देखा जाये तो मर्यादा की बात यही हूँ— जैसे कोई व्यक्ति किसी आदमी को पंच मुकर्रर कर दे और वह पंच अपना फैसला दे दे तो उसके फैसले को मानना चाहिये । गांव में बड़े से बड़े मसले के लिए अगर कोई भाई यह कह दे कि वे, आप जो फैसला

कर दोगे, मुझे मन्जूर है, तो उस फैसले को सारा गांव मानना है । अकालियों ने बाकायदा कमीशन मांगा और कहा कि कमीशन जो फैसला देगा, हमें मन्जूर होगा । जब फैसला आया तो वह पीछे हट गये । यह कहने लगे कि चण्डीगढ़ हमें मिलना चाहिये, नहीं तो सन्त फतेह सिंह जी जलकर मर जायेंगे । इस देश और प्रदेश के लोग यह बात भली भांति जानते हैं कि माइनोरिटीज को ध्यान में रखते हुए हमारी साबका प्रधान मैली जी ने मजबूर होकर एक नया अवार्ड सुनाया । उन्होंने देश के हित को सामने रखकर यह अवार्ड सुनाया था ताकि देश के अन्दर माहौल खराब न हो और देश कि अखंडता बनी रहे । (व्यवधान व शोर) अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री महोदया ने जब अवार्ड सुनाया, उस वक्त पंजाब में अकाली मुख्य मंत्री जस्टिस गुरनाम सिंह थे । उन्होंने बाकायदा इस बात को माना हुआ है ।

श्री मंगल सैन : हरियाणा में उस वक्त मुख्य मंत्री कौन था, जरा यह भी बता दो ।

चौधरी भजन लाल : अभी बताता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, उस समय पंजाब में बाकायदा अकालियों की सरकार थी । गुरनाम सिंह वहां पर मुख्य मंत्री थे । हरियाणा में उस वक्त चौधरी बंसी लाल मुख्य मंत्री थे ।

श्री मंगल सैन : सैंटर में प्रधान मंत्री उस वक्त कौन था?

चौधरी भजन लाल : सैंटर में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी, यह तो रिकार्ड की बात है । रिकार्ड से भागने की कोई बात नहीं है । (व्यवधान व शोर) नेशन के हित में उन्होंने एक फैसला दिया कि चण्डीगढ पंजाब को दे दिया जाता है और इसके बदले में अबोहर-फाजिलका के 107 गांव और चण्डीगढ के पास के 7 गांव हरियाणा को दिये जाते हैं । इस बात पर पंजाब में बाकायदा दिवाली मनाई गई कि चण्डीगढ जो हरियाणा में शामिल हुआ था, वह हमने ले लिया । डिप्टी स्पीकर साहब, इस फैसले के खिलाफ हरियाणा 'में एजीटेशन हुआ लेकिन देश के हित में और नेशन के हित में हमने इस बात को मान लिया । लेकिन अकाली अब भी इस बात को कहें कि चण्डीगढ तो हमारा है ही, फाजिलका और अबोहर भी हमारे हैं, यह ज्यादाती की बात है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हरियाणा का हित पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में सुरक्षित था, उसी तरह आज हरियाणा का हित प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के हाथ में सुरक्षित है । मैं यह बात सदन को बताना चाहता हूं ।

Mr. Deputy Speaker : The House is adjourned till 9.30 a. m. tomorrow, the 29th March, 1985.

13.30 बजे

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a. m. on Friday, the 29th March, 1985.)